लेखक

सालेह बिन फ़ौज़ान अल् फ़ौज़ान

प्रकाशक

अद्-दारुस्सलफ़िय्या

मुंबई

किताबुत्तौहीद

(ईश्वर को एक मानना)

सम्पादक

डा० सालिह बिन फ़ोज़ान अल् फ़ोज़ान

प्रकाशक

अद्दारुस्सलफ़िया

मुम्बई

सिलसिला इशाअ़त न० 166

नाम किताब	:	किताबुत्तौहीद
लेखक	:	डा० सालिह बिन फ़ोज़ान अलफ़ोज़ान
प्रकाशक	:	अददारुस्सलफ़िया, मुम्बई
कम्पोज़िंग	:	भावे प्रा० लि०, मुम्बई
मुद्रक	:	भावे प्रा० लि०, मुम्बई
हिन्दी एडीशन		
पहली बार	:	फरवरी, २००१
मूल्य	:	35

मिलने के पते

- **दारुल् मारिफ़,** 13, मुहम्मद अली बिल्डिंग
  भिंडी बाज़ार, मुम्बई नं० 3
  फोन : 3716288—फैक्स 3065710

- **दारुल् मारिफ**
  मनसूरा, मालेगाँव, जिला नासिक

विषय सूची

❁❁❁❁

प्रकाशक की बात

डाक्टर सालेह बि फ़ौज़ान अल फ़ौज़ान की किताब "अत्तौहीद" अपने विषय पर एक मुकम्मल, संपूर्ण और बहुत कारआमद और सरल किताब है, तौहीद जैसा अहम और बुनियादी मसला जिस सुन्दर बयानी, अच्छे अंदाज़ और समझाने के जिस ढंग का योग्य था क़ाबिल और फाज़िल मुसन्निफ़ (ग्रंथकार) ने उस का हक़ अदा कर दिया है।

लाइक मुसन्निफ ने तौहीद की अक़्ली और नक़्ली दलीलों को बयान करने के बजाये तौहीद के विरुद्ध और तौहीद के अक़ीदे को नुक़्सान पहुंचाने वाले ख़राब और गुमराह करने वाले अक़ीदों शिर्क और कुफ़्र, निफाक़, इर्तिदाद, जाहिलीयत के रिवाजों, कहानत, नुजूम परस्ती, सिफ़ली अमल, नज़्र व नियाज़, क़ब्र परस्ती, दीन के साथ मज़ाक़, वसीला, जादू टोना, तावीज़ गंडे, औलिया परस्ती आदि के साथ रसूल की इताअत, दरूद व सलाम, सहाबा-ए-कराम की फज़ीलत और हर क़िस्म की बिदअतों ईद मीलादुन्नबी, शबे बरात आदि की दलील के साथ और बेहतरीन तरीक़ों से खंडन व काट की है और ख़ास तौर से वह मुआमले जिनसे इन्सानी जीवन की पवित्रता तार तार हो और आदम की संतान की करामत और फ़ज़ीलत चिह्नित व दाग़दार हुई उन सब मुआमलों की तफ़्सील वार निशानदेही की है। जैसे इन्सानी जीवन में कैसे अवहेलना पैदा हुई और अल्लाह की मख़्लूक़ किस तरह अपने हक़ीकी एक ख़ुदा से मुंह फेर कर शिर्क व कुफ़्र और निफाक़ में फंस गई, लाइक मुसन्निफ़ ने जाहिलीयत और जिहालत की उन सब बीमारियों की जांच की है और एक एक गुमराही का मज़बूत दलील के साथ ठोस जवाब दिया है।

किताब का अंदाज़ मुनाज़राना और टकराओ का होने के बजाये, बेहद ठोस और मान्य योग्य है, शिर्क और उसकी सब क़िस्में, कुफ़्र और उसकी सब क़िस्में, साथ ही निफाक़, फिस्क़ और गुमराही के आम कारणों को इस अंदाज़ में पेश किया है जैसे वह लोगों में मौजूद हैं और समाज में जिन सूरतों और शक्लों में वह पहचाने जाते हैं हर एक की चर्चा करके क़ुरआन और हदीसों के वैज्ञानिक तरीक़ों में बहुत सरल अंदाज़ में बयान कर दिया है। किताब से अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इदारा अद्दारुस्सलफिया ने इसे विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करने का फ़ैसला किया है, इसलिए इस सिलसिले का पहला तर्जुमा उर्दू भाषा में लोगों के सामने पेश हुआ और अब दूसरा तर्जुमा हिन्दी भाषा में किया जा रहा है और अंग्रेज़ी तर्जुमा भी प्रकाशन के लिए तैयार है जो इन्शाअल्लाह जल्द ही

प्रकाशित किया जाएगा।

इस किताब को आसान से आसान बनाने की कोशिश की गई है ताकि कम से कम पढ़ा लिखा आदमी भी इससे लाभ उठा सके।

शिर्क व बिदआत और कुफ़्र व निफ़ाक़ की बीमारियां इस तरह आम हो चुकी हैं कि इस क़िस्म की किताबें जितनी बड़ी और अधिक संख्या में प्रकाशित की जा सकें और अधिक से अधिक जितने हाथों तक पहुंचाई जा सकें उतना ही उसका लाभ आम होगा।

यह किताब स्कूल और कालेज के छात्रों और नई रोशनी से प्रभावित नाफ़रमानों के लिए तिरयाक़ का काम देगी और इन्शाअल्लाह इसके ज़रिए अल्लाह तआला अपने बन्दों की बड़ी संख्या को तौहीद व सुन्नत और हक़ व हेदायत की राह पर चलने की तौफ़ीक़ बख़्शेंगे।

हमारी दुआ है कि अल्लाह तआला इस किताब के लाइक मुसन्निफ़ डा० सालेह अल फ़ौज़ान और इसके तर्जुमा करने वाले और प्रकाशक सब को इस किताबे हिदायत को लिखने, तर्जुमा करने और छपाई व प्रकाशन का सवाबे अज़ीम अता फ़रमाये। आमीन।

मुख़्तार अहमद नदवी
सम्पादक
अददारुस्सलफ़िया, बम्बई

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

लेखक की बात

लेखक की यह किताब इल्मे तौहीद पर एक जंची तुली किताब है। इसमें इख़्तिसार के साथ बहुत ही आसान व सरल भाषा का ख़्याल रखा गया है। लिखने के दौरान अपने बुज़ुर्गों, सलफी तहरीक के बड़े-बड़े उलमा, ख़ास तौर पर शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहि० अल्लामा इब्ने क़य्यिम अल जौज़िया रहमि० शैख़ुल इस्लाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब आदि की किताबों और तहरीरों को सामने रखा है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस्लामी अक़ीदा ख़ास तौर पर तौहीद का ज्ञान बहुत ही अहम है। इसे सीखने, सिखाने और इसके अनुसार अमल करने की ओर पूरी तरह ध्यान देना हमारा पहला कर्तव्य है। इसलिए कि लोगों के कामों की दुरुस्ती, मान्यता और लाभदायक होने का यही एक रास्ता है। ख़ास तौर पर ऐसे वक़्त और माहौल में जहाँ बेदीनी, बेईमानी क़ब्र परस्ती और सुन्नत व शरीअत विरोधी बिदअतों की तेज़ आँधियाँ चल रही हैं, तरह-तरह की गुमराह करने वाली और ख़तरनाक तहरीकें और जमाअतें अपना काम कर रही हैं।

ऐसे ज़हरीले माहौल में यदि मुसलमान किताब-व-सुन्नत पर निर्धारित सही अक़ीदे से हथियार बन्द न हों तो बहुत जल्द उन्हें गुमराह करने वाली ख़राब लहरें बहा ले जाएँगी। इन ख़तरों से पहले, मुस्लिम बच्चों के लिए किताब-वसुन्नत पर निर्धारित सही अक़ीदा फिर उसकी शिक्षा व दीक्षा का प्रबंध बहुत ज़रूरी है। यह किताब इस ओर एक जंचा-तुला प्रयास है।

सालिह बिन फ़ौज़ान अलफ़ौज़ान

पहला विषय

इन्सानी जीवन में अवहेलना (इन्हिराफ़)

अल्लाह तआला ने तमाम मख़्लूक़ को अपनी इबादत के लिए पैदा फ़रमाया है और उनके लिए रोज़ी के सारे ज़रिए इकट्ठा कर दिए हैं, ताकि वह एक तरफ़ होकर इबादत कर सकें। अल्लाह तआला अपनी किताब में फ़रमाता है :

और मैंने जिनों और इन्सानों को इसलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत करें, मैं उनसे रोज़ी नहीं माँगता और न यह चाहता हूँ कि मुझे (खाना) खिलायें, अल्लाह ही तो रोज़ी देनेवाला, ताक़त वाला और मज़बूत है। (अज़्ज़ारियात : 56-57)

इन्सान को यदि अपनी फितरत पर छोड़ दिया जाए तो वह अवश्य अल्लाह की उलूहियत का इक़रार करेगा, उसकी पवित्र ज़ात से मुहब्बत करेगा, उसकी इबादत करेगा, उसके साथ किसी को शामिल नहीं करेगा। लेकिन जब उसे इन्सान व जिन्नात के शैतान समान लोग बहकाते हैं, अपनी चिकनी-चुपड़ी और धोके की बातों से फुसलाते हैं तो उनके अन्दर बिगाड़ पैदा हो जाता है। फिर उसे सीधे रास्ते (सिराते मुस्तक़ीम) से हटाकर ग़लत राहों पर डाल देते हैं। चूंकि तौहीद इन्सानी फ़ितरत में मौजूद है और शिर्क आरिज़ी और ना पायदार चीज़ है। इसीलिए इन्सान को यदि अपनी हालत पर छोड़ दिया जाये तो अवश्य वह अपनी फितरत की तरफ लौट जाएगा। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

तो तुम एक ओर के होकर दीन (अल्लाह की राह) पर सीधा मुँह किए चले जाओ, (और) अल्लाह की फ़ितरत को जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है, (इख़्तियार किए रहो) अल्लाह की बताई हुई फ़ितरत में उलट-फेर नहीं हो सकता। (रूम—30)

नबी सल्ल० ने फ़रमाया :

"हर पैदा होने वाला बच्चा अपनी फ़ितरत पर पैदा होता है फिर उसके माँ, बाप उसे यहूदी बना देते हैं या नसरानी या मजूसी बना देते हैं।"(बुख़ारी, मुस्लिम)

इसलिए औलाद की अस्लियत तौहीद है। और हज़रत आदम अलैहि० के ज़माने से बरसों बाद तक इस्लाम ही उनका दीन रहा है। अल्लाह का इर्शाद है :

(पहले तो सब) लोगों का एक ही दीन था (लेकिन वह आपस में इख़्तिलाफ़ करने लगे) तो अल्लाह ने (उनकी तरफ़) ख़ुशख़बरी देने वाले और डर सुनानेवाले नबी भेजे।

सही अक़ीदे की इमारत में शिर्क व बग़ावत की दराड़ पहली बार क़ौमे नूह में पड़ी। इस लिहाज़ से नूह अलैहि० को पहला रसूल कहा गया। इर्शादे रब्बानी है :

इन्ना अवहइना इलै-क-क मा अवहइना इला नूहिंव वन्नबीयीना मिम बअदिही

(ऐ मुहममद सल्ल०) हमने तुम्हारी तरफ़ उसी तरह वही भेजी है, जिस तरह नूह और उनके पीछे नबियों की तरफ़ भेजी थी। (निसा : 163)

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहि० और हज़रत आदम अलैहि० के बीच दस नस्लें (पुशतें) गुज़रीं, सारी की सारी इस्लाम पर थीं। अल्लामा इब्ने क़य्यिम लिखते हैं कि यह बात यक़ीनी तौर पर सही है। सूर : बक़रा की गुज़री आयत उबइ बिन कअब की क़िरात में यूँ आई है—"फ़ख़्तलफ़ू फ़ ब अ सल्लाहुन्नबीयीन" और सूर : यूनुस की इस आयत से इस क़रांत को साबित किया है।

और (सब) लोग (पहले) एक ही उम्मत (अर्थात् एक ही धर्म पर) थे फिर अलग-अलग हो गए। (यूनुस : 19)

इससे मौसूफ़ ने यह साबित किया है कि अम्बियाए किराम के आने का कारण इस सही दीन में लोगों का मतभेद था जिस पर वह क़ाइम थे। यहाँ तक कि अमर बिन लुही अलख़ज़ाई नामी शख़्स आया और हज़रत इब्राहीम अलैहि० के दीन को बदल दिया, आम तौर पर पूरे अरब में और ख़ास तौर पर हिजाज़ में बुतों को लाकर भर दिया। लोग अल्लाह को छोड़ कर इन बुतों की पूजा में लग गए और उस पवित्र शहर और उसके आस-पास शहरों में शिर्क फैल गया, यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने अपने आख़िरी नबी मुहम्मद सल्ल० को नबी बना कर भेजा। आप सल्ल० ने लोगों को तौहीद की तरफ़ बुलाया। मिल्लते इब्राहीमी की पैरवी की दावत दी। अल्लाह तआला की राह में जिहाद किया। यहाँ तक कि तौहीद का अक़ीदा लोगों की ज़िन्दगी में लौट आया। दीने इब्राहीमी ज़िन्दा हुआ, बुत तोड़े गए और अल्लाह ने नबी सल्ल० के ज़रिए अपने दीन को पूरा फ़रमाया और सारे संसार पर अपनी नेमत की पूर्ति की, और इसी राहे तौहीद व रिसालत पर इस उम्मत का पहला दौर और उस दौर के लोग क़ाइम रहे। फिर आख़िरी दौर में जहालत आम हो गई बहुत से दूसरे धर्मों के असरात इसमें दाख़िल हो गए। फिर गुमराही की ओर बुलानेवालों के करैक्टर और वलियों और बुज़ुर्गों की क़ब्रों पर पुख़्ता इमारतों की वजह से शिर्क व बिदअत उम्मत के बहुत सारे लोगों में आम हो गई। अल्लाह तआला के बजाये बहुत-सी मूर्तियाँ इबादत के लिए चुन ली गयीं। उनके दरबार में ख़ुशामद, विनती, दुआ, इस्तिग़ासा (मदद मांगनी) और

नज़रो नियाज़ शुरू हो गई फिर इस तरह के शिर्किया काम करनेवालों ने अपने कामों की व्याख्या यह की कि यह बुज़ुर्गों की इबादत नहीं है, बल्कि उनसे वसीला और उनकी मुहब्बत का इज़्हार है ऐसी तावील करते समय यह लोग भूल गए कि पहले के मुश्रिकों के भी अपने शिर्किया कामों की यही दलील हुआ करती थी जिनका कहना होता था :

(वह कहते हैं कि) हम उनको इसलिए पूजते हैं कि हमको अल्लाह का क़रीबी बना दें। (ज़ुमर : 3)

इस तरह के शिर्किया कामों के बावजूद जिनमें अधिकतर लोग हर ज़माने में फँसे रहते हैं आमतौर पर मुश्रिकों की अधिक संख्या तौहीदे रुबूबियत की क़ाइल रही है उनका शिर्क केवल इबादत ही में रहा है।

और यह अधिकतर अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर (उसके साथ) शिर्क करते हैं। (यूसुफ़ : 106)

इन्सानों में से रब (पालनेवाले) का इन्कार बहुत ही कम लोगों ने किया है, जैसे कि फ़िरऔन, नास्तिक लोग और मौजूदा जमाने के कम्यूनिस्ट। फिर भी उनके इन्कार का कारण हठधर्मी है वर्ना छुपे तौर पर यह भी रब (पालने वाले) की हस्ती के मानने वाले हैं। इसी तरह के लोगों के बारे में अल्लाह तआला का इर्शाद है :

और उन्होंने बेइन्साफ़ी और घमंड में आकर इन बातों से इन्कार किया इस हाल में कि उनके दिल उनको मान चुके थे। (नमल : 14)

इस तरह के लोगों की बुद्धि व समझ ज़रूर गवाही देती है कि हर मख़्लूक़ का कोई न कोई ख़ालिक़ होता है और हर मौजूद चीज़ का कोई न कोई मूजिद (ईजाद करने वाला) होता है। और इस दुनिया के इस संगठित व पायदार निज़ामको कोई मुदब्बिर, हकीम, ज़बरदस्त क़ुदरत रखने वाला और सारे संसार का इल्म रखने वाला चला रहा है। इस बात का इन्कार वही कर सकता है जो समझ से ख़ाली हो या ऐसा हठधर्म हो जिसने अपनी बुद्धि से काम लेना छोड़ दिया है, अपने आपको बेकार बना दिया है। जिसका किसी मुआमले में कोई विश्वास नहीं है।

दूसरा विषय

शिर्क, उसकी परिभाषा और क़िस्में

शिर्क की परिभाषा : शिर्क कहते हैं अल्लाह तआला की रूबूबिय्यत व उलूहिय्यत में किसी को शरीक करना, अल्लाह तआला की उलूहिय्यत में शिर्क के अन्दर आम तौर पर बन्दा अल्लाह तआला के साथ दूसरों को पुकारता है। कुछ इबादतों को उसके लिए अदा करता है जैसे नज़रो नियाज़, भय व आशा, मुहब्बत व ताज़ीम (सम्मान) आदि।

निम्नलिखित मुआमलों की वजह से शिर्क महापाप है।

(1) अल्लाह के गुणों व सिफ़्तों (विशेषताओं) में मख़्लूक़ को ख़ालिक़ के जैसा क़रार देना। इसलिए कि ख़ालिक़ के साथ किसी मख़्लूक़ को शामिल करने का खुला अर्थ है मख़्लूक़ को ख़ालिक़ के बराबर करना और यह बड़ा ज़ुल्म है। इर्शाद रब्बानी है :

शिर्क तो बड़ा (भारी) ज़ुल्म है। (लुक़मान : 13)

ज़ुल्म कहते हैं किसी चीज़ को उसकी असल जगह से हटा कर दूसरी जगह पर रखना। इसलिए जिसने ग़ैरूल्लाह की इबादत की बे शक उसने इबादत को अपनी असल जगह से हटाकर दूसरी जगह में प्रयोग किया और एक ग़ैर मुस्तहिक़ की ओर फेर दिया। और यह सबसे बड़ा ज़ुल्म है।

(2) अल्लाह तआला ने खुले शब्दों में फ़रमा दिया है कि शिर्क के बाद जो तौबा नहीं करेगा उसकी बख़्शिश नहीं होगी। इर्शाद है :

अल्लाह ऐसे गुनाह को कभी नहीं बख़्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए और इसके अलावा और गुनाह जिसको चाहे मुआफ़ कर दे। (निसा : 48)

(3) अल्लाह तआला ने इसकी भी सूचना दी है कि उस मुश्रिक पर जन्नत हराम कर दी है और यह कि मुश्रिक हमेशा हमेशा जहन्नम में पड़ा रहेगा।

अल्लाह तआला फ़रमाता है :

(और जान रखो कि) जो आदमी अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह उस पर जन्नत को हराम कर देगा, और उसका ठिकाना जहन्नम है, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। (माइदा : 72)

(4) शिर्क इन्सान के तमाम पिछले अमलों को ख़त्म कर देता है। अल्लाह तआला का इर्शाद :

और यदि वह लोग शिर्क करते तो जो अमल वह करते थे सब बरबाद हो जाते। (अनआम : 89)

एक और जगह इर्शाद है :

और (ऐ मुहम्मद सल्ल०) तुम्हारी ओर और उन (नबियों) की ओर जो तुमसे पहले हो चुके हैं, यही वही भेजी गई है कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे अमल बरबाद हो जायेंगे और तुम नुक़सान उठाने वालों में से हो जाओगे। (ज़ुमर : 65)

(5) मुश्रिक का ख़ून व माल हलाल है।

मुश्रिक को जहाँ पाओ क़त्ल कर दो और पकड़ लो और घेर लो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठे रहो। (तौबा : 5) (अरब के मुश्रिकों के लिए क़ुरआन का यह ख़ास हुक्म था)

और रसूल सल्ल० का इर्शादे गिरामी है :

मुझे हुक्म मिला है कि लोगों से उस समय तक लड़ता रहूँ जब तक कि वह ला इला-ह इल्लल्लाह को मान न लें, और जब ला इला-ह इल्लल्लाह को मान लें तो मुझसे अपने ख़ून व माल की हिफ़ाज़त कर लेंगे मगर उसके हक़ से। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(6) शिर्क सबसे बड़ा पाप है। नबी सल्ल० ने फ़रमाया है :

क्या में तुम्हें सबसे बड़े पाप के विषय में न बताऊँ? हमने कहा अवश्य बताइए ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमाया : अल्लाह तआला के साथ शिर्क और मां-बाप की नाफ़रमानी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

अल्लामा इब्ने क़य्यिम लिखते हैं कि अल्लाह तआला ने यह बता दिया है कि संसार के निर्माण और उसके इंतिज़ाम का उद्देश्य यह है कि अल्लाह तआला को उसके नामों व गुणों के ज़रिये पहचाना जाये, केवल उसी की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शामिल न किया जाये, लोग आपस में न्याय व इंसाफ़ से काम लें। न्याय वह तराज़ू है जिसके ज़रिए आसमान व ज़मीन का क़ायम हैं।

अल्लाह तआला का इर्शाद है :

हमने अपने रसूलों को खुली निशानियाँ देकर भेजा और उन पर किताबें उतारीं और तराज़ू (अर्थात् न्याय के नियम) ताकि लोग इंसाफ़ पर क़ाइम रहें। (हदीद : 25)

यहाँ अल्लाह तआला ने इस हक़ीक़त से ख़बरदार किया उसने अपने रसूल

भेजे, अपनी किताबें उतारीं, ताकि लोग न्याय और इंसाफ़ से काम लें, और सबसे बड़ा न्याय और इंसाफ़ तौहीद है, बल्कि तौहीद न्याय का हासिल है। और शिर्क खुला हुआ ज़ुल्म है। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

शिर्क बड़ा भारी ज़ुल्म है। (लुक़मान : 13)

शिर्क सबसे बड़ा ज़ुल्म है और तौहीद सबसे बड़ा न्याय है। शिर्क दुनिया के पैदा करने के अस्ली मक़सद के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसलिए वह सबसे बड़ा पाप है। इस बारे में अल्लामा इब्ने क़य्यिम फ़रमाते हैं। चूँकि शिर्क संसार के निर्माण के मक़सद के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और सबसे बड़ा पाप है, इसलिए अल्लाह तआला ने हर मुश्रिक के लिए जन्नत को हराम क़रार दिया है, उसके जानो माल, बाल-बच्चों को तौहीद वालों के लिए हलाल क़रार दिया। और चूंकि यह अल्लाह तआला की बन्दगी से बहुत दूर हैं इसलिए उन्हें अपना नौकर बना कर रखना चाहिए। अल्लाह तआला ने मुश्रिक के किसी अमल को क़बूल करने से इन्कार किया है। उसके बारे में किसी की सिफ़ारिश भी क़बूल न होगी। आख़िरत के दिन उसका पुकारना भी बेकार जाएगा, उसकी आशाएं भी नाकाम होंगी। एक मुश्रिक अल्लाह तआला की ज़ात व सिफ़ात से सबसे अधिक मूर्ख व नादान होता है इसी कारण वह किसी ग़ैर को अल्लाह के बराबर ठहराता है जो अन्तिम दर्जे की जहालत है। यह अन्तिम दर्जे का ज़ुल्म भी है। यद्यपि एक मुश्रिक अल्लाह तआला पर कोई ज़ुल्म नहीं करता परन्तु अपने आप पर बहुत बड़ा ज़ुल्म करता है।

शिर्क एक (खोट) व दोष है जिससे अल्लाह तआला ने अपनी ज़ात व सिफ़ात को पाक क़रार दिया है इसलिए शिर्क अल्लाह तआला की सरासर नाफ़रमानी व अवज्ञा है, उससे हटधर्मी है, बल्कि उसके विरुद्ध एलाने जंग है।

शिर्क की क़िस्में

(1) **शिर्के अक्बर (सबसे बड़ा शिर्क)** : जो बन्दे को दीन से निकाल देता है और उसको हमेशा के लिए जहन्नम में पहुँचा देता है, यह उस सूरत में जबकि शिर्क ही पर मरा हो और तौबा की तौफ़ीक़ न मिली हो। शिर्क अक्बर का मतलब है किसी इबादत को अल्लाह को छोड़कर दूसरे के लिए किया जाये। जैसे अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे से दुआ करना, अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे की नज़दीकी हासिल करने के लिए उसकी बारगाह में क़ुर्बानी करना, नज़रो नियाज़ चढ़ाना, अल्लाह के अलावा के अंतर्गत क़ब्रें, मज़ारें, जिन्न व शैतान सब आते हैं।

इसी तरह मुर्दार, जिन्नात व शैतान से ख़ौफ़ खाना कि वह उसे तक़लीफ़ न पहुँचाए, उसको बीमारी में न फंसा दे। इसी तरह अल्लाह को छोड़कर दूसरों से ऐसी आशाएं रखना जिसपर केवल अल्लाह ताक़त रखता है, जैसे ज़रूरत पूरी करना, दुखः दूर करना। इस तरह के शिर्क के काम आजकल वलियों व बुज़ुर्गों की पुख़्ता क़ब्रों पर ख़ूब हो रहे हैं। इस बात की ओर इशारा करते हुए अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

और यह (लोग) अल्लाह के अलावा ऐसी चीज़ों की पूजा करते हैं जो न उनका कुछ बिगाड़ ही सकती हैं और न कुछ भला ही कर सकती हैं, और कहते हैं यह अल्लाह के पास हमारी सिफ़ारिश करने वाले हैं। (यूनुस : 18)

(2) शिर्के असग़र (छोटा शिर्क) : जिस से बन्दा दीन से बाहर तो नहीं होता, लेकिन उसकी तौहीद में कमी आ जाती है। यह शिर्के अक्बर का एक ज़रीआ है यह भी दो प्रकार का होता है।

(3) शिर्के जली (खुला शिर्क) : यह शिर्किया शब्द व काम होते हैं। शिर्किया शब्दों का उदाहरण, अल्लाह के अलावा किसी की क़सम खाना आदि। नबी सल्ल० का इर्शाद है :

जिसने अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की क़सम खाई उसने कुफ़्र किया या शिर्क किया। (तिर्मिज़ी)

और आप (सल्ल०) का उस आदमी से यह फ़रमाना जिसने कहा था कि यदि अल्लाह और आपने चाहा। क्या तुमने मुझे अल्लाह तआला के मुक़ाबिल बना दिया, कहो यदि अल्लाह ने अकेले चाहा। (नसाई)

इसी तरह किसी का यह कहना "यदि अल्लाह और फ़लां न होता" जबकि उसके कहने का सही तरीक़ा यह है 'जैसा अल्लाह तआला ने चाहा, फिर फ़लां आदमी ने, इसलिए कि शब्द फिर तर्तीब के लिए आता है, जिससे यह अर्थ आप ही आप पैदा हो जाता है कि आदमी की चाहत अल्लाह तआला की चाहत के बस में है। अल्लाह का इर्शाद है :

और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। (तक्वीर : 29)

जबकि 'व' का अक्षर साझादारी बहुवचन के लिए आता है जिससे तर्तीब का अर्थ पैदा नहीं होता, जैसे किसी ने कहा "मेरे लिए तो केवल अल्लाह और तुम हो" और यह "अल्लाह और तुम्हारी बरकत के जरीये" आदि।

शिर्किया काम जैसे कड़े पहनना, मुसीबत हटाने के लिए धागा बांधना, बुरी

नज़र से बचने के लिए तावीज़ बांधना आदि। इन कामों के साथ जब यह अक़ीदा हो कि इनसे मुसीबतें व परेशानियाँ दूर होती हैं, आपत्ति टलती है तो यह शिर्के अस्ग़र हो जाते हैं। इसलिए कि अल्लाह तआला ने इन चीज़ों को इन कामों के लिए नहीं बनाया है। लेकिन यदि किसी आदमी का यह अक़ीदा हो कि यह चीज़ें स्वयं आपत्ति व मुसीबत दूर करती हैं तो यह शिर्के अक्बर है, इसलिए कि इसमें अल्लाह को छोड़कर दूसरों के साथ उस तअल्लुक व लगाव का इज़्हार हो रहा है जो केवल अल्लाह तआला के लिए ख़ास है।

(2) शिर्के ख़फ़ी (छुपा हुआ शिर्क) : यह इरादों और नीयतों का शिर्क है, जैसे दिखावा व शुहरत आदि। अर्थात् अल्लाह तआला से नज़दीकी वाले काम इसलिए किये जायें ताकि लोग उसकी तारीफ़ करें जैसे कोई आदमी अच्छी नमाज़ केवल इसलिए पढ़ता है या सदक़ा व ख़ैरात केवल इसलिए करता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें, ज़िक्र व अज़कार और तिलावत केवल इसलिए करता है कि लोग सुनें तो उसकी ख़ूब तारीफ़ करें। किसी भी काम में जब दिखावा आ जाता है तो वह काम बर्बाद हो जाता है। अल्लाह तआला फ़रमाता है : फ़मन का-न यर जू लिका अ रब्बिही फ़ल यअमल अमलन सालिहवं वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अ ह दा०

तो जो आदमी अपने रब से मिलने की आशा रखे, चाहिए कि अच्छे काम करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न बनाये। (कहफ़ : 110)

नबी सल्ल० का इर्शाद है कि "तुम्हारे बारे में मुझे सबसे अधिक डर शिर्के अस्ग़र से है। लोगों ने अर्ज़ किया : ऐ अल्लाह के रसूल! शिर्के अस्ग़र क्या है? आप (सल्ल०) ने फ़रमाया दिखावा। (अहमद, तबरानी)

इसी तरह दुनियावी लालच में कोई दीनी काम करना भी शिर्के ख़फ़ी है। जैसे कोई आदमी केवल माल व दौलत के लिए हज करता हो, अज़ान देता हो या लोगों की इमामत करता हो, दीनी ज्ञान प्राप्त करता हो या अल्लाह की राह में जिहाद करता हो। ऐसे ही लोगों के बारे में नबी सल्ल० ने फ़रमाया :

"हलाक हुआ दीनार का बन्दा, हलाक हुआ दिरहम का बन्दा, हलाक हुआ काली चादर का बन्दा, हलाक हुआ मख़्मली चादर का बन्दा, यदि उसे दिया जाता है तो ख़ुश होता है और यदि नहीं दिया जाता है तो नाराज़ होता है।"

(बुख़ारी)

अल्लामा इब्ने क़य्यिम फ़रमाते हैं कि इरादों व नीयतों का शिर्क तो ऐसा मौज मारता समुद्र है कि जिसका कोई किनारा नहीं और बहुत ही कम लोग इससे बच

पाते हैं। इस कारण जिस आदमी ने अपने काम से अल्लाह की ख़ुशी के अलावा किसी दूसरी चीज़ का ख़याल किया या अल्लाह तआला की नज़दीकी के अलावा किसी और चीज़ की नीयत की और अल्लाह को छोड़कर दूसरों से उस काम के बदले की दरख़्वास्त की तो वह नीयत व इरादे का शिर्क है।

इख़्लास

इख़्लास का अर्थ यह है कि अपने तमाम आमाल व अफ़आल, इरादा व नीयत में केवल अल्लाह तआला ही की ज़ात को ख़ालिस किया जाये, वही चीज़ हनीफ़ीयत अर्थात् हज़रत इब्राहीम अलैहि० का दीन है, जिसको अपनाने का हुक्म अल्लाह तआला ने अपने हर बन्दे को दिया है। इसलिए कि उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ अल्लाह तआला के यहाँ मकबूल नहीं। यही हनीफ़ीयत, इस्लाम की हक़ीक़त है।

इर्शादे रब्बानी है:

और जो आदमी इस्लाम के अलावा किसी और दीन का इच्छुक होगा वह उससे कभी क़बूल नहीं किया जाएगा, और ऐसा आदमी आख़िरत में नुक़्सान उठानेवालों में होगा। (आल इम्रान : 85)

यही हनीफीयत हज़रत इब्राहीम अलैहि० का दीन है इस कारण जो भी इससे मुँह मोड़ेगा वह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होगा।

ऊपर कही हुई बातों से यह चीज़ साफ़ तौर पर मालूम हो गई कि शिर्के अकबर और शिर्के अस्ग़र के बीच बड़ा अन्तर है, जैसे—

(1) शिर्के अक़बर से एक मुसलमान, दीन से बाहर हो जाता है। और शिर्के अस्ग़र से दीन के बाहर नहीं होता।

(2) शिर्के अक़बर एक मुश्रिक को हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में पहुंचा देता है, जबकि शिर्के अस्ग़र से ऐसा कुछ नहीं होता, यदि वह जहन्नम में गया भी तो अधिक दिन नहीं रखा जाएगा।

(3) शिर्के अक़बर तमाम अमलों को ख़त्म कर देता है और शिर्के अस्ग़र तमाम अमलों को बरबाद नहीं करता, लेकिन दिखावा इसी तरह दुनियावी मतलब से या दीन व दुनिया में मिलावट वाले काम तमाम अमलों को ख़त्म कर देते हैं।

(4) शिर्के अक़बर मुश्रिक के माल व दौलत को जाइज़ क़रार देता है जबकि शिर्के अस्ग़ार में ऐसा कुछ नहीं।

तीसरा विषय

कुफ़्र, उसकी परिभाषा और क़िस्में

कुफ़्र की परिभाषा : लुग़वी एतिबार से कुफ़्र का अर्थ ढांपने और छिपाने के हैं। और शरई परिभाषा में ईमान के विलोम को कुफ़्र कहते हैं।

अर्थात् अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान न लाने को कुफ़्र कहा जाता है, चाहे उसमें झुठलाना पाया जाए या न पाया जाए इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता, बल्कि संदेह व शंका, बेपरवाई व हसद, घमंड व अहंकार और नफ़सानी कामनाओं की पैरवी आदि से भी इस हुक्म में कोई अन्तर नहीं पड़ता, यद्यपि झुठलाने वाला सबसे बड़ा काफ़िर है, इसी गिरोह में वह झुठलाने वाला, इन्कारी आता है जो दिल में रिसालत पर विश्वास रखने के बावजूद केवल हसद के कारण कुफ़्र को गले लगाए रहता है।

कुफ़्र की क़िस्में

कुफ़्र दो प्रकार के हैं। एक कुफ़्रे अक़बर, दूसरा कुफ़्रे अस्ग़र।

पहली क़िस्म—कुफ़्रे अक़बर : कुफ़्रे अक़बर से मुराद वह कुफ़्र है जो मुसलमान को दीन के दाइरे से निकाल देता है। इसकी पांच क़िस्में हैं। (1) कुफ़्रे तक्ज़ीब (झुठलाना) इसकी दलील अल्लाह तआला का यह फ़रमान है :

और उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या जब हक़ बात उसके पास आए तो उसको झुठलाए, क्या काफ़िरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है? (अन्कबूत : 68)

(2) **कुफ़्रे तकब्बुर व इन्कार** : इसकी दलील अल्लाह तआला का यह फ़रमान है :

और जब हमने फ़रिश्तों को आदेश दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वह सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इन्कार किया और गर्व में आकर काफ़िर बन गया। (बक़रा : 34)

(3) **संदेह व शंका का कुफ़्र** : इसे कुफ़्रे ज़न (वह्म) भी कहा जाता है। इसकी दलील अल्लाह का यह फ़रमान है :

और (ऐसी शेख़ियों से) अपने हक़ में ज़ुल्म करता हुआ अपने बाग़ में दाख़िल हुआ। कहने लगा कि मैं नहीं ख़्याल करता कि यह बाग़ कभी तबाह हो। और न ख़याल करता हूँ कि क़ियामत बरपा हो और अगर मैं अपने रब की तरफ़

लौटाया भी जाऊँ तो वहाँ अवश्य इससे अच्छी जगह पाऊँगा तो उसका मित्र जो उससे बात कर रहा था कहने लगा कि क्या तुम उस (अल्लाह) से कुफ़्र करते हो, जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़े से, फिर तुम्हें पूरा मर्द बनांया, मगर मैं तो यह कहता हूँ कि अल्लाह ही मेरा रब है। और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता। (कहफ़ : 35-38)

(4) **बेपरवाई का कुफ़्र** : इसकी दलील यह इर्शाद है :

और काफ़िरों को जिस चीज़ की नसीहत की जाती है उससे मुँह फेर लेते हैं। (अहक़ाफ़ : 3)

(5) **कुफ़्रे निफ़ाक़** : इसकी दलील अल्लाह तआला का यह फ़रमान है :

यह इसलिए कि यह (पहले तो) ईमान लाये फिर काफ़िर हो गए तो उनके दिलों पर मुहर लगा दी गई, तो अब यह समझते ही नहीं। (मुनाफ़िक़ून : 3)

दूसरी क़िस्म—कुफ़्रे असग़र। कुफ़्रे असग़र से एक मुसलमान दीन के दायरे से नहीं निकलता है इसे अमली कुफ़्र भी कहा जाता है जैसे कुफ़्रे नेमत, पवित्र क़ुरआन में इसका उदाहरण यूँ बयान किया गया है—

और अल्लाह एक गाँव की मिसाल बयान करता है कि (हर तरह) शांति व सुकून का गाँव था हर ओर से रोज़ी बाफ़राग़त चली आती थी मगर उन लोगों ने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की। (नहल : 112)

मुसलमान का मुसलमान से युद्ध व लड़ाई भी इसमें दाख़िल है। फ़रमाने नबवी है :

"मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ (पाप) है और उससे लड़ना, झगड़ना कुफ़्र है।" (बुख़ारी व मुस्लिम)

यह भी फ़रमाया : "मेरे बाद तुम काफ़िर न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो।" (बुख़ारी व मुस्लिम)

इसमें अल्लाह के अलावा दूसरे की क़सम भी दाख़िल है। नबी सल्ल० का फ़रमान है : "जिसने अल्लाह के अलावा किसी की क़सम खाई उसने कुफ़्र किया या शिर्क किया।" (तिर्मिज़ी, हाकिम)

एक जगह अल्लाह तआला ने कबीरा (बड़ा) गुनाह के करने वाले को मोमिन कहा है। आयत यह है :

मोमिनो ! तुमको मक़्तूलों (क़त्ल किये हुओं) के बारे में क़िसास (ख़ून के बदले ख़ून) का आदेश दिया है। (बक़रा : 178)

यहाँ पर क़ातिल को मोमिनों के गिरोह से अलग नहीं किया गया है, बल्कि उसको क़िसास के वली का भाई बताया गया है।

फ़रमाने बारी तआला है :

और यदि क़ातिल को उसके (मक़्तूल) भाई (के किसास में) से कुछ माफ़ कर दिया जाये तो (मक़्तूल के वारिस को) अच्छे ढंग से (केस की) पैरवी (अर्थात् ख़ून बहा की मांग) करना और (क़ातिल को) ख़ुश अख़्लाक़ी के साथ अदा करना चाहिए। (बक़रा : 178)

निसंदेह भाई से मुराद यहां दीनी भाई है। एक और जगह इर्शाद है :

और यदि मोमिनों में से कोई दो पार्टी आपस में लड़ पड़ें तो उनमें सुलह करा दो। (अल हुजरात : 9)

यह भी फ़रमाया : मोमिन तो आपस में भाई-भाई हैं तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो। (अल हुजरात : 10)

कुफ़्रे अकबर व कुफ़्रे अस्ग़र में अन्तर का निचोड़

(1) कुफ़्रे अक़बर एक मुसलमान को दीने इस्लाम से निकाल देता है, उसके अमलों को ख़त्म कर देता है। जबकि कुफ़्रे अस्ग़र एक मुसलमान को दीन से नहीं निकालता और न ही उसके अमलों को ख़त्म करता है, हाँ उसमें खोट अवश्य पैदा कर देता है।

(2) कुफ़्रे अक़बर कुफ़्र करने वाले को हमेशा के लिए जहन्नम में पहुँचा देता है। जबकि कुफ़्रे अस्ग़र कुफ़्र करने वाले को हमेशा का जहन्नमी नहीं बनाता अल्लाह तआला उसकी तौबा को क़बूल कर सकता है और उसको बिल्कुल ही जहन्नम से बचा सकता है।

(3) कुफ़्रे अक़बर से कुफ़्र करने वाले का जान व माल जायज़ हो जाता है, जबकि कुफ़्र अस्ग़र उसकी जान व माल को जाइज़ नहीं करता।

(4) कुफ़्रे अक़बर की वजह से कुफ़्र करने वाले और मोमिनों के बीच सच्ची दुश्मनी व मुख़ालिफ़त ज़रूरी है। इस कारण मोमिनों के लिए कुफ़्रे अक़बर करने वाले से मुहब्बत व दोस्ती चाहे वह कितना ही क़रीब हो जाइज़ नहीं। जहाँ तक कुफ़्रे अस्ग़र की बात है तो इसके कारण कुफ़्रे अस्ग़र वाले से दोस्ती करने में कोई नुक़सान नहीं, बल्कि उसके ईमान की मात्रा के समान उससे मुहब्बत व दोस्ती की जा सकती है और उसके कुफ़्र व नाफ़रमानी के बराबर उससे अदावत व दुश्मनी रखी जा सकती है।

चौथा विषय

निफ़ाक़, उसकी परिभाषा और क़िस्में

निफाक़ की परिभाषा : लुग़त के एतिबार से गोह के बिल की पोशीदा निकासी और मुँह को कहते हैं। गोह के बारे में प्रसिद्ध है कि जब उसे बिल के एक मुँह से तलाश किया जाता है तो वह दूसरे मुँह से निकल जाता है।

और यह भी है कि उन बिलों को कहते हैं जिनमें गोह छिपे रहते हैं।

शरई परिभाषा में निफ़ाक़ का अर्थ है इस्लाम व भलाई का इज़हार करना, और कुफ्र व बुराई को अन्दर छिपाए रखना। इसे निफ़ाक़ इसलिए कहा गया है कि मुनाफिक़ एक दरवाज़े से दीन में दाख़िल होता है तो दूसरे दरवाज़े से निकल जाता है। इसी कारण अल्लाह तआला की ओर से चेतावनी दी गई। इर्शाद है : इन्नल मुनाफ़िक़ी-न हुमुल फ़ासिक़ून० निस्संदेह मुनाफ़िक़ पापी हैं। (तौबा : 67)

फ़ासिक़ून से मुराद वह लोग हैं जो शरीअत के दायरे से निकले हुए हैं। इसी प्रकार अल्लाह तआला ने मुनाफ़िकों को काफ़िरों से भी दुष्ट (बुरा) क़रार दिया है। आयते करीमा है :

कुछ संदेह नहीं कि मुनाफ़िक़ लोग जहन्नम के सबसे नीचे के दर्जे में होंगे।

(निसा : 145)

और इर्शाद है :

(इन चालों से अपने ख़याल में) अल्लाह को धोखा देते हैं (यह उसको क्या धोखा देंगे) वह उन्हीं को धोखे में डालनेवाला है। (निसा : 142)

यह (अपने ख़याल में) अल्लाह को और मोमिनों को चकमा देते हैं मगर (हक़ीक़त में) अपने अलावा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बेख़बर हैं। उनके दिलों में (कुफ्र की) बीमारी थी। अल्लाह ने उनकी बीमारी और अधिक कर दी, और उनके झूठ बोलने के कारण उनको दुखः देनेवाला अज़ाब होगा।

(बक़रा : 9-10)

निफ़ाक़ की क़िस्में

निफ़ाक़ की दो किस्में हैं—

(1) एतिक़ादी निफ़ाक़—यही निफ़ाक़े अक्बर है, जिसमें एक मुनाफ़िक़ ज़ाहिर में इस्लाम की प्रदर्शनी करता है लेकिन अपने अन्दर कुफ्र को छिपाये रखता है। इस

तरह के निफ़ाक़ से आदमी पूरे तौर पर दीन से बाहर हो जाता है, बल्कि वह जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में पहुँच जाता है, अल्लाह तआला ने सारी बुरी विशेषताओं से उन्हें पुकारा है, कभी काफ़िर कहा, कभी बेईमान कहा, कभी दीन और दीनवालों के साथ मज़ाक उड़ाने वाले से उसे ताबीर किया, उनकी बुरी विशेषताओं को बताते वक़्त कहा गया कि यह पूरे तौर से इस्लाम के दुश्मनों की ओर झुके रहते हैं, इसलिए कि उनकी इस्लामी दुश्मनी भी उन दुश्मनों से कम नहीं होती। मुनाफ़िक़ीन हर ज़माने में पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे ज़माने में जब इस्लाम की कुव्वत व शौकत (रोब) बहुत अधिक बढ़ जाती है। चूंकि यह ज़ाहिरी तौर पर उसका मुक़ाबला नहीं कर सकते इस कारण वह इसका प्रकाशन करते हैं कि हम भी इसमें दाख़िल हैं ताकि अन्दर रहकर इस्लाम और इस्लाम वालों के विरुद्ध सांठ-गांठ कर सकें, मुसलमानों में मिलकर रहने का अवसर मिले और अपने जान व माल की उनसे हिफ़ाज़त हो सके। इस कारण एक मुनाफ़िक ज़ाहिर में अल्लाह तआला, उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों और रसूलों और आख़िरत के दिन पर ईमान का प्रकाशन करता है, लेकिन भीतरी तौर पर इन चीज़ों से ख़ाली होता है, बल्कि इन हक़ीक़तों को झुठलाता है। अल्लाह तआला पर ईमान लाता है न इस बात पर कि अल्लाह तआला ने अपने एक बन्दे पर अपना पवित्र कलाम उतारा है और उसको रसूल बनाया है ताकि वह उसकी इजाज़त से लोगों को हिदायत करे, उसकी पकड़ से ख़बरदार करे, उसकी यातना से डराये। अल्लाह तआला ने पवित्र क़ुरआन में मुनाफ़िक़ों के पर्दे को और उनके भीतरी भेद को खोल दिया है और अपने बन्दों पर उनके व्यवहार को ज़ाहिर कर दिया है, ताकि वह भी निफाक़ और निफ़ाक़ वालों से डरते रहें।

अल्लाह तआला ने सूर : बक़रा के शुरू में लोगों के तीन दर्जों का चर्चा किया है। मोमिनीन, कुफ़्फ़ार और मुनाफ़िक़ीन। मोमिनों के सिलसिले में चार आयतें उतरी हैं। काफ़िरों से संबंधित दो आयतें, जबकि मुनाफ़िक़ीन के बारे में तेरह आयतें उतरीं। और यह केवल मुनाफ़िक़ो की अधिकता, लोगों में निफाक़ के फैलाने और इस्लाम और इस्लाम वालों के लिए बड़ा फ़ित्ना साबित होने की वजह से, मुनाफ़िक़ों की शरारतों के कारण इस्लाम को बहुत दुख सहने पड़े हैं। इसलिए कि यह इस्लाम के हक़ीक़ी और कट्टर दुश्मन होने के बावजूद इस्लाम से संबंधित होते हैं। इस्लाम के सहायक व मददगार समझे जाते हैं। नए नए तरीक़े यह मुनाफ़िक़ीन अपनी दुश्मनी के निकालते हैं, जिसे जाहिल लोग यह समझते हैं कि यह लोग दीन में ज्ञान व सुधार की बातें करते हैं जबकि हक़ीक़त में वह सुधार नहीं हद दर्जा की जहालत अज्ञानता और दीन के चेहरे को बिगाड़ना होता है।

निफ़ाक़ की छः क़िस्में हैं—

(1) नबी सल्ल० को झुठलाना।

(2) नबी सल्ल० की लाई हुई शरीअत के कुछ हिस्सों को झुठलाना।

(3) नबी सल्ल० से बैर रखना।

(4) नबी सल्ल० की लाई हुई शरीअत से बैर रखना।

(5) नबी सल्ल० के लाए हुए दीन के ज़वाल (अवनति) से ख़ुश होना।

(6) नबी सल्ल० के दीन की अधिकता व तसल्लुत से दुःख और रंज व ग़म होना।

(2) अमली निफ़ाक़—इससे मुराद दिल में ईमान के साथ-साथ मुनाफ़िक़ों के अमलों में से कुछ का करना।

इस निफ़ाक़ से आदमी दीन के दाइरे से नहीं निकलता है लेकिन दीन के दाइरे से निकलने का रास्ता हमवार करता है, ऐसे आदमी के अन्दर ईमान व निफ़ाक़ दोनों होते हैं, जब निफ़ाक़ का पल्ला भारी होता है तो वह ख़ालिस मुनाफ़िक़ हो जाता है।

इसकी दलील रसूलुल्लाह सल्ल० का यह फ़रमान है "चार चीज़ें हैं जिसके अन्दर होंगी वह ख़ालिस मुनाफ़िक़ होगा और जिसके अन्दर उनमें से एक होगी उनमें निफ़ाक़ की एक आदत होगी, यहाँ तक कि उसे छोड़ दे (वह यह हैं) जब धरोहर (अमानत) धरोहर रखी जाये तो विश्वासघात (ख़ियानात) करे, और जब बात करे तो झूठ बोले, और जब अहद (इक़रार) करे तो वादा ख़िलाफ़ी करे, और जब झगड़ा करे तो गाली-गुलूज पर उतर आये। (बुख़ारी व मुस्लिम)

इस कारण जिसके अन्दर यह चारों आदतें इकट्ठा हो जायें उसके अन्दर सारी बुराइयाँ एकत्र हो जाती हैं और उसके अन्दर मुनाफ़िक़ीन की सारी सिफ़ात इकट्ठा हो जाती हैं। और जिसके अन्दर उनमें से एक हो उसके अन्दर निफ़ाक़ की एक आदत होती है। ऐसा भी होता है कि एक आदमी के अन्दर कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं और कुछ बुरी आदतें भी, और अपने अच्छे बुरे अमल के एतिबार से सवाब व अज़ाब का हक़दार होता है। निफ़ाक़े अमली में जमाअत के साथ नमाज़ में सुस्ती भी दाख़िल है इसलिए कि यह मुनाफ़िक़ीन की सिफात में से है, निफ़ाक़ बुरी और भयंकर चीज़ है। यही कारण था कि सहाबए किराम रज़ि० निफ़ाक़ से बहुत अधिक डरते रहते थे। हज़रत इब्ने अबी मलीका का कहना है कि मैंने तीस सहाबा किराम को देखा है और सबको अपने ऊपर निफ़ाक़ से डरते हुए पाया है।

निफ़ाक़े अक्बर व निफ़ाक़े अस्ग़र के बीच अन्तर

(1) निफ़ाक़े अक्बर एक मुसलमान को दीन के दाइरे से बाहर कर देता है जबकि निफ़ाक़े अस्ग़र एक मुसलमान को दीन के दाइरे से बाहर नहीं करता।

(2) निफ़ाक़े अक्बर में विश्वास व अक़ीदे के अन्दर ज़ाहिर व बातिन (छिपे) में मतभेद होता है और निफ़ाक़े अस्ग़र में विश्वास व अक़ीदे के बजाए अमलों के अन्दर ज़ाहिर व बातिन में मतभेद होता है।

(3) निफ़ाक़े अक्बर एक मोमिन से सादिर नहीं हो सकता, लेकिन निफाक़े अस्ग़र मोमिन बन्दे से सादिर हो सकता है।

(4) निफ़ाक़े अक्बर वाला आम तौर पर तौबा नहीं कर पाता है, यदि तौबा कर भी लिया तो अल्लाह तआला के यहाँ उसकी क़बूलियत के बारे में मतभेद है, जबकि निफ़ाक़े अस्ग़र वाले को अक्सर तौबा की तौफ़ीक़ मिल जाती है और अल्लाह तआला उसकी तौबा को क़बूल भी कर लेता है।

अल्लामा शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहि० फ़रमाते हैं : अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि एक मोमिन बन्दा निफ़ाक़ के किसी अंग में फस जाता है, और फिर अल्लाह तआला उसकी तौबा क़बूल कर लेता है। कभी उसके दिल में ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें निफ़ाक़ ज़रूरी आता है लेकिन अल्लाह तआला उस चीज़ को उसके दिल से ख़त्म फ़रमा देता है।

एक मोमिन बन्दे को कभी शैतान के वस्वसों और कभी कुफ़्र के वस्वसों से पाला पड़ता है, जिससे उसके दिल में घुटन पैदा होती है जैसे कि सहाबाए किराम रज़ि० ने कहा था कि ऐ अल्लाह के रसूल! हम में से कुछ लोग अपने दिल में ऐसी चीज़ महसूस करते हैं कि उसको बोलने से वह आसमान से ज़मीन पर गिरकर मर जाने को अच्छा मानते हैं, (यह सुनकर) नबी सल्ल० ने फ़रमाया : यह ईमान की खुली हुई निशानी है। (मुस्लिम, अहमद)

एक और रिवायत के शब्द यह हैं :

वह अपने दिल की बात को ज़बान से बोलना बहुत ही भयंकर समझते हैं। (यह सुनकर) आप सल्ल० ने फ़रमाया : अल्लाह की हज़ार-हज़ार प्रंशसा कि उसने एक साज़िश को वस्वसा में बदल दिया, अर्थात् इस नफ़रत के बावजूद इस तरह के वस्वसा का हासिल होना फिर उसको अपने दिल में ख़त्म करना ईमान की खुली दलील है।

और जहाँ तक निफ़ाक़े अक्बर का संबंध है तो इसमें फंसे लोगों के बारे में

अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

(यह) बहरे हैं, गूँगे हैं, अंधे हैं कि (किसी तरह सीधे रास्ते की ओर) लौट ही नहीं सकते। (बक़रा : 18)

अर्थात् यह बातिनी तौर पर इस्लाम की ओर नहीं लौटेंगे। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तआला का इर्शाद है :

क्या यह देखते नहीं कि यह हर वर्ष एक या दो बार मुसीबत में फंसा दिए जाते हैं फिर भी तौबा नहीं करते और न नसीहत पकड़ते हैं। (तौबा : 126)

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहि० फ़रमाते हैं : बज़ाहिर उनकी तौबा क़बूल होने के बारे में उलमा का मतभेद है, इसलिए कि उनकी भीतरी हालत का पता चलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि वह तो हमेशा इस्लाम ही का प्रकाशन करते हैं। (मजमूउल फ़तावा 28/434/435)

❁❁❁❁

पांचवां विषय

जाहिलीयत, फ़िस्क़, ज़लालत, इरतिदाद इनकी हक़ीक़तों और क़िस्मों व हुक्मों का बयान

(1) जाहिलीयत—अल्लाह तआला, उसके रसूल और दीन व शरीअत से अपरिचित, ख़ानदान पर बेजा गुरूर व घमंड और गर्व की जिस हालत में अरब के लोग इस्लाम से पहले फंसे थे, उस हालत को जाहिलीयत कहा जाता है ।

(अन्निहायतु लिइब्निल असीर 1, 323)

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहि० फ़रमाते हैं : यदि किसी को हक़ का ज्ञान नहीं तो वह ख़ालिस में फंसा है और यदि उसका अक़ीदा हक़ के विरुद्ध है तो वह जहालत में फंसा है और यदि कोई हक़ का ज्ञान रखते हुए हक़ के ख़िलाफ़ बात करता है या हक़ के ज्ञान के बिना हक़ के ख़िलाफ़ बात करता है तो वह भी जाहिल है । यह ज़ाहिर हो जाने के बाद मालूम हुआ कि नबी सल्ल० के आने से पहले लोग ऐसी जाहिलीयत में थे जो जहल से संबंधित है । यह सारी बातें और काम किसी जाहिल की ईजाद थी और जाहिल लोग किया करते थे ।

इसी तरह हर वह चीज़ जो रसूलों की लाई हुई शरीअतों के विरुद्ध है यदि वह इस्लाम से पहले की बात है तो उस ज़माने में उस ज़माने की शरीअत (यहूदीयत व नस्रानीयत) के विरुद्ध जो चीज़ थी वह जाहिलीयत थी । उसे आम जहालत कहा जाता है । लेकिन रसूलुल्लाह सल्ल० के आने के बाद यह जाहिलीयत आम नहीं है बल्कि कहीं होगी कहीं नहीं होगी जैसे कि कुफ़्र व शिर्क के देशों की ज़ाहिलीयत है, इस तरह यह लोगों में होगी जमाअतों में नहीं, किसी आदमी के इस्लाम क़ुबूल करने से पहले की ज़िन्दगी को हम जाहिलीयत कह सकते हैं चाहे वह इस्लाम के मुल्क ही में क्यों न हो लेकिन आम ज़माने के एतिबार से रसूलुल्लाह सल्ल० के आने के बाद आम जाहिलीयत न होगी । इसलिए कि अब क़ियामत तक हर ज़माने में उम्मते मुहम्मदिया की एक (जमाअत) हक़ पर क़ाइम होगी, लेकिन कुछ कुछ जाहिलीयत मुक़य्यदा अब भी कुछ मुस्लिम मुल्कों में और बहुत से मुसलमानों में पाई जा सकती है । जैसा कि नबी सल्ल० का इर्शाद है:

"मेरी उम्मत में चार चीज़ें जाहिलीयत की निशानी हैं (मुस्लिम) एक बार हज़रत अबूज़र रज़ि० से फ़रमाया : तुम ऐसे आदमी हो जिसमें अभी तक जाहिलीयत की भनक मौजूद है ।" (बुख़ारी मुस्लिम)

1. निचोड़

जाहिलीयत की निस्बत जहल की ओर है जो अज्ञान का दूसरा नाम है। इसकी दो क़िस्में हैं—

(1) **आम जाहिलीयत**—इससे मुराद नबी सल्ल० के आने से पहले का ज़माना व हालत है और जो नबवी सल्ल० के आने से ख़त्म हो गई है।

(2) **ख़ास जाहिलीयते**—यह जाहिलीयत हमेशा की तरह अब भी कुछ देशों, कुछ शहरों और कुछ लोगों के अन्दर बाक़ी है, इससे उन लोगों की भूल खुलकर सामने आ जाती है जो जाहिलीयत को इस समय तक आम करना चाहते हैं और कहते हैं इस युग (सदी) की जाहिलीयत या इस जैसे वाक्य।

जबकि सही वाक्य इस तरह कहा जा सकता है, इस युग (ज़माने) के कुछ लोगों की जाहिलीयत या इस युग के अक्सर लोगों की जाहिलीयत। जहाँ तक आम होने का मसला है, तो यह सही नहीं और न ही जाइज़ है इसलिए कि नबी सल्ल के आने के कारण यह आम जाहिलीयत ख़त्म हो चुकी है।

2. फ़िस्क़

लुग़त में फ़िस्क़ का अर्थ निकलने के हैं।

और शरई परिभाषा में फ़िस्क़ से मुराद है अल्लाह की उपासना व बंदगी से निकलना। इसमें पूरे तौर पर निकलना भी शामिल है। इस कारण काफ़िर को भी फ़ासिक़ कह दिया जाता है। इसी तरह इससे थोड़ा-सा निकलना भी मुराद है, इस कारण एक मोमिन से यदि कोई कबीरा (बड़ा) गुनाह हो जाता है तो उसे फ़ासिक़ कह दिया जाता है।

फ़िस्क़ की दो क़िस्में हैं—

पहली क़िस्म—वह फ़िस्क़ जिससे आदमी दीन के दाइरे से बाहर हो जाता है, इसे कुफ़्र भी कहते हैं। इसी कारण काफ़िर को भी फ़ासिक़ कह दिया जाता है, अल्लाह तआला ने इब्लीस की चर्चा करते हुए फ़रमाया :

तो अपने रब की आज्ञा से बाहर हो गया। (कहफ़ : 50)

इस फ़िस्क़ के ज़रिये इबलीस ने कुफ़्र किया था। अल्लाह तआला का इस बारे में यह भी इर्शाद है :

और जिन्होंने अवज्ञा की उनके रहने के लिए जहन्नम है। (सजदा : 20)

इससे मुराद कुफ़्फ़ार हैं, इसकी दलील अल्लाह का यह इर्शाद है :

जब चाहेंगे कि उसमें से निकल जायें तो उसमें लौटा दिये जायेंगे और उनसे कहा जायेगा कि जहन्नम के जिस अज़ाब को तुम झूठ समझते थे उसका मज़ा चखो। (सजदा : 20)

दूसरी क़िस्म—अपराधी मुसलमान को भी फ़ासिक़ कह दिया जाता है, लेकिन उसका फ़िस्क़ उसे इस्लाम से नहीं निकालता। इर्शादे बारी तआला है :

और जो लोग परहेज़गार औरतों को बदचलनी का आरोप लगायें और उस पर चार गवाह न लायें तो उनको अस्सी दुर्रे मारो, और कभी उनकी गवाही क़बूल न करो और यही बदचलन हैं। (नूर : 4)

यह भी फ़रमाया :

तो जो आदमी इन महीनों में हज की नीयत करे, तो हज (के दिनों) में न औरतों से सुहबत करे और न कोई बुरा काम करे न किसी से झगड़े।

(बक़रा : 197)

उलमाए किराम ने फ़िस्क़ की व्याख्या में इसका अर्थ पापी व गुनाहगार के बताये हैं। (किताबुल ईमान लिल इमाम इब्ने तयमिया पृष्ठ 278)

3. ज़लालत

ज़लालत कहते हैं सीधे रास्ते से हट जाने को, यह हिदायत का विलोम है। आयते क़रीमा है :

जो आदमी हिदायत इख़्तियार करता है तो अपने लिए इख़्तियार करता है और जो गुमराह होता है तो गुमराही का नुक़सान भी उसी को होगा। (बनी इस्राईल : 15)

ज़लालत के अनेक अर्थ हैं—

(1) इसे कुफ़्र पर भी बोला जाता है।

इर्शाद बारी तआला है :

और जो आदमी अल्लाह और उसके फ़रिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और क़ियामत के दिन से इन्कार करे वह रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ा। (निसा : 136)

(2) कभी इसे शिर्क पर भी बोला जाता है :

और जिसने अल्लाह के साथ साझी बनाया वह राह से दूर जा पड़ा।

(निसा : 116)

(3) कभी इसे उस मुख़ालिफ़त पर भी बोला जाता है जिससे कुफ़्र लाज़िम नहीं आता।

(4) ग़लती पर भी इसे बोला जाता है। हज़रत मूसा अलैहि० का फ़रमान क़ुरआन में यूं बयान हुआ है :

(मूसा ने) कहा कि (हाँ) यह काम मुझसे अनायास हो गई थी और मैं अपराधियों में था। (शुअरा : 20)

(5) कभी भूल-चूक पर भी इसे बोला जाता है, इर्शाद बारी है :

एक भूल जायेगी तो दूसरी उसे याद दिला देगी। (बक़रा : 282)

(6) ज़लाल कभी ग़ाइब होने और कभी गुम होने पर भी बोला जाता है।

(अल मुफ़रिदातु लिर्राग़िब : 297-298)

इर्तिदाद–उसकी क़िस्में व हुक्म

लुग़त में इर्तिदाद (लौटने) पलटने को कहते हैं, इर्शाद बारी है :

और देखना मुक़ाबले के वक़्त पीठ न फेरना। (माइदा : 21)

और शरीअत की परिभाषा में इर्तिदाद कहते हैं इस्लाम लाने के बाद कुफ़्र इख़्तियार करने को। इर्शाद बारी है :

और जो कोई तुममें से अपने दीन से फिर (कर काफ़िर हो) जायेगा और काफ़िर ही मरेगा तो ऐसे लोगों के अमल दुनिया व आख़िरत दोनों में बरबाद हो जायेंगे, और यही लोग जहन्नम (में जाने) वाले हैं, जिसमें हमेशा रहेंगे।

(बक़रा : 217)

इर्तिदाद की क़िस्में

इस्लाम को नुक़सान पहुँचाने वाले कामों में से किसी काम को करने से इर्तिदाद ज़रूरी आता है और उसकी चार क़िस्मे हैं—

(1) **क़ौली इर्तिदाद** : जैसे अल्लाह तआला, उसके रसूल या उसके फ़रिश्ते या पहले नबियों में से किसी नबी को बुरा भला कहना या ग़ैब के ज्ञान का दावा करना या नबूवत का दावा करना, या जो नबूवत का दावा करे उसको हक़ मानना या अल्लाह के अलावा से दुआ करना, उससे मदद चाहना जबकि उसपर अल्लाह तआला के अलावा कोई क़ादिर (शक्तिमान) नहीं या फिर किसी मुआमले में अल्लाह के अलावा से पनाह मांगना आदि।

(2) **अ़मली इर्तिदाद** : इसकी मिसाल—मूर्ति, पेड़ व पत्थर, मज़ारों व क़ब्रों का सज्दा करना, उसके लिए क़ुर्बानी करना, गंदी जगहों पर पवित्र क़ुरआन रखना, जादूगरी करना, उसको सीखना और सिखाना, अल्लाह तआला की उतारी हुई

शरीअत के अलावा दूसरे नियमों के अनुसार फ़ैसला देना और शरीअत के अलावा इन्सानी नियम को ही समस्या का समाधान समझना आदि।

(3) **एतिक़ादी इर्तिदाद** : जैसे अल्लाह तआला के साथ किसी और की साझेदारी का अक़ीदा या फिर इसका अक़ीदा कि ज़िना, शराब और सूद हलाल है या फिर रोटी हराम है। या नमाज़ वाजिब नहीं, इस तरह की तमाम वह चीज़ें जिनके हलाल व हराम या वाजिब होने पर उम्मत का निश्चित इजमाअ है और उससे कोई आदमी अपरिचित नहीं है।

(4) **इर्तिदाद संदेह के कारण** : किसी ऐसी चीज़ में संदेह के ज़रीये इर्तिदाद करना जिसकी चर्चा पीछे गुज़र चुकी है। जैसे शिर्क के हराम होने में संदेह करना, ज़िना व शराब के हराम होने में संदेह करना या रोटी के हलाल होने में संदेह करना, या रसूलुल्लाह सल्ल० की रिसालत या दूसरे नबियों में से किसी की रिसालत पर संदेह करना या उनकी सच्चाई पर संदेह करना या दीने इस्लाम में संदेह करना या मौजूदा दौर में उसके नियमों को लागू करने पर संदेह करना आदि।

इर्तिदाद स्थिर हो जाने के बाद उस पर लागू होने वाला हुक्म (आदेश)

(1) मुर्तद को तौबा की दावत दी जाएगी यदि तीन दिन के अन्दर तौबा कर ले और इस्लाम को गले से लगा ले तो उसकी तौबा क़बूल के क़ाबिल समझी जाएगी और उसे छोड़ दिया जायेगा।

(2) और यदि तौबा करने से इन्कार करे तो उसका क़त्ल वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्ल० का इर्शाद है : "जो अपने दीन से फिर जाये उसे क़त्ल कर दो।"
(बुख़ारी व अबू दाऊद)

(3) तौबा की तरफ़ दावत के दौरान उसको अपने माल पर परिवर्तन करने नहीं दिया जायेगा, यदि दोबारा इस्लाम क़बूल कर ले तो वह माल उसका ही होगा और दूसरी सूरत में यह माल मुसलमानों के बैतुलमाल में दाख़िल कर दिया जायेगा और यह उस सूरत में होगा जबकि इर्तिदाद पर ही उसकी मौत या क़त्ल हो। कुछ लोगों का कहना है कि मुर्तद (धर्म भ्रष्ट) होते ही उसके माल व दौलत को मुसलमानों के काम में लगा दिया जायेगा।

(4) मुर्तद की विरासत ख़त्म हो जायेगी, अर्थात् न उसके क़रीबी उसके वारिस होंगे और न ही वह किसी का वारिस होगा।

(5) इर्तिदाद की हालत में मरने या क़त्ल होने की सूरत में उसको ग़ुस्ल नहीं दिया जायेगा, न ही उस पर जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जायेगी, मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफ़नाया भी नहीं जायेगा, बल्कि काफ़िरों जैसी उसकी आख़िरी रस्म अदा की जायेगी या फिर मुस्लिम क़ब्रिस्तान के अलावा किसी दूसरी जगह मिट्टी के नीचे दाब दिया जाएगा।

❁❁❁❁

दूसरा अध्याय
इसमें अनेक विषय हैं

पहला विषय

हथेली व प्याली आदि पढ़कर और सितारों को देख कर ग़ैब के ज्ञान का दावा करना

ग़ैब का अर्थ : भूतकाल (माज़ी) व भविष्यकाल (मुस्तक़बिल) की जो चीज़ें लोगों से ग़ाइब व पोशीदा हों या आँखों से ओझल हों उन्हें ग़ैब कहा जाता है, उनका ज्ञान केवल अल्लाह तआला ही को है।

इर्शाद बारी तआला है :

कह दो कि जो लोग आसमानों और ज़मीन में हैं अल्लाह के अलावा ग़ैब की बातें नहीं जानते। (नमल : 65)

ग़ैब का ज्ञान केवल अल्लाह तआला को है फिर वह अपने इस ग़ैबी ज्ञान में से अपने नबियों, रसूलों में से जिसको चाहता है उसको हिक्मत व मस्लहत की बिना पर प्रदान करता है, आयते करीमा है :

(वही) ग़ैब (की बातें) जानने वाला है और किसी पर अपने ग़ैब को ज़ाहिर नहीं करता (हाँ) जिसको रसूलों में से पसन्द फ़रमाये तो उसके आगे ग़ैब की बातें बता देता है। (जिन : 26-27)

अर्थात् ग़ैबी बातों में से कुछ का ज्ञान केवल उसी को प्रदान होता है जिसे अल्लाह तआला अपनी रिसालत के लिए चुन लेता है इस कारण उस श्रेष्ठ, महात्मा बन्दे पर वह जितना चाहता है ग़ैब के ज्ञान में से प्रदान करता है।

इसलिए कि एक नबी को मोजिज़ों (चमत्कार) के ज़रीए अपनी नबूवत की दलील पेश करनी पड़ती है, इन्हीं मोजिज़ात में से उस ग़ैब की ख़बर देना भी है जिस पर अल्लाह तआला उसको सूचित फ़रमाता है। इस चीज़ में अल्लाह तआला के भेजे हुए फ़रिश्ते व इन्सान दोनों बराबर के शरीक होते हैं, क़ुरआन व हदीस की खुली दलीलों के आधार पर कहा जा सकता है कि कोई तीसरी मख़्लूक़ इसमें शरीक नहीं होती, इस कारण नबियों, रसूलों को छोड़कर किसी को किसी भी ज़रीये व वसीले की बिना पर ग़ैब के ज्ञान का दावा है तो वह झूठा व काफ़िर है, चाहे उसका दावा हथेली पढ़ कर हो या प्याली पढ़कर या फिर कहानत व जादू

और ज्योतिष विज्ञान आदि के ज़रीये इस तरह की चीज़ें आज बहुत सारे बाज़ीगर और धोखेबाज़ लोगों की ओर से सामने आ रही हैं जो आम तौर पर गुम हुई चीज़ों के बारे में ख़बर देने का प्रयास करते हैं। कुछ बीमारियों के ग़लत कारण बताते हैं। आमतौर पर जिनका कहना होता है, फ़लां ने तुमको कुछ कर दिया है इसी कारण तुम बीमार पड़े हो, ऐसा जिन व शैतान की ख़िदमत हासिल करने पर भी होता है, लेकिन लोगों के सामने इसका प्रकाशन करते हैं कि फ़लां फ़लां अमल के ज़रिये यह सब कुछ बताया जा रहा है। इस तरह की सारी चीज़ें सरासर धोखा व झूठ हैं।

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तयमिया इस बारे में फ़रमाते हैं "हर काहिन के पास शैतानों में से एक वेताल (मुवक्किल) होता था जो उसे आसमान से चुरा कर बहुत-सी पोशीदा चीज़ों के बारे में बता देता था, उसमें भी वह सच के साथ झूठ मिला कर बताता था, इन्हीं मुवक्किल शैतानों में से कुछ तो फल फ़रूट मलाई और भोजन आदि भी हाज़िर कर देता था, उनमें से कुछ तो अपने मुवक्किल के सहारे मक्का, मदीना और दूसरे पवित्र जगहों तक उड़ कर चला जाता।"

(मजमूअतुत्तौहीद : 797)

ग़ैब से संबद्ध इस तरह की ख़बर देना ज्योतिष विज्ञान (इल्मे नुजूम) के ज़रीये भी होती है इसमें आकाश के सितारों को देख कर ज़मीन के हादिसे पर दलील पकड़ी जाती है जैसे : हवा चलने का वक़्त, बारिश का वक़्त, भावों में उतार व चढ़ाव आदि। यह वह चीज़ें हैं जिनके बारे में ज्योतिषियों का दावा है कि वह सितारों का चक्कर, उनकी चाल-ढाल, जुदाई व मिलाप को देख कर मालूम किया जा सकता है, उनका कहना है : जिसने फ़लां सितारे पर शादी की तो उसके साथ फ़लां चीज़ें पेश आएंगी, जिसने फ़लां सितारे के वक़्त सफ़र किया तो उस को फ़लां फ़लां चीज़ों का सामना होगा, फ़लां फ़लां सितारे के वक़्त जिसके यहाँ पैदाइश हुई उसको बरकत व नहूसत में से फ़लां फ़लां चीज़ें प्राप्त होंगी, आज कल कुछ ग़ैर मुहज़्ज़ब (फ़ुहश) रसाइल व जराइद (पर्चों) में इस तरह की बेकार चीज़ें सितारों और सितारों से संबद्ध क़िस्मत के बारे में ख़ूब छप रही हैं।

हमारे यहाँ के कुछ बेवक़ूफ़, अनपढ़ और कमज़ोर ईमान वाले इस तरह के ज्योतिषियों के पास जाते हैं उनसे अपने जीवन में आगे आनेवाली बातों के बारे में मालूम करते हैं, शादी के संबद्ध में आनेवाली बातें मालूम करने की कोशिश करते हैं। जबकि इसके बारे में शरीअत का स्पष्ट बयान है कि जो कोई भी इल्मे ग़ैब का दावा करेगा या दावा करने वाले की तस्दीक़ करेगा (सच्चा मानेगा) वह पूरे

तौर से मुशिरक व काफ़िर होगा, इसलिए कि वह इस तरह अल्लाह तआला की ख़ास सिफ़ात में साझेदारी का दावा करता है। सितारे अल्लाह तआला के अधीन व आज्ञाकारी हैं, मख़्लूक़ हैं उनके बस में कुछ भी नहीं है वह नेक शुगून व बद शुगून, जीवन, मरण किसी चीज़ पर दलालत (निशानदेही) नहीं करते, यह सब उन शैतानों की हरकतें हैं जो आसमान की ख़बरें चुराने की कोशिश करते हैं।

दूसरा विषय

जादू काहिन और ज्योतिषी का धंधा

यह सारे अमल और काम हराम और शैतान की ईजाद हैं, जो अक़ीदे में ख़राबी डालते हैं या उसमें खोट पैदा करते हैं इसलिए कि वह चीज़ें बिना शिर्किया अमलों के हासिल नहीं होतीं।

(1) सिह्र (जादू) एक सिफ़्ली अ़मल है जिसके अस्बाब बहुत ही पोशीदा और बारीक होते हैं।

इसे सिह्र इसलिए कहा जाता है कि यह सिफ़्ली अमलों से वुजूद में अता है जिसे हमारी आँखें नहीं देख सकतीं, सिह्र में मन्तर, झाड़ फूँक, कुछ वाक्य, जड़ी बूटी व घूनी आदि सब सम्मिलित होते हैं, सिह्र के वुजूद में कोई संदेह नहीं, कुछ सिह्र दिलों में असर करता है और कुछ बदनों में, जिसके असर से आदमी बीमार पड़ जाता है और कुछ मर भी जाते हैं, इससे आदमी और उसकी पत्नी के बीच जुदाई भी कर दी जाती है। सिह्र का असर अल्लाह तआला की तक़दीरी व काइनाती इजाज़त से है। यह बिल्कुल शैतानी अमल है।

कुछ लोग तो सिह्र (जादू) सीखने के लिए शिर्क और बदरूहों से नज़दीकी की बहुत-सी मंज़िलें तय करते हैं, फिर शिर्क के ज़रीये उन बदरूहों की ख़िदमत हासिल करते हैं, इसीलिए शरीअत ने शिर्क के संबंध में इसकी चर्चा की है। रसूलुल्लाह सल्ल० का इर्शाद है : "सात मार डालने वाली चीज़ों से बचो, लोगों ने पूछा : यह सात चीज़ें क्या हैं? ऐ अल्लाह के रसूल! तो आप सल्ल० ने फ़रमाया : अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना और जादू। (बुख़ारी मुस्लिम)

सिह्र (जादू) दो एतिबार से शिर्क में दाख़िल है। पहला—इसमें शयातीन की ख़िदमत हासिल की जाती है शैतानों से संपर्क क़ाइम किया जाता है, शैतानों की ख़िदमत में उनकी पसन्दीदा चीज़ें पेश की जाती हैं, ताकि वह जादूगर की सेवा में लगे रहें। जादू शैतानों की शिक्षा में से है। इर्शाद बारी तआला है :

बल्कि शैतान ही कुफ़्र करते थे, लोगों को जादू सिखाते थे। (बक़रा : 102)

दूसरा—इसके शिर्क होने की दूसरी दलील यह है कि इसमें इल्मेग़ैब का दावा किया जाता है और उसमें अल्लाह तआला के साथ भागीदार होने का भी दावा होता है, जो सरासर कुफ़्र व गुमराही है। इर्शाद बारी तआला है :

और वह जानते थे कि जो आदमी ऐसी चीज़ों (अर्थात् जादू मन्तर आदि) का ख़रीदार होगा उसका आख़िरत में कुछ हिस्सा नहीं। (बक़रा : 102)

जब मुआमला ऐसा है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सरासर कुफ़्र व शिर्क है जो अक़ीदे के ख़िलाफ़ है ऐसे कामों के करने वाले का क़त्ल वाजिब है, जैसे सहाबए किराम रज़ि० की एक जमाअत ने जादूगरों को क़त्ल किया है। आजकल लोग जादू और जादूगरों के मुआमले में सुस्ती व ढील बतरने लगे हैं बल्कि उसे अब ऐसी कारीगरी शुमार कर ली गई है जिस पर लोग गर्व करते हैं और कारीगरों की हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए उन्हें बड़े-बड़े पुरस्कार दिये जाते हैं, और जादूगरों के सम्मान में महफ़िलें जमती हैं, हज़ारों अभिलाषियों को दावत देकर उनकी जादूगरी दिखाई जाती है उनके बीच मुकाबले कराए जाते हैं। यह सारे दोष दीन से अपरिचित और अक़ीदे के मुआमले में ग़फ़लत व बेपरवाई का नतीजा हैं। जिससे कुछ खिलाड़ियों को दीन की बुनियादी बातों से खेलने का अवसर दिया जाता है।

भविष्य की बात बताने और ज्योतिषी का कारोबार

इन दोनों में इल्मे ग़ैब और ग़ैबी मुआमलों से परिचित होने का दावा किया जाता है, जैसे ज़मीन में क्या होने वाला है फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा, गुम हुई चीज़ कहाँ है आदि। इन सब कामों में शैतानों की ख़िदमत हासिल की जाती है, ख़ास तौर पर उन शैतानों की जो आसमान से ख़बरे चुराते हैं। अल्लाह तआला का इर्शाद है :

(अच्छा) मैं तुम्हें बताऊँ कि शैतान किस पर उतरते हैं हर झूठे, पापी पर उतरते हैं जो सुनी हुई बात (उसके कान में) ला डालते हैं और वह अक्सर झूठे हैं।

(शुअरा : 221-222)

यह सब कुछ इस तरह होता है कि शैतान फ़रिश्तों की बातों में से कुछ चोरी-छिपे सुन लेता है और काहिन के कान में डाल देता है फिर काहिन इस बात में अपनी ओर से सौ झूठ मिलाकर बयान करता है, फिर लोग उस एक सच बात के कारण उसकी सारी झूठ को सच मान लेते हैं जबकि इल्मेग़ैब की जानकारी केवल अल्लाह तआला को है। इस कारण यदि कोई दावा करता है कि कहानत या दूसरे ज़रीये से वह इस इल्म में अल्लाह का शरीक है या ऐसा कहने वाले को सच्चा मानता है तो वह अल्लाह तआला के साथ साझेदार होने का इक़रार करता है। स्वयं कहानत शिर्क से ख़ाली नहीं इसलिए कि इसमें शैतानों को उसकी पसन्दीदा चीज़ें पेश की जाती हैं यह अल्लाह तआला की रुबूबीयत में शिर्क है,

इसलिए कि इसमें अल्लाह तआला के इल्म में साझेदार होने का दावा किया जाता है, यह अल्लाह तआला की उलूहीयत में भी शिर्क है इसलिए कि इसमें इबादत के ज़रीये अल्लाह के अलावा की नज़दीकी हासिल की जाती है।

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : जो आदमी किसी काहिन के पास आता है उस की तस्दीक़ करता है हक़ीक़त में मुहम्मद सल्ल० पर जो कुछ उतरा उसका इनकारी है। (अबू दाऊद)

आज इस ओर ध्यान देने और लोगों को ध्यान दिलाने की ज़रूरत है कि जादूगर, काहिन और नुजूमी (ज्योतिषी) सब के सब आज हमारे अक़ीदे से खेल रहे हैं, जो अपने आपको डॉक्टरों की हैसियत से पेश करते हैं और मरीजों को ग़ैरुल्लाह (अल्लाह के अलावा) के लिए नज़र-व-नियाज़ और क़ुर्बानी का आदेश देते हैं जैसे : फ़लाँ फ़लाँ तरह का बकरा या मुर्ग़ा ज़ब्ह कीजिए। या फिर बीमारों के लिए शिर्किया जादू या शैतानी तावीज़ लिखते हैं फिर उसको तख़्तियों में सुरक्षित करके बीमारों की गर्दन में लटकाते हैं या घर के सन्दूक़ में रखवाते हैं। इसी तरह कुछ तो ग़ैब की ख़बर देने वाले और गुम हुई चीज़ों का पता बताने वाले की हैसियत से अपने आपको ज़ाहिर करते हैं फिर जाहिल व नादान लोग उसके पास आते हैं और गुम हुई चीज़ों के बारे में उन्हीं से पूछते हैं तो यह उनहें उनकी ख़बर देते हैं या अपने शैतानी मुवक्किलों के ज़रीये हाज़िर कर देते हैं। इसी तरह कुछ लोग करामत वाले और वली बन कर प्रकट होते हैं : जैसे आग उन पर असर नहीं करती, और न ही हथियार से उन्हें चोट लगती है, कभी-कभी यह स्वयं को गाड़ी के नीचे डाल देते हैं। इसके अलावा बहुत तरह की बाज़ीगरियां दिखाते हैं जो हक़ीक़त में जादू और शैतानी अमल होते हैं। ताकि लोग फ़िला व फ़साद में फंसें या फिर यह सब ख़याली अमलें हैं जिनकी कोई हक़ीक़त नहीं बल्कि गुप्त बहाने हैं, अभ्यास के साथ लोगों को दिखाते हैं, जैसे फ़िरऔन के जादूगरों ने लाठी और रस्सी के जादू दिखाए थे। शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहि० ने कुछ बतहाई अहमदी जादूगरों के साथ मज़हबी बहस में फ़रमाया था, शैख़ बतहाई ने ऊंची आवाज़ में कहा हमारे ऐसे ऐसे वृत्तांत, समाचार हैं फिर ख़ारिक आदात चीज़ों जैसे आग आदि के प्रभावों के हटाने का चर्चा करते हुए कहा : हमारे इन हालतों को मानना चाहिए, इस पर शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहि० ने ऊंची आवाज़ में और ग़ुस्सा होकर शैख़ बतहाई से फ़रमाया : मैं दुनिया के पूरब व पश्चिम के हर अहमदी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने आग में जो कुछ किया उसी तरह उसी चीज़ को मैं भी कर सकता हूं। और इसमें जो जल जायेगा

उसी को हार माननी पड़ेगी बल्कि मैं यह भी कहूँगा कि उस पर अल्लाह तआला की लानत हो और यह उस वक़्त होगा जब हमारे बदन सिर्का और गर्म पानी से धो दिये जायेंगे। यह सुनकार मुल्क के सरदारों और आम लोगों ने हमसे पूछा कि क्या बात है ? तो मैंने कहा कि उन लोगों के कुछ हीले, बहाने हैं जिनके ज़रीये वह आग में घुस जाते हैं : जैसे मेंढक का तेल, नारियल का छिलका और तलक़ पत्थर आदि से कुछ तैयार करके बदन पर मल लेते हैं, यह सुन कर लोगों ने शोर मचाया, उस पर उस आदमी ने आग में घुसने की अपनी ताक़त का प्रकाशन किया और कहा कि हम और आप कटहरे में लपेट दिये जायें और हमारे ज़िस्मों को (गंधक) सलाई से मल दिया जाये, मैंने कहा चलो ठीक है, फिर बार-बार मैं तगादा करता रहा, इस पर उसने अपना हाथ बढ़ाया ताकि क़मीस निकाले, मैंने कहा अभी नहीं, यहाँ तक कि हम गर्म पानी और सिर्का से नहा लें। फिर उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपने वहम का प्रकाशन किया और कहा : जो अमीर को चाहता है वह लकड़ी हाज़िर करे, उस पर मैंने कहा : लकड़ी लाते-लाते देर हो जायेगी लोग बिख़र जायेंगे, इससे अच्छा है कि एक क़िन्दील जला दी जाय, फिर मैं भी और तुम भी दोनों उसी में अपनी उंगलियाँ डालेंगे और यह काम उंगलियों को धोने के बाद होगा, उस पर जिसकी उंगली जलेगी अल्लाह तआला की उस पर लानत होगी या वह पराजित होगा। जब मैंने यह बात कही तो वह बदल गया, और अपमानित व बदनाम हुआ। (मज़मूउल फ़तावा, 11/465-446)

यह क़िस्सा बयान करने का उद्देश्य यह था कि इस तरह के धोखेबाज़ इस तरह के धोखा व कपट और पोशीदा चालों से आम लोगों को बेवक़ूफ़ बनाते हैं।

तीसरा विषय

क़ब्रों, मज़ारों पर नज़्र व नियाज़ और उनका सम्मान (ताज़ीम)

रसूलुल्लाह सल्ल० ने शिर्क के सारे रास्ते बंद फ़रमा दिये हैं शिर्क और शिर्किया कामों से बड़ी ताकीद के साथ मुसलमानों को ख़बरदार किया है। इस सिलसिले का पहला दरवाज़ा क़ब्रें हैं इसी कारण क़ब्र पर जाने और वहाँ दुआ करने के ऐसे नियम बना दिये हैं कि आदमी शिर्क से सुरक्षित हो जाये, इसी तरह वलियों और नेक लोगों की मुहब्बत व अक़ीदत में ग़ुलू (मुबालग़ा) से उम्मत को ख़बरदार फ़रमा दिया है।

(1) वलियों और नेक लोगों की अक़ीदत में ग़ुलू (मुबालग़ा) से ख़बरदार किया गया है इसलिए कि उनकी अक़ीदत में ग़ुलू होते होते उनकी इबादत होने लगती है। इर्शाद नबवी है :

"ग़ुलू से बचो इसलिए कि तुमसे पहले जो हलाक हुए वह दीन में ग़ुलू करने के कारण हलाक व बरबाद हुए हैं।" (अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

एक और जगह इर्शाद है :

"मेरी तारीफ़ में ग़ुलू व मुबालग़ा न करो जैसे कि ईसाइयों ने ईसा के लिए किया, इसलिए कि मैं अल्लाह का बन्दा हूँ, इस कारण मुझे अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल कहो।" (बुख़ारी)

(2) रसूलुल्लाह सल्ल० ने क़ब्रों को पक्की बनाने से रोका है जैसे कि हज़रत अबुल हयाजुल असदी रज़ि० से रिवायत है, आप कहते हैं कि हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ि० ने मुझसे कहा—क्या तुम्हें मैं उस युद्ध के लिए न भेजूं जिस युद्ध को विजय (फ़तेह) करने के लिए मुझे रसूलुल्लाह सल्ल० ने भेजा था वह यह कि जहाँ कहीं कोई मुजस्समा (मूर्ति) देखो उसे तोड़ डालो और जहाँ भी ऊंची क़ब्र देखो उसको बराबर कर दो। (मुस्लिम)

इसी तरह रसूलुल्लाह सल्ल० ने क़ब्रों को पक्की बनाने और उस पर निर्माण (तामीर) करने से सख़्ती के साथ रोका है, हज़रत जाबिर रज़ि० से रिवायत है उनका कहना है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने क़ब्र को पुख़्ता बनाने और उस पर बैठने या उस पर छत बनाने से मनाही फ़रमाई है। (मुस्लिम)

(3) क़ब्रों के पास नमाज़ पढ़ने से भी रसूलुल्लाह सल्ल० ने मनाही फ़रमाई है। हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं।

रसूलुल्लाह सल्ल० जब आख़िरी समय में बीमार हुए तो आप सल्ल० बराबर अपनी चादर मुंह पर डाले रहते जब इससे दुःख महसूस करते तो खोल देते, इस हालत में आप सल्ल० ने फ़रमाया : यहूद व ईसाइयों पर अल्लाह की फिटकार कि उन्होंने अपने नबियों की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया, आप सल्ल० अपनी उम्मत को इस चीज़ से ख़बरदार फ़रमा रहे थे यदि ऐसा न होता तो आप अपनी क़ब्र को ज़ाहिर फ़रमाते लेकिन आप सल्ल० को शंका थी कि लोग उसे मस्जिद न बना लें। (बुख़ारी मुस्लिम)

यह भी फ़रमाया :

"अच्छी तरह सुन लो कि तुमसे पहले की क़ौमें अपने नबियों की क़ब्रों को मस्जिद बना लेती थीं—ख़बरदार! क़ब्रों को सिज्दागाह (सजदे की जगह) न बनाना, मैं तुम्हें इस चीज़ से रोक रहा हूं।" (मुस्लिम)

क़ब्रों को मस्जिद बनाने का खुला मतलब है क़ब्रों पर नमाज़ पढ़ना, चाहे उस पर मस्जिद न हो, इस कारण हर वह जगह जो नमाज़ के लिए मख़सूस की जायेगी वह मस्जिद हो जायेगी। रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :

"पूरी ज़मीन मेरे लिए सिज्दागाह और पाकीज़ा (पवित्र) बना दी गई है।" (बुख़ारी)

इस कारण यदि उस पर मस्जिद बन जाये तो यह और बुरी बात है।

अक्सर लोगों ने इन हुक्मों का विरोध किया है। और रसूलुल्लाह सल्ल० ने जिन चीज़ों से रोका है उसी को किया है, इस तरह वह शिर्के अक्बर और शिर्किया अमलों में मुब्तला हो गए हैं, क़ब्रों पर मस्जिदें, मज़ारें और मुक़ामात बना लिए हैं और उन पर शिर्के अक्बर के काम हो रहे हैं, नज़्र व नियाज़ हो रहा है, क़ब्र वालों से मिन्नत व मुनाजात और मदद मांगना दुआ, सब कुछ हो रहा है।

अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहि: फ़रमाते हैं : यदि कोई आदमी क़ब्रों से संबंधित रसूलुल्लाह सल्ल० की सुन्नत और लोगों के मौजूदा अमलों को इकट्ठा करने की कोशिश करे तो दो मुख़ालिफ़ चीज़ों को एकत्र करने का अनुभव होगा, दो ऐसी चीज़ों का इकट्ठा करने वाला होगा जो कभी इकट्ठा नहीं हो सकतीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि रसूलुल्ला सल्ल० ने मज़ार के पास नमाज़ पढ़ने से मनाही फ़रमाई है, लेकिन यह लोग वहाँ ज़रूर नमाज़ पढ़ते हैं, इन्हें मस्जिद बनाने से रोका है लेकिन यह ज़रूर मस्जिद बनाते हैं और इन्हें यादगार का नाम देते हैं ताकि उन्हें अल्लाह तआला के घर का मद्दे मुक़ाबिल (सापेक्ष) बना दें, क़ब्रों पर चिराग़ जलाने से रोका है लेकिन यह लोग ज़रूर क़ब्रिस्तान में चरागाँ (दीप माला) करते हैं बल्कि

क़ब्रों पर चरागाँ करने के लिए माल व दौलत तक वक़्फ़ कर देते हैं, क़ब्रिस्तान या क़ब्र से संबंधित रंगरलियाँ मनाने या ख़ुशी का दिन मनाने से सख़्ती के साथ रोका है, लेकिन यह लोग ठीक ईद व बक़रा ईद की तरह ईद, रंगरलियाँ और उर्स मनाते हैं, क़ब्रों को बराबर करने का हुक्म है जैसा कि हज़रत अबुल हयाज अल असदी से रिवायत है उनका कहना है कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ि० ने मुझसे फ़रमाया : क्या मैं तुमको उस युद्ध के लिए न भेजूँ जिस युद्ध पर रसूलुल्लाह सल्ल० ने मुझे भेजा था, वह यह कि जहाँ कहीं भी कोई चित्र देखो मिटा दो और जहाँ कहीं कोई ऊँची क़ब्र देखो उसको बराबर कर दो। (मुस्लिम)

सहीह मुस्लिम में एक और रिवायत समामा बिन शफ़ी से आई है वह कहते हैं : हम फ़ज़ाला बिन अबीद के साथ रूम की ज़मीन में बरूदस नामक जगह पर थे कि हम में से एक का इन्तिक़ाल हो गया, उसके दफ़न के वक़्त हज़रत फ़ज़ाला ने उसकी क़ब्र को बराबर कर देने की आज्ञा दी, फिर कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० से सुना है कि आप सल्ल० ने क़ब्र को बराबर कर देने का हुक्म दिया, जबकि क़ुबूरी लोग इन दोनों हदीसों की शत्रुता व मुख़ालिफ़त पर तुले हुए हैं, घर की तरह क़ब्रों को ऊंची करने, उन पर गुंबद बनाने पर लगे हुए हैं। फिर अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने आगे फ़रमाया : रसूलुल्लाह सल्ल० की शरीअत और क़ब्रों से संबंधित रसूलुल्लाह सल्ल० के हुक्मों और मनाही और रोकी हुई बातों और आज के क़ुबूरी हज़रात की मनगढ़त शरीअत को देखो तो दोनों के बीच कितना अन्तर नज़र आयेगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह वह ख़राबियाँ हैं जिनकी संख्या बताना कठिन है, फिर आपने उन ख़राबियों की कुछ तफ़्सीली चर्चा की है, यहाँ तक कि आख़िर में फ़रमाया : ज़ियारते क़ुबूर की रसूलुल्लाह सल्ल० ने अनुमति दी और उसके संबंधित जो नियम रखे हैं वह केवल आख़िरत को याद दिलाने के लिए और क़ब्र वाले के साथ नेकी का व्यवहार करने के लिए अर्थात् उसके लिए दुआ की जाए, उसके लिए अल्लाह की रहमत मांगी जाये, उसके लिए मुआफ़ी माँगी जाये और आफ़ियत की दुआ की जाये। इन बातों की वजह से ज़ियारत करने वाला अपने लिए भी भलाई करता है और मुर्दे के लिए भी। लेकिन क़ुबूरी मुश्रिकों ने मुआमले को बिल्कुल पलट दिया, दीन को सिरे से बदल दिया, ज़ियारत का असली मक़्सद शिर्क को बना लिया, इसी कारण मुर्दे से और मुर्दे के वास्ते से दुआ की जाती है, उसी के वसीले से अपनी ज़रूरतों को माँगा जाता है, उनके वास्ते से बरकत उतारी जाती है दुश्मनों के ख़िलाफ़ मदद की दुआ की जाती है आदि, नऊज़ुबिल्लाहि मिन कुल्लि ज़ालिक। इन सब कामों के कारण यह लोग

अपने आप और मुर्दे को लाभ पहुँचाने के बजाए उलटे नुक़सान पहुँचा रहे हैं, इसमें यदि कुछ भी न हो फिर भी इस्लामी शरीअत की बरकत से महरूमी तो हो ही जाती है। (इग़ासतुल्लहफ़ान 1/214-217)

इन सबसे यह हक़ीक़त खुल कर सामने आ जाती है कि क़ब्रों और मज़ारों पर नज़्र व नियाज़ चढ़ाना, क़ुर्बानी करना शिर्के अक्बर है, जिसकी असली वजह क़ब्र से संबंधित रसूलुल्लाह सल्ल० की शरीअत और अमल से बैर है। आप सल्ल० ने क़ब्रों पर तामीर (निर्माण) से मनाही फ़रमायी है, उन पर मस्जिद बनाने से रोका है, इसीलिए कि जब उन पर क़ब्बे (गुंबद) बनाए जायेंगे तो फिर उनके चारों ओर सिज्दे आरम्भ हो जायेंगे या लोग नमाज़ पढ़ने लगेंगे, जिसे बेवक़ूफ़ लोग समझेंगे कि क़ब्र वाले हानि, लाभ पहुँचाते हैं और जो उनसे मदद चाहते उनकी मदद करते हैं, जो उनके पास जाते हैं वह उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं। यह सोचकर बेवक़ूफ़ लोग ख़ूब नज़्र व नियाज़ करते हैं जिनके कारण यह क़ब्रें आज बुत (मूर्ति) की बनावट इख़्तियार कर चुकी हैं और अल्लाह तआला को छोड़ कर उन्हीं की इबादत की जा रही है, जबकि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया था : "ऐ अल्लाह मेरी क़ब्र को उपासना (पूजा) का बुत न बनाना।" (मालिक, अहमद)

रसूलुल्लाह सल्ल० ने यह इसलिए फ़रमाया था कि बहुत-सी क़ब्रों का ऐसा हाल होने वाला था। आज इस्लामी दुनिया का जो हाल है वह किसी से पोशीदा नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्ल० ने जो दुआ की थी उसकी बरकत से आप सल्ल० के रौज़-ए-अतहर को अल्लाह तआला ने शिर्क से बचा रखा है, यद्यपि आज भी कुछ मूर्ख और उपद्रवी आप सल्ल० की हिदायत के विरोध कर डालते हैं, लेकिन रौज़-ए-अतहर तक नहीं पहुँच पाते, इसलिए कि आप सल्ल० का रौज़-ए-अतहर आप (सल्ल०) के घर में है, वह मस्जिद में नहीं है, उसके चारों ओर दीवारें चुन दी गई हैं। जैसे कि अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहि० ने अपनी कविता में फ़रमाया :

"दुनिया के पालनहार ने आपकी दुआ क़बूल कर ली और उसको तीन दीवारों से घेर दिया है।"
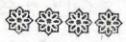
चौथा विषय

मुजस्समों (मूर्तियों) और यादगार निशानियों के सम्मान का आदेश

मूर्ति से मुराद इन्सानी या हैवानी (पाशव) या अन्य जानदार की शकल का मुजस्समा है मुश्रिकीने अरब उनके पास क़ुर्बानी किया करते थे, यादगार निशानियों से मुराद वह इन्सानी मुजस्समे हैं जो विभिन्न मैदानों और सड़कों के किनारे किसी लीडर और महान आदमी की यादगार में लगाये जाते हैं।

रसूलुल्लाह सल्ल० ने जानदार का चित्र बनाने से मना फ़रमाया है। ख़ास तौर से सम्मानित लोगों जैसे : उलमाए किराम, बड़े बादशाहों, पारसाओं, मुल्क व क़ौम के सरदारों आदि : चाहे वह तस्वीर (चित्र) किसी तख़्ती, काग़ज़, दीवार या कपड़े पर हाथ से बनाई हो या फिर आजकल के केमरे की या किसी चीज़ पर अंकित की गई हो या मुजस्समे की शकल में बनाई गई हो हर सूरत में हराम है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्ल० ने दीवार आदि पर तस्वीर लटकाने, किसी जगह मुजस्समा क़ाइम करने या यादगार निशानी रखने से रोका है इसलिए कि यह शिर्क का ज़रीया बनता है पहला शिर्क जो इस ज़मीन पर हुआ है वह चित्र और मुजस्समा लगाने के कारण ही हुआ है। वह इस तरह कि नूह अलैहि० की क़ौम में कुछ नेक लोग थे, जब उनकी मौत हुई तो लोगों को बड़ा दुख हुआ, इस कारण शैतानों ने उनके दिल में यह बात डाल दी कि वह जहाँ बैठा करते थे वहाँ उनके मुजस्समे लगा दो और उन पर उनका नाम लिख दो, इसलिए उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन वह मुजस्समे उस वक़्त पूजे नहीं गये थे, यहाँ तक कि जब वह नस्ल ख़त्म हो गई और लोग उन निशानियों की हक़ीक़त को भूल गए, तो उनकी पूजा शुरू हो गई। फिर जब अल्लाह तआला ने हज़रत नूह अलैहि० को भेजा और उन्होंने लोगों को उन मुजस्समों की वजह से उठने वाले शिर्क से रोका तो लोगों ने उनकी दावत क़बूल करने से इन्कार कर दिया, और उन्हीं मुजस्समों की इबादत में अड़े रहे जो बाद में बुत बन गये। आयते क़रीमा है :

और कहने लगे अपने माबूदों को कदापि न छोड़ना और वद और सुवाअ और यूग़स और यऊक़ और नस्र को कदापि न छोड़ना। (नूह : 23)

यह उन लोगों के नाम हैं जिनके मुज़स्समे बनाए गए थे, ताकि उनकी यादगार बाक़ी रहे और लोगों के दिलों में उनकी महानता क़ाइम रहे। हमें शिक्षा की नज़र

से देखना चाहिए कि अंततः उन मुजस्समों के लगाने का नतीजा क्या हुआ ? लोग शिर्क में फंस गए, अल्लाह तआला की, नबियों और रसूलों की अवज्ञा की, जिसके कारण वह तूफ़ान से हलाक हो गए, अल्लाह तआला और अल्लाह की मख़्लूक़ के नज़दीक मातूब (जिस पर गुस्सा हो) मग़ज़ूब (जिस पर ग़ज़ब हो) हुए। इस नतीजे से चित्र, फ़ोटो खिंचवाने और मुजस्समा लगाने के भयंकर होने को मालूम किया जा सकता है इसीलिए नबी सल्ल० ने फ़ोटो खींचने वालों या बनाने वालों पर लानत भेजी है। और यह ख़बर दी है कि यह लोग क़ियामत के दिन सबसे अधिक दुःखप्रद अज़ाब में मुब्तला होंगे। इस कारण आप सल्ल० ने तस्वीरों, चित्रों को मिटाने का हुक्म दिया और यह ख़बर दी कि फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें तस्वीर व चित्र होते हैं और यह सबकुछ तस्वीर की ख़तरनाकी और उसके फ़िला व फ़साद और उम्मते-मुस्लिमा के अक़ीदे में इससे ख़राबी पैदा होने के कारण है। इस तरह के मुजस्समे चाहे पार्क में लगाये जाये या सड़क पर या आम मैदानों में यह हर हाल में शरीअत के नज़दीक हराम हैं। इसलिए कि यह शिर्क और अक़ीदे के बिगाड़ की बुनियाद है।

यदि आज कुफ़्फ़ार इस तरह के काम कर रहे हैं कि उनके पास कोई अक़ीदा नहीं जिसकी वह हिफ़ाज़त करें लेकिन हम मुसलमानों को उनके इन मुश्रिकाना कामों की नक़ल नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि हमारे पास अक़ीदा और ईमान है जो हमारी ताक़त की बुनियाद है।

❀❀❀❀

पांचवां विषय
दीन के साथ मज़ाक़ और उसके पवित्र स्थानों का अपमान करने के बारे में आदेश

दीन के साथ मज़ाक़ व ठठोल करने वाला मुर्तद (धर्म भ्रष्ट) हो जाता है और इस्लाम के दाइरे से निकल जाता है। इर्शाद बारी तआला है :

कहो क्या तुम अल्लाह और उसकी आयात और उसके रसूल से हंसी करते थे, बहाने मत बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद काफ़िर हो चुके हो।(तौबा : 65-66)

इस आयते करीमा से साफ़ प्रकट होता है कि अल्लाह तआला के साथ मज़ाक़ कुफ़्र है। रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ मज़ाक़ कुफ़्र है, अल्लाह तआला की आयात और निशानियों के साथ मज़ाक़ कुफ़्र है। जो आदमी भी इन चीज़ों में से किसी एक के साथ मज़ाक़ करेगा वह ऊपर कही हुई तमाम चीज़ों के साथ मज़ाक़ करने वाला गिना जाएगा। मुनाफिक़ों का तरीक़ा ही यही था कि वह रसूलुल्लाह सल्ल० और सहाबए किराम के साथ मज़ाक़ किया करते थे जिनके कराण यह आयते करीमा उतरी, इसलिए कि इन चीज़ों के साथ मज़ाक़ एक दूसरे के साथ लाज़िम व मलज़ूम (ज़रूरी) है, इस कारण जो लोग तौहीद बारी तआला का मज़ाक़ बनाते हैं और अल्लाह तआला के अलावा अन्य मुर्दों को पुकारने को महानता की नज़र से देखते हैं, फिर जब तौहीद का आदेश दिया जाता है और शिर्क से रोका जाता है, तो उसका मज़ाक़ उड़ाते हैं। अल्लाह तआला का इर्शाद है :

और यह लोग जब तुमको देखते हैं तो तुम्हारी हँसी उड़ाते हैं, क्या यही आदमी है जिसको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, यदि हम अपने माबूदों के बारे में पक्के इरादे वाले न रहते तो यह अवश्य उनसे हम को बहका देता (और उनसे फेर देता)। (फुरक़ान : 41-42)

इस कारण जब नबी सल्ल० ने उनको शिर्क से रोका तो यह आप सल्ल० का मज़ाक़ उड़ाने लगे, उस समय से लेकर आज तक मुश्रिकीन बराबर नबियों के दोष खोजते रहते हैं, उन्हें बेवक़ूफ़, गुमराह पागल के ख़िताब से नवाज़ते रहते हैं, और यह केवल इसलिए कि वह उन्हें तौहीद की दावत देते हैं, हक़ीक़त में उनके दिलों में शिर्क की महानता बैठी हुई है, इसी तरह उन लोगों में जो मुश्रिकीन के क़रीब हैं तुम यही चीज़ पाओगे, उन्हें भी जब तौहीद की दावत दी जाती है तो उसके साथ

मज़ाक़ करने लगते हैं, इसलिए कि उनके दिल में शिर्क की महानता बैठ चुकी होती है। इर्शादे इलाही है :

और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा को शरीक (अल्लाह) बताते और उनसे अल्लाह की सी मुहब्बत करते हैं। (बक़रा : 165)

इस कारण यदि कोई आदमी अल्लाह के बजाए किसी मख़्लूक़ को उसी तरह चाहने लगे जिस तरह अल्लाह को चाहा जाता है तो वह मुश्रिक है। अल्लाह वास्ते मुहब्बत और अल्लाह के साथ मुहब्बत में हमें अन्तर करना होगा। इसी कारण जिन लोगों ने क़ब्रों और मज़ारों को बुत बना लिया हैं उन्हें देखोगे कि वह तौहीद बारी तआला और उसकी इबादत का मज़ाक़ उड़ाते हैं, और अल्लाह के अलावा जिनको अपने लिए सिफ़ारिशी बना रखा है उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनमें से हर एक अल्लाह के नाम झूठी क़सम खा सकता है लेकिन इसकी हिम्मत नहीं कर सकता कि अपने बुज़ुर्ग के नाम झूठी क़सम खा ले, उनमें से अधिकतर के अन्दर यह अक़ीदा बैठा हुआ है कि बुज़ुर्ग (शैख़) से मदद चाहना, चाहे वह उसकी क़ब्र के पास या किसी दूसरे स्थान पर हो अधिक लाभदायक व लाभकारी है मस्जिद में सुबह के वक़्त अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ माँगने से। इसी अक़ीदे की वजह से तौहीद की ओर झुकने वालों का यह मज़ाक़ उड़ाते हैं। इनमें से बहुत से तो ऐसे हैं जो मस्जिदों को गिराते हैं, और दरगाहों को बनाते हैं, उनको आबाद करते हैं। यह सबकुछ केवल इसलिए कि अल्लाह तआला, उसकी निशानियों और उसके रसूल का मज़ाक़ उड़ाया जाये और शिर्क की ताज़ीम (सम्मान) की जाये। (मजमूउल्फ़तावा)

आज जितने भी क़ब्र परस्त हैं सब के सब इसमें मुब्तला हैं।

मज़ाक़ व ठठोल की दो क़िस्में हैं—

(1) मज़ाक़े सरीह : (खुला हुआ मज़ाक़) यह ऐसे मज़ाक़ करने वाले हैं जिनके बारे में आयते करीमा उतर चुकी है, जैसे उनका कहना कि हमने अपने इन उलमा की तरह ख़ुश आहार, झूठे और युद्ध के वक़्त कम हिम्मत नहीं देखे या इस प्रकार के अन्य वाक्ये जो मज़ाक़ करने वाले अक्सर दोहराया करते हैं। इसी तरह कुछ का कहना कि यह तुम्हारा दीन पांचवां दीन है या किसी का कहना कि तुम्हारा दीन झूठा दीन है।

इसी तरह जब नेकी का आदेश देने वाले और बुराइयों से रोकने वाले उनकें पास आते हैं तो वह मज़ाक़ में कहते हैं, लो तुम्हारे दीनी भाई आ गए। इस तरह

के हज़ारों तरीक़े हैं जिनके ज़रीये वह दीन का मज़ाक़ उड़ाते हैं, फिर जिनके मज़ाक़ पर आयते करीम उतरती हो उसकी बुराई का क्या कहना।

(2) **ग़ैर सरीह मज़ाक़ :** (अर्थात इशारे का मज़ाक़) यह वह समुद्र है जिसका कोई किनारा नहीं, जैसे आँख का इशारा, ज़बान का निकालना, होंठ का फैलाना, पवित्र क़ुरआन की तलावत या नबी सल्ल० की सुन्नत के पढ़ने या नेकी का आदेश और बुराइयों से रोकने के समय हाथ का दबाना आदि इसी तरह के मज़ाक़ में यह शब्द भी दाख़िल हैं "इस्लाम बीसवीं शताब्दी के लिए मौजूं नहीं", "यह तो मध्य युग के लिए सही था" इस्लाम तख़ल्लुफ़ व रजअत पसन्दी की निशानी है", "हुदूद व सज़ा के मुआमले में इसके अन्दर बहुत अधिक सख़्ती व ज़ुल्म है", "इस्लाम ने औरतों पर ज़ुल्म किया है उसके हक़ों को अदा नहीं किया है इसलिए कि उसने तलाक़ को जाइज़ क़रार दिया है कई पत्नी रखने को जाइज़ क़रार दिया।" इसी तरह उनका यह कहना कि "आज का इन्सानी क़ानून लोगों के लिए इस्लामी क़ानून से बेहतर है" इसी तरह जो लोग तौहीद की ओर बुलाते हैं क़ब्र परस्ती और शख़्सियत परस्ती से रोकते हैं उनके बारे में यह कहना कि "यह उपद्रवी हैं या मुसलमानों में फूट पैदा करना चाहते हैं" या फिर "वह वहाबी हैं" या "यह पाँचवें दीन के मानने वाले हैं" इसी तरह की हज़ारों बातें हैं जो सब के सब दीन और दीन वालों और सही अक़ीदे के साथ मज़ाक़ व ठठोल है। लाहौला वला कुव्वता इल्लाबिल्लाह०

इसी तरह किसी सुन्नत को मज़बूती के साथ पकड़ने वाले को भी मज़ाक़ का निशाना बनाया जाता है, जिसमें वह कहते हैं—बाल में दीन नहीं, अर्थात् दाढ़ी के साथ मज़ाक़ के लिए यह कहा जाता है नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक०

छठा विषय

अल्लाह की शरीअ़त के अ़लावा दूसरे नियमों के अनुसार फ़ैसला देना

अल्लाह तआला पर ईमान और उसकी इबादत का तक़ाज़ा है कि हम उसके आदेशों के सामने झुके रहें, उसकी उतारी हुई शरीअत से ख़ुश व संतुष्ट हों, और तमाम बातों और तमाम और लड़ाई-झगड़ों, जान व माल के मुआमले और अन्य सारे हुक़ूक में मतभेद के वक़्त हम केवल अल्लाह की किताब और नबी सल्ल० की सुनन्त की ओर तवज्जोह दें, अल्लाह तआला ही उच्चाधिकारी है और फ़ैसले के वक़्त उसकी ओर पलटना करना चाहिए। इसलिए मुल्क के हाकिमों व बादशाहों को भी चाहिए कि अल्लाह तआला ने अपनी किताब में जो आदेश फ़रमाया है और रसूलुल्लाह सल्ल० ने अपनी सुन्नत में जो कुछ फ़रमाया है उसी के अनुसार फ़ैसला करें। हाकिमों के लिए अल्लाह तआला का इर्शाद है :

अल्लाह तुमको आदेश देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो और जब लोगों में फ़ैसला करने लगो तो इंसाफ़ से फ़ैसला किया करो। (निसा : 58)

जनता के हक़ में फ़रमाया :

मोमिनो अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करो और जो तुममें से हुकूमत वाले हैं उनकी भी, और यदि किसी बात में तुम में मतभेद हो जाये तो यदि अल्लाह और क़ियामत के दिन पर ईमान रखते हो तो उसमें अल्लाह और उसके रसूल के आदेश की ओर तवज्जोह करो यह बहुत अच्छी बात है और उसका मआल (हासिल) भी अच्छा है। (निसा : 59)

फिर ज़ाहिर फ़रमा दिया कि ईमान और शरीअत को छोड़कर दूसरे नियमों के अनुसार फ़ैसला करवाना एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता, इर्शाद बारी तआला है :

क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो यह करते हैं कि जो किताब तुम पर उतरी और जो किताबें तुमसे पहले उतरीं उन सब पर ईमान रखते हैं। और चाहते यह हैं कि अपना फ़ैसला एक नाफ़रमान के पास ले जाकर करायें हालांकि उनको आदेश दिया गया था कि उस पर अक़ीदा न रखें और शैतान (तो यह) चाहता है कि उनको बहका कर रास्ते से दूर डाल दे। (निसा : 60)

आगे फ़रमाया :

"तुम्हारे रब की क़सम यह लोग जब तक अपने झगड़ों में तुम्हें न्यायकर्ता न बनायें और जो फ़ैसला तुम कर दो उससे अपने दिल में तंग न हों बल्कि उसको ख़ुशी से मान लें तब तक मोमिन नहीं हो सकते।" (निसा : 65)

यहां पर बहुत ही सख़्ती के साथ अल्लाह तआला ने उन लोगों के ईमान को नकार दिया है जो शरीअत के अलावा दूसरे बनाये हुए क़ानून से राज़ी हैं। उनको मानते हैं। इसी तरह उन हाकिमों को कुफ़्र, ज़ुल्म और फ़िस्क़ से बयान किया है जो शरीअत के अलावा दूसरे नियमों के अनुसार शासन चलाते हैं।

और जो अल्लाह के उतारे हुए आदेशों के अनुसार फ़ैसला न दे तो ऐसे ही लोग काफ़िर हैं। (माइदा : 44)

और जो अल्लाह के उतारे हुए आदेशों के अनुसार फ़ैसला न दे तो ऐसे ही लोग ज़ालिम हैं। (माइदा : 45)

व मल्लम यहकुम बिमा अन्ज़लल्लाहु फ़उला-इ-क हुमुल फ़ासिक़ून०

और जो अल्लाह के उतारे हुए आदेशों के अनुसार फ़ैसला न दे तो ऐसे ही लोग फ़ासिक़ व अवज्ञाकार हैं। (माइदा : 47)

अल्लाह तआला की उतारी हुई शरीअत के साथ शासन करना और उसी के अनुसार फ़ैसला करना और सारे झगड़ों और लड़ाइयों में उसी को फ़ैसल (पंच) बनाना फ़र्ज़ और ज़रूरी है उलमा के बीच इज्तिहादी मतभेदों में भी उसकी ओर तवज्जोह करना वाजिब है। इज्तिहादी मसाइल में से जो कुरआन व सुन्नत के मवाफ़िक़ हो वही क़बूल किए जा सकते हैं। इस सिलसिले में किसी तरह का कट्टरपन (तअस्सुब) और किसी इमाम या मज़हब की तरफ़दारी क़ाबिले क़बूल न होगी। इस तरह प्रस्नल्ला (निजी नियम) में ही नहीं जैसा कि कुछ देशों में लागू हैं बल्कि सारे हुक़ूक़, मसाइल व कठिनाइयों और मुक़द्दमों में उसी के अनुसार फ़ैसला करना होगा। इसलिए कि इस्लाम एक ऐसी संपूर्ण इकाई है जिसको अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अल्लाह तआला का इर्शाद है :

मोमिनो, इस्लाम में पूरे पूरे दाख़िल हो जाओ। (बक़रा : 208)

एक और जगह इर्शाद है :

"क्या (बात है कि) तुम किताबुल्लाह के कुछ आदेशों को तो मानते हो और कुछ से इन्कार किए देते हो।" (बक़रा : 85)

इसी तरह सारे मज़ाहिब के मुक़ल्लिदीन पर ज़रूरी है कि अपने इमामों की बातों को किताबो सुन्नत की कसौटी पर परखें, जो किताबो सुन्नत के मुताबिक़ हो उन्हें लें और जो किताबो सुन्नत के ख़िलाफ़ हो उन्हें बिना किसी तअस्सुब और

तरफ़दारी के ठुकरा दें। ख़ास तौर पर अक़ीदे की चीज़ों में। इसलिए कि स्वयं अइम्मए किराम रहिम० ने इसकी वसीयत की है और सारे मज़हबों के इमामों ने यही किया है, इस कारण आज जो उनका विरोध करेगा वह उनका पैरूकार नहीं हो सकता चाहे उनका लगाव उनकी तरफ़ क्यों न हो। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है :

उन्होंने अपने उलमा और मशाइख़ और मसीह इब्ने मरयम को अल्लाह के अलावा अल्लाह बना लिया। (तौबा : 31)

यह आयते करीमा केवल ईसाइयों के साथ ख़ास नहीं है बल्कि हर उस आदमी (एक वचन बहुवचन) पर सही आती है जो ईसाइयों जैसे अमल का अपराधी है। इस कारण जो आदमी भी अल्लाह तआला और उसके अन्तिम रसूल सल्ल० के आदेश की अवज्ञा करते हुए अल्लाह की शरीअत व क़ानून को छोड़ कर वक़्ती और ख़ुद बनाये हुए नियमों का सहारा लेगा और शरीअत को छोड़ कर अपनी इच्छाओं पर अमल करेगा वह इस्लाम व ईमान का जुवा अपनी गर्दन से उतार फेंकने वाला होगा अगरचे उसको यह गुमान हो कि वह मोमिन है, इसलिए कि अल्लाह तआला ने ऐसे अमलों को सख़्ती से रद्द कर दिया है, और ऐसे लोगों के ईमान को बातिल क़रार दिया है। आयते करीम में जो शब्द "यज़्अमून" प्रयोग हुआ है उससे पता चलता है कि उनके ईमान को नकारा जा रहा है। इसलिए कि यह शब्द ग़लत दावा के लिए प्रयोग होता है। इस हक़ीक़त को एक और आयत में बताया गया है। इर्शाद बारी है :

हालांकि उन्हें आदेश दिया गया कि उसका इन्कार करे। (निसा : 60)

इसलिए कि ताग़ूत को झुठलाना, उसका इन्कार करना तौहीद का एक रुक्न है। आयते करीमा है :

तो जो आदमी बुतों से एतिक़ाद न रखे और अल्लाह तआला पर ईमान लाए उसने मज़बूत रस्सी हाथ में पकड़ ली है। (बक़रा : 256)

यदि मोमिन आदमी के अन्दर यह रुक्ने तौहीद नहीं तो फिर वह तौहीद वाला नहीं, तौहीद ही ईमान की जड़ है जिसके वजूद से सारे अमल दुरुस्त होते हैं और जिसके न मौजूद होने से सारे अमल ख़राब व बरबाद हो जाते हैं। इर्शाद बारी तआला है :

"तो जो आदमी बुतों से एतिक़ाद न रखे और अल्लाह पर ईमान लाए उसने मज़बूत रस्सी हाथ में पकड़ ली है।" (बक़रा : 256)

वह इसलिए कि ताग़ूत के पास फ़ैसला ले जाना या उसके आदेश को मानना

असल में उसपर ईमान लाना है। अल्लाह की शरीअत के अलावा किसी दूसरे क़ानून के अनुसार फ़ैसला करवाने से जब ईमान बाक़ी नहीं रहता है तो इससे यह बात आप ही आप समझ लेनी चाहिए कि शरीअते इलाही को पंच बनाना, उसके फ़ैसले को मानना, ईमान, अक़ीदा और अल्लाह की इबादत है, इस पर अमल करना हर मुस्लिम पर ज़रूरी है। इसी तरह यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि शरीअत के आदेश को केवल इसलिए मानना कि यह लोगों के लाभ में है या इसमें कोई अच्छाई या आराम व हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी है सरासर ग़लत है। आज कुछ लोग शरीअत की बात केवल इसलिए करते हैं कि दूसरी तमाम ज़िन्दगी के तरीक़ों से परेशान हो चुके हैं। जबकि शरीअत के लागू करने का असली मक़्सद इबादत है और यह लोग उसके इस पहलू को भूल जाते हैं। जबकि अल्लाह तआला ने स्वयं ऐसे लोगों का रद्द किया है जो अपनी ज़ाती भलाई या लाभ के लिए शरीअत की पनाह लेते हैं और उसकी इबादत और नज़दीकी के पहलू को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।

इर्शाद बारी तआला है :

और जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की ओर बुलाया जाता है ताकि (रसूलुल्लाह सल्ल०) उनका फ़ैसला चुका दें तो उनमें से एक वर्ग मुंह फेर लेता है और यदि (मुआमला) हक़ (हो और) उनको (पहुंचता) हो तो उनकी तरफ़ आज्ञाकारी होकर चले आते हैं। (नूर : 48-49)

इस तरह के लोग उन्हीं चीज़ों का प्रबंध करते हैं जिन्हें वह चाहते हैं। नफ़्सानी इच्छाओं की पैरवी ही उनका मज़हब है। और जो उनकी इच्छाओं के विरुद्ध पड़ता है उससे बेपरवाई करते हैं। इसलिए कि यह अल्लाह तआला की इबादत नहीं करते और न रसूलुल्लाह सल्ल० के पास अपना फ़ैसला ले जाते हैं।

निर्मित नियमों के अनुसार फ़ैसला देने वाले का आदेश

इर्शाद बारी तआला है :

और जो अल्लाह के उतारे हुए आदेशों के अनुसार फ़ैसला न दे तो ऐसे ही लोग काफ़िर हैं। (माइदा : 44)

इस आयते करीमा में खुले तौर पर ज़ाहिर कर दिया गया है कि अल्लाह तआला की उतारी हुई शरीअत के अलावा किसी दूसरे तरीक़े या क़ानून के आदेशों को मानना सरासर कुफ़्र है। और यह कुफ़्र कभी तो कुफ़्रे अक्बर (बड़ा कुफ़्र) होता है जिससे इन्सान दीन के दाइरे से निकल जाता है। और कभी कुफ़्रे

अस्ग़ार (छोटा कुफ़्र) होता है जिससे इन्सान दीन के दाइरे से नहीं निकलता। अब इसका फ़ैसला कि उसने कुफ़्रे अक्बर का अपराध किया है या कुफ़्रे अस्ग़ार का? उसकी हालत को देख कर किया जायेगा। यदि उस आदमी का अक़ीदा हो कि शरीअत का हुक्म मानना वाजिब नहीं उसमें उसको इख़्तियार हासिल है कि जिसका चाहे हुक्म माने या फिर अलाह तआला के हुक्म व शरीअत का अपमान करता है और यह अक़ीदा रखे कि दूसरे नियम और ज़िन्दगी के तरीक़े इस्लामी शरीअत से बेहतर हैं और इस्लामी शरीअत मौजूदा समय के लिए मौज़ूं नहीं है या फिर काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों की रज़ामंदी और ख़ुशनूदी के लिए बनाये नियमों और तरीक़ों के दामन में पनाह लेता है तो यह कुफ़्रे अक्बर है। लेकिन यदि उसका अक़ीदा हो कि अल्लाह की शरीअत को लागू करना फ़र्ज़ है और इस बारे में उसको पूरा इल्म व ज्ञान भी हो, उसके बावजूद उसे वह लागू नहीं करता है लेकिन उसके दंड में स्वयं को सज़ा के योग्य भी समझता है तो ऐसा आदमी पापी व काफ़िर है, लेकिन उसका कुफ़्र कुफ़्रे अस्ग़ार होगा।

लेकिन यदि एक आदमी शरीअत से अपरिचित है और उसे मालूम करने के लिए अपनी ताक़त भर कोशिश व प्रयास करता है फिर वह ग़लत फ़ैसला दे देता है तो ऐसे आदमी को ख़ाती या ख़ताकार कहा जाएगा। उसकी मेहनत व कोशिश और इज्तिहाद की अच्छी नीयत की वजह से एक अज्र (सवाब) मिलेगा। और उसकी ग़लती को बख़्श दिया जाएगा। ऐसा किसी ख़ास मसअले में ही होगा लेकिन जनरल मसाइल और मुआमलों में मसअला इसके ख़िलाफ़ होगा। शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहि० मजमूउल फ़तावा में फ़रमाते हैं:

यदि हाकिम दीनदार है लेकिन ज्ञान न होने की बुनियाद पर फ़ैसला लागू करता है तो वह जहन्नमी है, और यदि वह शरीअत से परिचित है लेकिन उस ज्ञान के विरुद्ध फ़ैसला देता है तो भी वह जहन्नमी है और यदि बिना ज्ञान व न्याय के फ़ैसला देता है तो वह जहन्नम का सबसे अधिक हक़दार है। ऐसा उस वक़्त होगा जब किसी आदमी के ख़ास मसअले में फ़ैसला देता है। लेकिन यदि मुसलमानों के दीन व मज़हब के किसी जनरल मुआमले में इस तरह का कोई फ़ैसला सुनाता है हक़ को बातिल या बातिल को हक़ बताता है। सुन्नत को बिदअत या बिदअत को सुन्नत क़रार देता है। मारूफ़ को मुन्कर और मुन्कर को मारूफ़ कहता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो आदेश दिए हैं उससे वह रोकता है। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिस चीज़ से रोका है उसका वह आदेश देता है तो ऐसा आदमी कुछ और ही है, उसके बारे में अल्लाह

तआला ही बेहतर फ़ैसला करेगा, जो इलाहल मुर्सलीन मालिकि यौमिद्दीन है। और दुनिया व आख़िरत की तमाम तारीफ़ें जिसके लिए लाइक़ है। इर्शाद बारी है :

वही तो है जिसने अपने रसूलों को हिदायत (की किताब) और दीने हक़ देकर भेजा ताकि उसको सारे दीनों पर ग़ालिब करे। और हक़ ज़ाहिर करने के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। (फ़तह : 28)

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहि० ने आगे फ़रमाया :

इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस आदमी का यह अक़ीदा हो कि शरीअत के अनुसार फ़ैसला और उसकी पैरवी वाजिब नहीं वह काफ़िर है। इस कारण यदि कोई आदमी लोगों के मुआमले में शरीअत से हटकर ऐसे क़ानून के अनुसार फ़ैसला देता है जिसे वह मुन्सिफ़ाना क़ानून समझता है तो वह भी क़ाफ़िर है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि हर मज़हब व मिल्लत आम तौर पर मुन्सिफ़ाना फ़ैसले का आदेश देती है। कभी यह न्याय व इंसाफ़ किसी दीन में मौजूद होता है। और उस दीन के महान लोग उसी का आदेश देते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि इस्लाम की ओर निस्बत करने वाले मुसलमान अपनी आदतों के अनुसार फ़ैसला करते हैं अर्थात अपने बाप व दादा के फ़ैसलों को देख कर वैसा ही फ़ैसला कर देते हैं, इस तरह राज्य शासकों का आम अक़ीदा होता है कि जनता के मनोभावों का ख़याल रखकर ही फ़ैसला करना चाहिए ताकि लोग उनसे बेज़ार न हों, यह भी सरासर कुफ़्र है। बहुत से लोग अपनी निस्बत इस्लाम की ओर करते हैं लेकिन किताबो सुन्नत के अनुसार फ़ैसला नहीं करते बल्कि फ़ैसले के समय लोगों के या बाप-दादा के तरीक़े को देखते हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम होता है कि शरीअत के अनुसार फ़ैसला करना वाजिब है फिर भी वह शरीअत के विरुद्ध फ़ैसले को अपने लिए जाइज़ समझ लेते हैं, ऐसे लोग भी काफ़िर हैं।

सातवां विषय

क़ानून बनाने और हलाल व हराम ठहराने के हक़ का दावा

इन आदेशों और नियमों को बनाने का हक़ केवल अल्लाह तआला को है जिन पर बन्दों की भलाई व कामयाबी का दारोमदार है और उनकी इबादतों, मुआमलों और ज़िंदगी के कुल विभाग जिनके अनुसार चलते हैं, और जिनके ज़रिए बन्दों के आपसी लड़ाई-झगड़े और इख़्तिलाफ़त के फ़ैसले किए जाते हैं, इर्शाद बारी तआला है :

देखो सब मख़्लूक़ भी उसी की है और हुक्म भी (उसी का है) यह अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत वाला है। (आराफ़ : 54)

चूंकि वही जानता है कि अपने बन्दे के लिए क्या चीज़ लाभदायक है। इस कारण उसी के अनुसार वह उनके लिए आदेश बनाता है। और चूंकि वह सबका रब (पालनहार) है इसलिए रब होने के कारण क़ानून बनाने का हक भी उसी को पहुंचता है। और चूंकि सारे बन्दे उसके बन्दे और दास हैं इसलिए उनके लिए अल्लाह तआला के आदेशों की आज्ञाकारी ज़रूरी है, उसके आदेशों की पैरवी का पूरा लाभ इन्हीं की ओर लौटता है।

अल्लाह तआला का इर्शाद है :

और यदि किसी बात में तुममें मतभेद हो तो यदि अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखते हो तो उसमें अल्लाह और उसके रसूल (के आदेश) की ओर लौटो यह बहुत अच्छी बात है और इसका मआल (हासिल) भी अच्छा है।

(निसा : 59)

और एक जगह इर्शाद है :

तुम जिस बात में मतभेद करते हो उसका फ़ैसला अल्लाह की ओर (से होगा) यही अल्लाह मेरा रब है। (शूरा : 10)

अल्लाह तआला ने इसका सख़्ती से रद्द फ़रमाना है कि बन्दा अल्लाह तआला के अलावा किसी और को क़ानून बनाने वाला माने। इर्शाद बारी है :

क्या उनके वह शरीक (साझीदार) हैं जिन्होंने उनके लिए ऐसा दीन मक़र्रर किया है जिसका अल्लाह तआला ने हुक्म नहीं दिया। (शूरा : 21)

इस कारण जो आदमी भी अल्लाह तआला की शरीअत के अलावा किसी दूसरी शरीअत को क़बूल करता है वह शिर्क करता है, इबादतों में से जो इबादत

अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ओर से नहीं है वह बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है रसूलुल्लाह सल्ल० का इर्शाद है :

"यदि कोई हमारे इस मुआमले (दीन) में ऐसी नई बात पैदा करेगा जो उसमें से न हो तो वह मर्दूद (ना मक़बूल) है।" (बुख़ारी-मुस्लिम)

एक और रिवायत में यह शब्द हैं :

"यदि कोई ऐसा अमल करता है जिस पर हमारा आदेश न हो वह अमल मर्दूद है।" (मुस्लिम)

और सियासी व इन्तिज़ामी मुआमलों में यदि अल्लाह की शरीअत से हटकर काम किया जाए तो वह शैतानी व जाहिली शासक होगी—मिसरा।

"जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी"

इर्शाद बारी तआला है :

क्या यह जाहिलीयत के ज़माने के आदेशों के इच्छुक हैं और जो विश्वास रखते हैं उनके लिए अल्लाह से अच्छा आदेश किसका है ? (माइदा : 50)

इसी तरह हलाल व हराम क़रार देने का हक़ भी केवल अल्लाह तआला को है, किसी के लिए जाइज़ नहीं कि इस मुआमले में वह अल्लाह तआला का साझीदार हो। इर्शादे इलाही है :

"और जिस चीज़ पर अल्लाह तआला का नाम न लिया जाए उसे न खाओ कि उसका खाना पाप है और शैतान (लोग) अपने दोस्तों के दिलों में यह बात डालते हैं कि तुमसे झगड़ा करें और यदि तुम लोग उनके कहने पर चले तो बेशक तुम भी मुश्रिक हुए।" (अन्आम : 121)

आयते करीम में अल्लाह तआला ने शैतानों और उनके मददगारों की पैरवी को हलाल व हराम के मुआमले में अल्लाह तआला के साथ खुला शिर्क क़रार दिया है, इसी तरह हलाल व हराम के मुआमले में आलिमों और हाकिमों की फ़रमांबरदारी और पैरवी भी अल्लाह तआला के अलावा दूसरों को रब व हाजत रवा (कामद) बनाने के बराबर है, इर्शादे इलाही है :

"उन्होंने अपने उलमा और मशाइख़ और मसीह इब्ने मरयम को अल्लाह के अलावा अल्लाह बना लिया, हालांकि उनको यह आदेश दिया गया था कि अकेले अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करें उसके अलावा कोई पूज्य (माबूद) नहीं और वह उन लोगों के शरीक बनाने से पाक है। (तौबा : 31)

बुख़ारी शरीफ़ में आया है कि इस आयते करीमा को आप सल्ल० ने हज़रत

अदी बिन हातिम अत्ताई के सामने पढ़ा तो हज़रत अदी बिन हातिम ताई ने अर्ज़ किया : ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० हम उनकी इबादत नहीं करते थे। तो आप सल्ल० ने फ़रमाया : क्या वह जिन हराम चीज़ों को हलाल क़रार देते हैं उनको हलाल नहीं समझते और जिन हलाल चीज़ों को हराम क़रार देते हैं, उनको हराम नहीं समझते ? हज़रत अदी ने अर्ज़ किया, जी हां। तो आप सल्ल० ने फ़रमाया : यही उनकी इबादत व बन्दगी है। इससे पता चला कि अल्लाह के आदेशों को छोड़कर हलाल व हराम के मुआमले में उनकी फ़रमांबरदारी और पैरवी का असल में उनकी इबादत है जो अल्लाह तआला के साथ खुला शिर्क है, यह शिर्के अक्बर है। जो तौहीद के बिल्कुल विरुद्ध व ख़िलाफ़ है, इसलिए कि तौहीद का अर्थ है ला इला-ह इल्लल्लाह का इक़रार करना और इस इक़रार का अर्थ यह है कि चीज़ों को हलाल व हराम क़रार देने का हक़ केवल अल्लाह तआला को है, जब हक़ीक़त यह है तो फिर जो भी आदमी हलाल व हराम के मुआमले में अपने उलमा व मशाइख़ की पैरवी करता है वह अल्लाह तआला की शरीअत का विरोध करता है यद्यपि उलमाए किराम दीन की समझ बूझ में बहुत क़रीब हैं। और इज्तिहाद में इनसे कोई ग़लती हो जाए और हक़ तक उनकी पहुंच न हो सके फिर भी उनको एक सवाब मिलेगा, इन सब के बावजूद उनकी फ़रमांबरदारी और पैरवी जब जाइज़ नहीं तो फिर स्वयं बनाये हुए नियमों की पैरवी कैसे जाइज़ होगी, जो काफ़िरों और बेदीन लोगों के बनाए हुए हैं, जो बाहर से मंगाए गए हैं और इस्लामी दुनिया और वहां की मुस्लिम जनता पर ज़बरदस्ती थोपे गए हैं। ला हौ-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाह। इस तरह तो अल्लाह तआला के बजाए काफिरों और बेदीनों को अल्लाह के अलावा रब बनाया जाता है, जो उनके लिए आदेश व क़ानून बनाते हैं, हराम चीज़ों को हलाल क़रार देते हैं और बन्दों पर शासन करते हैं।

आठवां विषय

अधर्मी आंदोलनों और जाहिली जमाअ़तों से संबंध रखने के बारे में आदेश

(1) बेदीनी आंदोलन जैसे कम्युनिज़म, सैकुलरिज़म, सरमाया दारी आदि। जो सरासर कुफ्र और बेदीनी पर निर्भर हैं, की ओर निस्बत इस्लाम मज़हब से मुर्तद होना है। इन तहरीकों की ओर निस्बत करने वाला आदमी यदि इस्लाम का दावा करता है तो यह निफ़ाक़े अक्बर है, इसलिए कि मुनाफ़िक़ भी ज़ाहिरी तौर पर अपनी निस्बत इस्लाम की ओर करते थे लेकिन भीतरी तौर पर वह काफ़िरों के साथ होते थे। जिनके बारे में अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

और यह लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो (उनसे) कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम (मुहम्मद की पैरवी करने वालों से) तो हंसी किया करते हैं। (बक़रा : 14)

एक और जगह इर्शाद है :

"जो तुमको देखते रहते हैं, यदि अल्लाह की ओर से तुमको फ़तह (विजय) मिले तो कहते हैं, क्या हम तुम्हारे साथ न थे? और यदि काफ़िरों को कामयाबी नसीब हो तो उनसे कहते हैं, क्या हम तुम्हारे मददगार नहीं थे और तुमको मुसलमानों के हाथ से बचाया नहीं? (निसा : 141)

इस तरह के धोखेबाज़ मुनाफ़िक़ों के लिए हमेशा जहन्नम होती हैं, एक चेहरे से तो मोमिनों से मिलते हैं और दूसरे चेहरे से अपने बेदीन भाइयों की ओर पलट जाते हैं। उनकी दो ज़बानें होती हैं, एक के ज़रिए मुसलमानों से परिचय पैदा करते हैं और दूसरी के ज़रिए अपने पोशीदा भेद की तर्जुमानी करते हैं। इर्शाद बारी तआला है :

"और यह लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो (उन से) कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम (मुहम्मद के पैरुओं से) तो हंसी किया करते हैं।" (बक़रा : 14)

यह किताबो सुन्नत से हमेशा नफ़रत करते हैं, किताबो सुन्नत वालों का मज़ाक़ उड़ाते हैं। उनको नाक़दरी की नज़र से देखते हैं। किताबो सुन्नत की पैरवी से उन्हें चिढ़ है। शरीअत से उनको हमेशा की दुश्मनी है। यह अपने दुनियावी उलूमोफ़ुनून और ज़िंदगी के तरीक़ों से बहुत ख़ुश है, जबकि उन बनाये हुए नियमों

से किसी को कोई लाभ अब तक नहीं पहुंचा, उस गंदे पानी में जो जितना उतरा उतना ही वह गर्व, घमंड में फंसा हुआ है, इस कारण उन्हें तुम हमेशा अल्लाह के पैग़ाम और किताबो सुन्नत का मज़ाक़ उड़ाते हुए पाओगे।

अल्लाहु यस्तह ज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून

इन (मुनाफ़िक़ों) से अल्लाह हंसी करता है और उन्हें मुहलत दी जाती है कि बुराई और नाफ़रमानी में पड़े बहक रहे हैं। (बक़रा : 15)

जबकि अल्लाह तआला ने खुले तौर से मोमिनों की ओर अपनी निस्बत करने का आदेश दिया है। इर्शाद बारी तआला है :

ऐ ईमानवालो ! अल्लाह से डरते रहो और नेकों के साथ रहो। (तौबा : 119)

यह बेदीनी तहरीकें आपस में दस्तोगरीवां (हाथापाई कर रही) हैं, इसलिए कि उनकी बुनियाद बातिल और फ़ित्ना, फ़साद पर पड़ी है जैसे कम्युनिज़्म, अल्लाह तआला (जो सारे जहानों का ख़ालिक़ व मालिक है) के वजूद (हस्ती) का इन्कार करती है और सभी आसमानी मज़हबों और दीनों को दुनिया से मिटाना चाहती है, जो आदमी अपने आप में बिना अक़ीदा जीना चाहता है और सारे खुले और अक़्ली विश्वासों का इन्कार करता है असल में वह अपनी बुद्धि का दुश्मन है और उससे काम लेना नहीं चाहता है, इसी प्रकार सैकुलररिज़्म भी सभी दीनों और मज़हबों का इन्कार करता है और माद्दीयत (प्राकृतिक-तबई) पर अपनी नींव रखता है जबकि माद्दीयत एक ऐसा मज़हब है जो हैवानी जीवन के अलावा उसका कोई मतलब, मक़सद नहीं और सरमाया दारी का तो कहना ही क्या ? उसका सारा फ़ल्सफ़ा केवल माल एकत्र करने पर क़ाइम है, चाहे वह किसी तरह से आए, उसमें हलाल व हराम का कोई अन्तर नहीं, फ़क़ीरों, मिस्कीनों और कमज़ोरों पर उनके यहां कोई दया, कृपा नहीं, फिर उसके माल व दौलत का सारा दारोमदार सूद (ब्याज) की लानत पर है जबकि सूद खाना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के विरुद्ध युद्ध करना है, जिससे लोग और हुकूमत और रियासत सबके सब तबाह व बरबाद हो जाते हैं जो दरिद्र व कंगाल क़ौमों के ख़ून चूसने का बेहतरीन ज़रीया है, इन सब के बावजूद भला कौन ईमान वाला और बुद्धि वाला इन तबाह करने वाले बातिल निज़ामों और अशुद्ध तहरीकों की तरफ़ अपनी निस्बत करना पसन्द करेगा ? और अक़्लो बुद्धि को बेच कर और ज़िंदगी को शुतुर बे महार समझकर इन तहरीकों का साथ देगा। और उनके लिए लड़ेगा। आज जबकि हमारी इस्लामी दुनिया के अक्सर लोगों के जीवन में सही दीनदारी और दीनी ज़ेहन की बडी कमी है, इस कारण उन पर इन ग़लत तहरीकों का हमला करना कोई मुश्किल

नहीं, सही दीन न होने के कारण ही आज उम्मते मुस्लिमा ज़िल्लत व बरबादी की मरहले से गुज़र रही है और अन्य क़ौमों की दुम छल्ला बन कर रह गई है।

(2) जाहिली क़ौमी और नस्ली जमाअतों और दलों की ओर निस्बत भी कुफ्र व इर्तिदाद है और मज़हबे इस्लाम के विरुद्ध विद्रोह है, इसलिए कि मज़हबे इस्लाम सारे जाहिली व नस्ली नारों का सख़्ती से इन्कार करता है। इर्शाद बारी तआला है :

लोगो हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारे ख़ानदान और क़बीले बनाए, ताकि एक दूसरे की पहचान करो और अल्लाह के नज़दीक तुम में अधिक सम्मान वाला वह है जेा अधिक परहेज़गार है।

(हुजरात : 13)

रसूलुल्लाह सल्ल० का इर्शाद है :

"हममें से वह नहीं जो असबीयत की ओर बुलाये, हम में से वह नहीं जो असबीयत के लिए लड़ाई करे, हम में से वह नहीं जो असबीयत के लिए ग़ुस्सा हो।" (मुस्लिम)

यह भी फ़रमाया :

"अल्लाह तआला ने जाहिलीयत के समय की असबीयत को ख़त्म कर दिया है और बाप-दादा, पर गर्व को मिटा दिया है, अब या तो वह परहेज़गार मोमिन होगा या दुर्भागी फ़ाजिर, सारे लोग आदम की संतान हैं और आदम मिट्टी से पैदा किए गये हैं। किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़ज़ीलत नहीं, फ़ज़ीलत का दारोमदार परहेज़गारी पर है।" (तिर्मिज़ी आदि)

असल में यह जमाअतें और दल मुसलमानों के अन्दर फूट डालती हैं जबकि अल्लाह तआला ने हमें नेकी व परहेज़गारी पर एकता का आदेश दिया है और रंजिश व फूट से मनस किया है।

इर्शाद बारी तआला है :

और सब मिलकर अल्लाह की (हिदायत की) रस्सी को मज़बूत पकड़े रहना और अलग-अलग न होना और अल्लाह की इस कृपा को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो उसने तुम्हारे दिलों में मुहब्बत डाल दी और तुम उसकी कृपा से भाई-भाई हो गये। (आले इमरान : 103)

अल्लाह तआला हमसे यह चाहता है कि हम एक जमाअत हो जायें, जो अल्लाह तआला की कामयाब व सफल जमाअत हो, लेकिन आज इस्लामी दुनिया ख़ास तौर पर यूरोप के सियासी व सांस्कृतिक हमले के बाद विभिन्न जाहिली,

नस्ली, क़ौमी असबीयतों की लानत में फंस गई है और इन लानतों को एक इल्मी मसअला, तय की गई हक़ीक़त और लाज़िमी सूरतेहाल समझ कर मान लिया गया है। जहां के मुस्लिम निवासी मग़रिबी विचारों के प्रभावों से प्रभावित होकर इन जाहिली असबीयतों की ओर तेज़ी से भागने लगे हैं, जिनको इस्लाम ने मिटा दिया था और उनके नाम लेने वालों, उनको जीवित करने वालों और उन पर गर्व करने वालों पर लानत भेजी है और सख़्त शब्दों में उसकी निंदा की है।

इस्लाम से पहले वाले असबीयती समय को इस्लाम ने जाहिली समय कहा है और अब भी उसी नाम से याद करता है और उस अंधकारी समय से निकालने पर अल्लाह ने मुसलमानों पर उपकार जताया है और इस महान उपकार और नेमत का शुक्र अदा करने पर उनको उभारा है।

आज मुसमलानों पर ज़रूरी है कि जब भी जाहिली समय का चर्चा करें तो नफ़रत व कराहत के साथ उसका चर्चा करें और पसंदीदगी की नज़र से उसको न देखें। क्या जेल में सख़्त सज़ा काटने वाले के रोंगटे उस वक़्त खड़े नहीं हो जाते जब उसके सामने जेल का नाम लिया जाता है? और क्या सख़्त बीमारी से छुटकारा पाने वाला आदमी अपनी बीमारी की चर्चा करते ही मुंह नहीं बिगाड़ लेता? इस कारण हर एक की बुद्धि में यह बात होनी चाहिए और हर मुसलमान को यह ज्ञान होना चाहिए कि मुसलमानों में यह गुटबंदियां असल में अल्लाह तआला का अज़ाब है जिसे वह अपनी शरीअत और मज़हब से मुंह फेरने वालों और अपने दीन पर बदगुमानी करने वाले बन्दों पर सवार कर दिया है। अल्लाह का फ़रमान है :

कह दो कि वह (इस पर भी) ताक़त रखता है कि तुम पर ऊपर क़ी ओर से या तुहारे पैरों के नीचे से अज़ाब भेजे या तुम्हें वर्गों में बांट दे और एक को दूसरे (से लड़ा कर आपस) की लड़ाई का मज़ा चखा दे। (अल-अन्आम : 65)

इस बारे में रसूलुल्लाह सल्ल० का इर्शादे गिरामी है :

"और जब उनके अइम्मए किराम किताबुल्लाह से फ़ैसला नहीं देंगे तो अल्लाह तआला उनको आपस में लड़ा देंगे।" (इब्ने माजा)

जमाअतों और पार्टियों के तअस्सुब (कट्टरपन) से हक़ दब जाता है और रसूलुल्लाह सल्ल० की लाई हुई शरीअत सामने से हट जाती है जैसे कि यहूदियों के यहां पेश आया। उन्हीं यहूदियों के बारे में अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

और जब उनसे कहा जाता है कि जो (किताब) अल्लाह ने (अब) उतारी है उसको मान लो, तो कहते हैं कि जो किताब हमपर (पहले) उतर चुकी है हम तो

उसी को मानते हैं (अर्थात) यह उसके अलावा और (किताब) को नहीं मानते, हालांकि वह (बिल्कुल) सच्ची है और जो उनकी (आसमानी) किताब है उसकी भी ताईद करती (समर्थक) है। (बक़रा : 91)

जाहिलीयत वालों का भी यही हाल था हक़ को छोड़कर यह अपने बाप-दादा के तरीक़े पर पड़े हुए थे और उनके आचरण से बाल बराबर भी हटने के लिए तैयार नहीं थे। उनके बारे में अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

और जब उन लोगों से कहा जाता है कि जो (किताब) अल्लाह ने उतारी है उसकी पैरवी करो तो कहते हैं (नहीं) बल्कि हम तो ऐसी चीज़ की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप-दादा को पाया। (बक़रा : 170)

आज के जमाअती लोग चाहते हैं कि अपनी-अपनी जमाअत व पार्टी को उस इस्लाम की जगह ला खड़ा करें जो सारी इंसानियत पर अल्लाह तआला की नेमत है।

नौवां विषय

जीवन के सम्बन्ध में प्राकृतिक विचार और उसकी ख़राबियां

आज जीवन के संबंध में दो तरह के विचार मौजूद हैं एक प्राकृतिक (तबई) विचार, दूसरा इस्लामी विचार। इन दोनों विचारों का प्रभाव आज लोगों के जीवन में देखा जा सकता है।

(1) प्राकृतिक (तबई) विचार और उसकी हक़ीक़त

प्राकृतिक विचार की हक़ीक़त यह है कि इन्सान केवल अपनी दुनियावी और तुरन्त मिलने वाली लज़्ज़तों को हासिल करने के पीछे पड़ा रहे और उसकी सारी दौड़-धूप, उसी एक चीज़ पर जमकर रह जाये, उसके आगे वह कुछ सोचता न हो कि मन की इच्छा और लज़्ज़त के पीछे इस तरह से दौड़ने का नतीजा क्या हो सकता है। और इसकी भी परवाह नहीं करता कि अल्लाह तआला ने इस दुनिया को केवल आख़िरत की खेती और अमल का घर बनाया है और आख़िरत को जज़ा व सज़ा का घर बनाया है, इस कारण जो आदमी भी दुनियावी ज़िंदगी को ग़नीमत जान कर उसमें नेक अमल करता है वह दुनिया व आख़िरत दोनों के लाभ से आनंद उठाता है और जो अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बरबाद कर देता है वह अपनी आख़िरत को भी खो देता है।

इर्शादे बारी है :

दुनिया में भी नुक़्सान उठाया और आख़िरत में भी, यही तो खुला हुआ नुक़्सान है। (हज : 11)

अल्लाह तआला ने इस दुनिया को यूं ही नहीं बनाया है बल्कि एक बड़ी हिक्मत व भलाई के वास्ते ही पैदा फ़रमाया है, इर्शाद बारी है :

उसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी परीक्षा करे कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है। (मुल्क : 2)

एक और जगह इर्शाद है :

जो चीज़ ज़मीन पर है हमने उसको ज़मीन के लिए सजावट बनाया है ताकि लोगों की परीक्षा करें कि उनमें से कौन अच्छा अमल करने वाला है। (कहफ़ : 7)

अल्लाह तआला ने इस जीवन में माल व औलाद, पद मरतबा, अधिकार व सत्ता और दूसारी लज़्ज़तों में से अस्थाई बेहतरीन नेमतें और ज़ाहिरी सजावट के

सामान पैदा फ़रमाये हैं जिनका ज्ञान केवल अल्लाह ही को है। इस कारण लोगो में जिनकी नज़र केवल इन नेमतों और सजावटों की ज़ाहिरी शक्ल-व-सूरत पर रहती है और अधिक से अधिक उनसे आनन्द लेने पर लगे रहते हैं, और उनकी पोशीदा हिक्मतों के बारे में नहीं सोचते हैं और न ही उनके ग़लत प्रयोग के नतीजे की परवाह करते हैं बल्कि उससे एक क़दम आगे बढ़ कर आख़िरत का बिल्कुल इन्कार कर देते हैं। जैसे अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

और कहते हैं कि हमारी जो दुनिया की ज़िंदगी है बस यही (ज़िंदगी) है और हम (मरने के बाद) फिर ज़िंदा नहीं किये जाएंगे। (अनआम : 29)

ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तआला ने सख़्त वईद सुनाई है।

इर्शादे बारी तआला है :

"जिन लोगों को हमसे मिलने की उम्मीद नहीं और दुनिया की ज़िंदगी से ख़ुश और उसी पर संतुष्ट हो बैठे हैं और हमारी निशानियों से ग़ाफ़िल हो रहे हैं, उनका ठिकाना उन (अमलों) के कारण जो वह करते हैं जहन्नम है।" (यूनुस : 7-8)

और एक जगह इर्शाद है :

"जो लोग दुनिया की ज़िंदगी और उसकी रौनक़ के इच्छुक हों हम उनके अमलों का बदला उन्हें दुनिया ही में दे देते हैं और इसमें उनसे अन्याय नहीं किया जाता, यह वह लोग हैं जिनके लिए आख़िरत में (जहन्नम की आग) के अलावा और कुछ नहीं और जो अमल उन्होंने दुनिया में किये सब बरबाद और जो कुछ वह करते रहे सब अकारत हुआ।" (हूद : 15-16)

इस वईद और फटकार में यह विचार रखने वाले सभी लोग शामिल हैं, चाहे वह लोग हों जो केवल दुनिया प्राप्त करने के लिए आख़िरत वाले अमल करते हैं, जैसे मुनाफ़िक़ीन, रियाकार या कुफ़्र व बेदीनी करने वाले लोग जो सिरे से आख़िरत और उसके हिसाबो किताब पर विश्वास ही नहीं रखते, जैसे जाहिलीयत के समय अक्सर लोगों का हाल था या फिर आजकल के बातिल और ख़राब ज़िंदगी के तरीक़े जैसे सरमायादारी, कम्युनिज़्म, सैकुलरिज़्म, इल्हाद (बेदीनी) आदि, ज़िंदगी के बारे में उनकी नज़र माद्दीयत से आगे नहीं बढ़ती, यह हर चीज़ को हैवानों व जानवरों की नज़र से देखते हैं ऐसा क्यों न हो जबकि यह जानवरों से भी अधिक गुमराह हैं इसलिए कि उन्होंने अक़्ल व बुद्धि से काम लेना छोड़ दिया है और अपनी पूरी ताक़त को दुनिया ही के लिए वक़्फ़ कर रखा है अपना सारा समय ऐसी चीज़ों के हासिल करने के लिए बरबाद करते हैं जो पायदार नहीं, अपने उस नतीज़े के लिए कुछ नहीं करते जो उनका इन्तिज़ार कर रहा है, और जिससे

किसी हाल में उनको छुटकारा नहीं, यह जानवरों से अधिक बुरे हैं कि जानवरों का कोई ऐसा नतीजा नहीं जिसका उन्हें इन्तिज़ार हो और न ही उनके पास अक़ल बुद्धि है बर ख़िलाफ़ इन इन्सानी जानवरों के ख़िलाफ़। इर्शाद रब्बानी है :

या तुम यह गुमान करते हो कि उनमें अक्सर समझते या सुनते हैं ? यह तो पशुओं की तरह हैं बल्कि उनसे अधिक गुमराह हैं। (फ़ुरक़ान : 44)

इस तरह के लोगों को अल्लाह तआला ने बेवक़ूफ़, जाहिल और अनपढ़ बताया है। फ़रमाने इलाही है :

लेकिन अक़्सर लोग नहीं जानते, यह तो दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी ही को जानते हैं और आख़िरत की तरफ़ से ग़ाफ़िल हैं। (रूम : 6-7)

यह विचार रखने वालों में से बहुत से लोग दुनियावी उलूम व फ़ुनून के माहिर होते हैं लेकिन हक़ीक़ी एतिबार से यह जाहिल व बेवक़ूफ़ ही होते हैं, उलमा की क़तार में उनको दाख़िल करना सही नहीं है, इसलिए कि उनका ज्ञान दुनियावी ज़िंदगी की ज़ाहिरी चमक-दमक से आगे नहीं बढ़ता उसे इल्मे नाक़िस (खोटा ज्ञान) ही कह सकते हैं, बल्कि उलमा कहलाने के हक़दार तो वह लोग हैं जिनको अल्लाह तआला की मारिफ़त (पहचान) हासिल है उसका ख़ौफ़ व भय उनके अन्दर है।

इर्शादे बारी तआला है :

अल्लाह से तो उसके बन्दों में से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं।

(फ़ातिर : 28)

अल्लाह तआला ने क़ारून और उसके ख़ज़ानों के क़िस्से में क़ारून के माद्दी विचारों की यूं चर्चा की है :

"तो एक दिन क़ारून (बड़ी) सजावट (और ठाठ) से अपनी क़ौम के सामने निकला, जो लोग दुनिया की ज़िंदगी के इच्छुक थे, कहने लगे कि जैसा (मालो दौलत) क़ारून को मिला है काश (ऐसा ही) हमें भी मिले, वह तो बड़ा ही नसीब वाला है।" (क़सस : 79)

इस आयते करीमा में बयान हुआ है कि माद्दी विचार रखने वालों ने क़ारून की तरह बनने की इच्छा की, उस पर रश्क (ईर्ष्या) किया और उसको बड़ा नसीब वाला जाना, आज काफ़िर देशों का यही हाल है काफ़िर देशों में जो दौलत की रेल पेल है माली व औद्योगिक प्रगति है उसको देखकर हमारे कुछ कमज़ोर दिल और कमज़ोर ईमान के मुसलमान भाई उनको पसन्दीदगी और अच्छी नज़र से देखने लगते हैं और उनके कुफ़्र व शिर्क और बुरे नतीजों की तरफ़ नज़र नहीं दौड़ाते।

इसके नतीजे में लोग काफ़िरों और बेदीनों का सम्मान व आदर करने लगते हैं। और उनकी बुरी आदतों और बुरे अख़्लाक़ की तक़्लीद करने लगते हैं। उनका फ़ैशन अपनाने लगते हैं, लेकिन उनकी दौड़-धूप, प्रयास व परिश्रम, ईजाद और बल व ताक़त की तैयारी जैसी लाभदायक चीज़ों में उनकी नक़ल नहीं करते।

(ब) जीवन से सम्बन्धित इस्लामी विचार

ज़िंदगी के बारे में दूसरा विचार यह है कि माल-व-दौलत, पद व मरतबा, माद्दी बल व ताक़त और कुल दुनियावी चीज़ों को आख़िरत के कामों का समझा जाए और उसके लिए उनसे लाभ उठाया जाये।

दुनिया स्वयं बुरी चीज़ नहीं हैं उसकी बुराई व भलाई तो आदमी के अमल से साबित होती है कि वह उसको किस नज़र से देखता है। असल में दुनिया आख़िरत का पुल है। दुनिया ही से जन्नत का तोशा लिया जाता है, जन्नत की बेहतरीन ज़िंदगी दुनिया में अच्छी खेती करने ही से मिलती है।

दुनिया दौड़-धूप, जिहाद व नमाज़, रोज़ा और ज़कात व ख़ैरात का घर है। जन्नत वालों से अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाएगा :

जो अमल तुम पहले दिनों में आगे भेज चुके हो उसके बदले में मज़े से खाओ और पियो। (हाक़्क़ा : 24)

दसवां विषय

झाड़ फूंक और तावीज़ गंडे

(1) **झाड़ फूंक** : इसमें मन्तर आदि पढ़ कर बीमारों, मुसीबत वालों पर फूंका जाता है जैसे बुख़ार, मिर्गी, शैतान, भूत आदि। इसे मन्तर भी कहा जाता है। इसकी दो क़िस्में हैं।

(1) जो शिर्क से ख़ाली हो। इस तौर से कि मरीज़ पर क़ुरआन में से कुछ पढ़कर फूंका जाये या फिर अल्लाह तआला के अस्मा व सिफ़ात का नाम लेकर मरीज़ के लिए पनाह मांगी जाये, यह क़िस्म जाइज़ है, इसलिए कि स्वयं नबी सल्ल० ने झाड़ फूंक किया है और आप सल्ल० ने इसकी इजाज़त दी है। बल्कि इसका आदेश भी दिया है।

हज़रत औफ़ बिन मालिक रज़ि० से यह रिवायत आई है आप कहते हैं कि हम जाहिलीयत में झाड़ फूंक किया करते थे। इस कारण हमने रसूलुल्लाह सल्ल० से अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! इस बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? तो आप सल्ल० ने फ़रमाया : "अपनी झाड़ फूंक मुझे भी दिखाओ उसमें कोई नुक़सान नहीं जब तक कि उसके अन्दर शिर्क न हो।" (मुस्लिम)

अल्लामा सुयूती रहि० ने फ़रमाया : झाड़ फूंक के जाइज़ होने पर उलमा का इत्तिफ़ाक़ है लेकिन उसके लिए तीन नियम हैं।

पहला यह कि उसमें अल्लाह का नाम या अल्लाह तआला के (नाम) अस्माए हुस्ना या सिफ़ात इस्तेमाल किए गये हों।

दूसरा यह कि वह अरबी भाषा में हो और उसका अर्थ ज़ाहिर हो।

और तीसरा नियम यह कि झाड़ फूंक करने और कराने वाले दोनों का यह अक़ीदा हो कि वह चीज़ें स्वयं असर नहीं करतीं बल्कि अल्लाह तआला की क़ुदरत से होती हैं। इसका तरीक़ा यह है कि जो कुछ पढ़ना है उसे पहले पढ़ लिया जाये फिर मरीज़ पर फूंका जाये या पानी पर फूंका जाये और वह पानी मरीज़ को पिला दिया जाये, जैसे कि हज़रत साबित बिन क़ैस रज़ि० की हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने बतहान से मिट्टी ली। उसको एक प्याले में रखा। पानी के ज़रिये उस पर फूंका और पानी को उस पर उलट दिया।

(अबू दाऊद)

(2) झाड़ फूंक की दूसरी क़िस्म यह है जिसमें शिर्क पाया जाए, इस तरह के

झाड़ फूंक में अल्लाह के अलावा दूसरे से मदद मांगी जाती है, अल्लाह के अलावा दूसरे से दुआ की जाती है, अल्लाह के अलावा दूसरे की दुहाई दी जाती है, अल्लाह के अलावा दूसरे को पुकारा जाता है उससे पनाह मांगी जाती है, जैसे जिन्न, या फ़रिश्ते या नबियों और नेक लोगों के नामों को पढ़कर फूंकना।

इस में खुले तौर पर अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारा जाता है, जो शिर्के अक्बर है या फिर वह अरबी के अलावा दूसरी ज़बानों में होता है उसका अर्थ मालूम नहीं होता, ऐसी सूरत में पूरी शंका है कि उसमें कुफ़्रिया व शिर्किया शब्द हों और पढ़ने वाले को उसका ज्ञान न हो इस कारण इस तरह के सभी झाड़ फूंक हराम व नाजाइज़ हैं।

(2) **तावीज़ व गंडा** : तावीज़ व गन्डों से मुराद वह तावीज़ है जो बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उनके गले में लटकाए जाते हैं और कभी-कभी मर्द व औरत दोनों के बड़े बूढ़ों पर भी लटकाये जाते हैं।

तावीज़ की दो क़िस्में हैं—

पहली क़िस्म : वह तावीज़ जो क़ुरआन में से तैयार किये गए हों या तो उनमें क़ुरआन की आयतें लिखी गई हों। या अल्लाह तआला के अस्मा व सिफ़ात लिखे गये हों और शिफ़ा हासिल करने के लिए वह मरीज़ के बदन के किसी हिस्से में बांधे जाते हों या उसके गले में लटकाये जाते हों। इस तरह की तावीज़ लटकाने के बारे में उलमा का मतभेद है इस बारे में उनकी दो रायें या दो बातें सामने आई हैं।

पहली बात—जाइज़ है, यह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस का फ़रमान (क़ौल) है, हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत की गई हदीस का भी ज़ाहिरी अर्थ इस पर दलालत करता है। हज़रत अबू जाफ़र अल बाक़र, अहमद बिन हम्बल रहि० ने भी इसकी ताईद की है और इससे मनाही वाली हदीस को शिर्किया तावीज़ पर महमूल किया है।

दूसरी बात—जाइज़ न होने की है यह हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि०, इब्ने अब्बास रज़ि०, हुज़ैफ़ा, उक़बा बिन आमिर, इब्ने अकीम आदि की बातें है, कुछ ताबईन का भी यही कहना है, उनमें से इब्ने मसऊद के साथी और एक रिवायत के अनुसार अहमद भी शामिल हैं मुतअख़्ख़रीन (बाद वालों) ने पूरी पुख़्तगी के साथ नाजाइज़ का फ़त्वा दिया है और हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि० की हदीस को हुज्जत बनाया है। हदीस शरीफ़ है : "मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना कि झाड़ फूंक, तावीज़ गंडे और जन्तर-मन्तर में शिर्क है।" (अहमद, अबू दाऊद)

हदीस में तवला (जन्तर मन्तर) का शब्द एक खास जादुवी तरकीब है, जिसे कुछ लोग इस गुमान से बनाते हैं कि यह पत्नी को पति की प्यारी और पति को पत्नी का प्यारा बनाता है।

तीन कारणों की बिना पर दूसरी बात ही सही है

(1) हर तरह के तावीज़ से अक्सर रोका गया है,और इस आम को ख़ास करने वाली कोई चीज़ मौजूद नहीं।

(2) इसके ज़रिए फ़िला व फ़साद का रास्ता ही रोक दिया जाता है, इसलिए कि इसके जाइज़ होने के बाद लोग वह चीज़ें भी प्रयोग करने लगेंगे जो हमारे यहां जाइज़ नहीं।

(3) जब क़ुरआनी आयत से तैयार किया हुआ तावीज़ लटकाया जाता है तो लटकाने वाले से उसका अपमान हो ही जाता है जैसे पेशाब व पाख़ाना के वक़्त उसे अपने पास से अलग नहीं कर पाता। (फ़त्हुल मजीद : 136)

दूसरी क़िस्म—इसमें क़ुरआन मजीद के अलावा दूसरी सारी लटकाने वाली चीज़ें आ जाती हैं, ठीकरे, हड्डियां, सीप, धागे, जूतियां, कीलें, शैतानों और जिन्नों के नाम और तलासिम (जादू) आदि। तावीज़ों की यह क़िस्म बिल्कुल हराम है, इसमें खुला शिर्क है, इसलिए कि इस तरह की चीज़ों में अल्लाह तआला और उसके अस्मा व सिफ़ात और क़ुरआनी आयत के बजाए दूसरी चीज़ों के नाम पर लटकाए जाते हैं।

जबकि एक हदीस शरीफ़ के शब्द यह हैं कि "जो आदमी किसी चीज़ को लटकाता है वह उसी के हवाले कर दिया जाता है।" (अहमद, अबू दाऊद)

अर्थात अल्लाह तआला उसको उसी चीज़ के हवाले कर देता है और यदि कोई अल्लाह तआला से उम्मीद लगाए रहता है, उसकी पनाह चाहता है और अपने मुआमलों को भी उसके हवाले कर देता है तो ऐसे आदमी के लिए अल्लाह तआला स्वयं काफ़ी हो जाता है, उसके हर दूर को नज़दीक कर देता है और हर कठिनाई को आसान बना देता है। और जो उसके अलावा दूसरी मख़्लूक़ात तावीज़ों व दवाओं और क़ब्रों व मज़ारों का सहारा लेते हैं तो अल्लाह तआला उन्हें उन्हीं के हवाले कर देता है जो उसे लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं, उसके कारण उसका अक़ीदा भी जाता है और अल्लाह तआला से उसका लगाव ख़त्म हो जाता है और अल्लाह तआला भी उसका साथ छोड़ देता है।

इस कारण एक मुसलमान को सबसे पहले अपने अक़ीदे की रक्षा करनी

चाहिए और कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जिससे उसका अक़ीदा बिगड़ता हो या उसमें तब्दीली पैदा होती हो इस कारण नाजाइज़ दवाएं प्रयोग न करें नजूमियों, काहिनों और जादूगरों के पास कदापि न जायें, इसलिए कि यह लोग आदमी को अच्छा करने के बजाए उसके दिल को और बीमार कर देते हैं और उनके अक़ीदे को बिगाड़ देते हैं। लेकिन जो अल्लाह तआला पर भरोसा करता है वह उसके लिए काफ़ी हो जाता है।

इस तरह के तावीज़ कुछ लोग स्वयं अपने ऊपर डाल लेते हैं जबकि उन्हें जिस्मानी तौर पर तो बीमारी नहीं होती बल्कि यह वहमी मरीज़ होते हैं जैसे बुरी नज़र, हसद का भय आदि, कुछ लोग तो अपनी गाड़ी, जानवर, घर के दरवाज़ों और दुकानों पर तावीज़ लटकाते हैं। यह सब अक़ीदे की कमज़ोरी है, अल्लाह तआला पर तवक्कुल की कमज़ोरी है और अक़ीदा में कमज़ोरी पैदा हो जाना ही असल में सबसे बड़ी बीमारी है जिसका तुरन्त इलाज अधिक ज़रूरी है जो तौहीद की पहचान और सही अक़ीदे के ज्ञान ही से हो सकता है।

ग्यारहवां विषय

अल्लाह के अलावा दूसरे की क़सम, मख़्लूक़ का वसीला और मख़्लूक़ की दुहाई के आदेशों का बयान

अल्लाह के अलावा दूसरे की क़सम—क़सम को अरबी में "हलफ़" कहा जाता है, इससे मुराद है किसी हुक्म व फ़ैसले को साबित करने के लिए ख़ुसूसी तौर पर किसी बड़े और महान आदमी या चीज़ का नाम लेना, चूंकि हद दर्जे की ताज़ीम व सम्मानता का हक़दार केवल अल्लाह तआला है, इसलिए उसके अलावा किसी दूसरे की क़सम खाना या क़सम के वक़्त नाम लेना जाइज़ नहीं है।

उलमाए किराम का इस पर इजमाअ है कि केवल अल्लाह तआला और उसके अस्मा व सिफ़ात की ही क़सम खाई जा सकती है, इस तरह इस बात पर भी इजमाअ है कि अल्लाह के अलावा की क़सम किसी हाल में भी जाइज़ नहीं इसलिए कि यह खुला हुआ शिर्क है, इस बारे में हज़रत इब्ने उमर रज़ि० की रिवायत बहुत ही साफ़ है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "जिसने अल्लाह के अलावा की क़सम खाई उसने कुफ़्र या शिर्क किया।" (तिर्मिज़ी, हाकिम)

यह शिर्के अस्ग़र है लेकिन यदि जिसकी क़सम खाई जाए वह क़सम खाने वाले के नज़दीक बहुत ही सम्मानित हस्ती हो और उसके नज़दीक उसकी इबादत जाइज़ हो तो उसका क़सम खाना शिर्के अक्बर है, जैसे कि आज हमारे क़ब्र परस्तों का हाल है, यह लोग क़ब्र वाले से इतना डरते हैं कि उतना अल्लाह तआला से नहीं डरते और उसका इतना सम्मान व आदर करते हैं कि अल्लाह तआला का नहीं करते, इस कारण उनमें से किसी को यदि किसी वली की क़सम खाने को कहा जाए तो उसकी क़सम नहीं खाते है जबकि वह अपनी क़सम में सच्चा न हो और यदि अल्लाह तआला की क़सम खाने को कहा जाये तो खा लेता है यद्यपि वह झूठा हो। असल में क़सम में जिसकी क़सम खाई जाती है उसका बहुत अधिक सम्मान व आदर होता है और इस तरह का सम्मान व आदर केवल अल्लाह तआला ही को शोभा देता है। अल्लाह तआला की क़सम खाने में भी बहुत अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है और हर जगह और हर मौक़े पर उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्लाह तआला का इर्शाद है :

और किसी ऐसे आदमी के कहे में न आ जाना जो बहुत क़समें खाने वाला अपमानित है। (क़लम : 10)

यह भी फ़रमाया :

(और तुमको) चाहिए कि अपनी क़समों की रक्षा करो। (माइदा : 89)

अर्थात ज़रूरत के समय और सच्चाई व नेकी के मुआमले में ही क़सम खाओ, इसलिए कि बहुत अधिक क़सम खाना और झूठी क़सम खाना अल्लाह तआला के साथ मज़ाक़ के बराबर है जो तौहीद की तकमील के बिल्कुल विरुद्ध है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :

"तीन आदमियों से अल्लाह तआला बात नहीं करेगा और न उन्हें पाक व पवित्र करेगा और उनके लिए भयंकर अज़ाब होगा।"

इसी हदीस में आगे यूं आया है :

"और वह आदमी जिसने अल्लाह तआला को अपना सामान बना लिया, इस कारण जब वह कुछ बेचता है तो उसकी क़सम खाकर, और ख़रीदता है तो उसकी क़सम खाकर।" (तबरानी)

अधिक क़सम खाने की जो वईद आई उससे साफ़ पता चलता है कि अधिक क़सम खाना हराम है। ताकि अल्लाह की ज़ाते गिरामी और पवित्र अस्मा व सिफ़ात का सम्मान व आदर ख़तरे में न हो।

इसी तरह अल्लाह की झूठी क़सम खाना भी हराम है। अल्लाह तआला ने मुनाफ़िक़ों की तारीफ़ में फ़रमाया कि यह लोग हक़ीक़ते हाल से परिचित होने के बावजूद झूठी क़सम खाते हैं।

निचोड़

(1) अल्लाह के अलावा जैसे अमानत, काबा शरीफ़ या नबी करीम सल्ल० की क़सम खाना हराम है और शिर्क भी।

(2) जान बूझकर अल्लाह तआला की झूठी क़सम खाना भी हराम है।

(3) अल्लाह तआला की बहुत अधिक क़सम खाना भी हराम है चाहे वह अपनी क़सम में सच्चा क्यों न हो इसलिए कि बिना ज़रूरत क़सम खाना अल्लाह के साथ मज़ाक़ करना है।

(4) ज़रूरत के वक़्त सच्चाई के समय पर अल्लाह तआला की क़सम खाना जाइज़ है।

अल्लाह की नज़दीकी के लिए मख़्लूक़ का ज़रीआ (तवस्सुल)

तवस्सुल का अर्थ किसी चीज़ से क़रीब होने और पहुंचने के हैं और वसीला

क़ुर्बत को कहते हैं, अल्लाह तआला का इर्शाद है :

और उसकी नज़दीकी हासिल करने का ज़रीआ तलाश करते रहो। (माइदा : 35)

अर्थात अल्लाह तआला की ख़ुशनूदी हासिल करके उसके क़रीब होना।

वसीले की दो क़िस्में हैं—

पहली क़िस्म—मशरूअ (शरई) वसीला, इसकी भी चन्द क़िस्में हैं—

(अ) अल्लाह तआला के अस्मा व सिफ़ात के ज़रिए अल्लाह तआला की नज़दीकी हासिल करना। जैसे कि अल्लाह तआला ने हमें आदेश दिया है। इर्शादे बारी तआला है :

और अल्लाह के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं तो उसको उसके नामों से पुकारा करो। और जो लोग उसके नामों में टेढ़ापन (इख़्तियार) करते हैं उनको छोड़ दो, वह जो कुछ कर रहे हैं जल्द ही उसकी सज़ा पाएंगे। (आराफ़ : 180)

(ब) पहले का ईमान और उन नेक अमलों के ज़रिए अल्लाह की नज़दीकी हासिल करना जिन्हें वसीला चाहने वाला कर चुका है। ईमान वालों के बारे में अल्लाह तआला ने हमें यह सूचना दी है।

इर्शाद बारी तआला है :

ऐ रब हमने एक आवाज़ करने वाले को सुना कि ईमान के लिए पुकार रहा था (अर्थात अपने) रब पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए, ऐ रब हमारे गुनाह माफ़ फ़रमा और हमारी बुराइयों को हमसे मिटा और हमको दुनिया से नेक बन्दों के साथ उठा। (आले इमरान : 193)

और जैसे कि उन तीन लोगों के सम्बन्ध में हदीस आयी है जिन पर चट्टान खिसक आई थी और उनके ग़ार का मुंह बंद हो गया था, जिससे वह निकल नहीं पा रहे थे इस कारण उन्होंने नेक अमलों का वसीला इख़्तियार किया जिसके नतीजे में अल्लाह तआला ने उनसे चट्टान को खिसका दिया और वह चलते हुए निकल आए।

(ज) अल्लाह तआला का वसीला तौहीद के ज़रिए से जैसे कि हज़रत यूनुस अलैहि० ने किया था। इर्शादे बारी है :

आख़िर अंधेरे में (अल्लाह को) पुकारने लगे कि तेरे अलावा कोई माबूद नहीं तू पवित्र है। (अम्बिया : 87)

(द) अल्लाह तआला का वसीला अपनी कमज़ोरी व नाताक़ती, ज़रूरत व

मुहताज़गी को जाहिर करने के ज़रिए जैसा कि हज़रत ऐयूब अलैहि० ने कहा था। आयते करीमा है :

मुझे पीड़ा हो रही है और तू सबसे अधिक रहम करने वाला है।

(अम्बिया : 83)

(ह) अल्लाह तआला का वसीला और नज़दीकी ज़िन्दा बुज़ुर्गों और नेकों की दुआओं के ज़रिए जैसा कि सहाबए किराम किया करते थे कि जब सूखा पड़ता अकाल आता था तो नबी सल्ल० के चाचा हज़रत अब्बास रज़ि० से दुआ की गुज़ारिश करते थे और आप उनके लिए दुआ करते थे। (बुख़ारी)

(व) अल्लाह तआला का वसीला अपने पापों के इक़्बाल (इक़रार) के ज़रीए। इर्शादे बारी तआला है :

बोले कि ऐ रब ! मैंने स्वयं पर ज़ुल्म किया तु मुझे बख़्श दे। (क़सस : 16)

दूसरी क़िस्म—ग़ैर मश्रूअ (नाजाइज़) वसीला बयान किए हुए जाइज़ वसीलों के अलावा वसीले के लिए जो भी तरीक़ा इख़्तियार किया जाये वह नाजाइज़ होगा, जैसे मुर्दों से दुआ व सिफ़ारिश का वसीला, रसूलुल्लाह सल्ल० के उच्च पद के ज़रिए वसीला आदि।

ना जाइज़ वसीले की भी चन्द क़िस्मे हैं जो निम्नलिखित हैं—

मुर्दों से दुआ मांगना जाइज़ नहीं

इसलिए कि मुर्दा दुआ पर ताक़त नहीं रखता जैसा कि वह ज़िंदगी में रखता था। इस कारण मुर्दों से सिफ़ारिश तलब करना भी जाइज़ नहीं है, इसलिए कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० हज़रत मुआविया रज़ि० और अन्य सहाबए किराम सूखा पड़ने के समय पर इस्तिस्क़ा (पानी चाहना) के वसीला और सिफ़ारिश के लिए उन्हीं लोगों के पास गये जो उस समय ज़िन्दा मौजूद थे जैसे हज़रत अब्बास, हज़रत यज़ीद बिन अल अस्वद आदि, लेकिन सहाबए किराम ने कभी-भी रसूलुल्लाह सल्ल० की वफ़ात के बाद आप सल्ल० के रौज़ए अत्हर के पास या रौज़ए अत्हर के बाहर, इस्तिसक़ा की गुज़ारिश नहीं की, बल्कि दूसरी ज़िन्दा हस्तियों को पकड़ा, जैसे हज़रत अब्बास रज़ि० और यज़ीद रज़ि० आदि ऐसे ही एक समय पर हज़रत उमर रज़ि० ने यह दुआ फ़रमाई थी—

ऐ अल्लाह ! हम पहले अपने नबी के ज़रिए तेरी नज़दीकी चाहते थे, तू हमें पिलाता था, अब हम अपने नबी के चचा के वसीले से इसकी दरख़ास्त करते हैं इसलिए हमें पिला।

यहां पर हज़रत उमर रज़ि० ने रसूलुल्लाह सल्ल० की जगह पर हज़रत अब्बास रज़ि० का वसीला इख़्तियार किया, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्ल० की वफ़ात के बाद रसूलुल्लाह सल्ल० का वसीला जाइज़ नहीं था। सहाबए किराम ऐसा भी कर सकते थे कि आप सल्ल० के रौज़ए अत्हर के पास आते और आपके वसीले से अल्लाह तआला से जो कुछ मांगना होता मांगते, लेकिन चूंकि यह जाइज़ नहीं था, इसलिए सहाबए किराम ने ऐसा नहीं किया।

इस कारण जब सहाबए किराम ने ऐसा नहीं किया तो इससे साफ़ प्रकट होता है कि मुर्दों का वसीला पकड़ना सही नहीं है, न तो उनकी दुआ के ज़रिए और न ही उनकी सिफ़ारिश के ज़रिए। यदि वसीला और सिफ़ारिश और दुआ के मुआमले में मुर्दा व ज़िन्दा बराबर होते तो सहाबए किराम कभी भी रसूलुल्लाह सल्ल० को छोड़कर आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ि० को नहीं पकड़ते, जो कभी भी रसूलुल्लाह सल्ल० के बलन्द दर्जे को नहीं पहुंच सकते थे।

रसूलुल्लाह सल्ल० या किसी दूसरे के मक़ाम व दर्जे के ज़रिए वसीला जाइज़ नहीं

इस बारे में जो यह हदीस बयान की जाती है :

"जब तुम अल्लाह तआला से कुछ मांगों तो मेरे पद व सम्मान के वसीले से मांगो, इसलिए कि मेरा पद व सम्मानता अल्लाह तआला के नज़दीक बहुत अधिक है।"

यह हदीस बिल्कुल मौज़ूअ (बनावटी) और झूठी है मोतबर हदीस की किताबों में नहीं मिलती और न ही किसी मुहद्दिस और आलिमे दीन ने इसको हदीस कहा है। इस कारण इसकी बुनियाद पर कोई अमल करना जाइज़ नहीं है। इसलिए कि इबादतों के सुबूत के लिए क़ुरआन व हदीस में साफ़ दलील की ज़रूरत है।

मख़्लूक़ में से किसी भी ज़ात का वसीला जाइज़ नहीं

इसलिए कि यह खुला हुआ शिर्क है अल्लाह तआला तक पहुंचने के लिए जो हर जगह विद्यमान है किसी बन्दे का वसीला पकड़ना सही नहीं है। इसी तरह अल्लाह तआला ने मख़्लूक़ से सवाल को दुआ की मंज़ूरी का कारण नहीं बनाया है और न ही अपने बन्दे के लिए इसको जाइज़ क़रार दिया है।

मख़्लूक़ के हक़ के ज़रिए वसीला दो कारणों से जाइज़ नहीं

पहला—अल्लाह तआला पर किसी का कोई हक़ नहीं, बल्कि अल्लाह तआला

का अपने बन्दों पर असंख्य दया व कृपा है।

इर्शादे बारी तआला है :

व का-न हक़्क़न अलैना नस्रुल मोमिनीन०

और मोमिनों की मदद हम पर ज़रूरी थी। (रूम : 47)

फ़रमांबरदार को जो अच्छा बदला मिलता है वह अल्लाह तआला की दया व कृपा से मिलता है यहां बदला का मुआमला नहीं होता जैसे कि मख़्लूक़ के बीच आमतौर पर होता है।

दूसरा—अल्लाह तआला की ओर से अपने मख़्लूक़ को जो हक़ पहुंचता है यह ख़ुसूसी हक़ है, दूसरे से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होता इस कारण यदि कोई दूसरा नाहक़दार आदमी, हक़दार आदमी के वसीले से हक़ हासिल करना चाहे तो यह एक बाहरी मुआमले से वसीला चाहने वाला होगा और यह अमल उसको कुछ लाभ पहुंचाने वाला नहीं होगा। जहां तक उस हदीस का सम्बन्ध है जिसके शब्द ये हैं—

"मैं सवाल करने वालों के हक़ के ज़रिए सवाला करता हूं।"

तो यह हदीस भी सही नहीं है यह सबके नज़दीक ज़ईफ़ है जैसा कि कुछ मुहद्दिसीन ने फ़रमाया : जिस हदीस का दर्जा यह हो उसको अक़ीदे जैसे अहम मुआमले में दलील बनाना सही नहीं है, फिर इसमें किसी ख़ास आदमी के हक़ का चर्चा नहीं है बल्कि आम तौर पर सवाल करने वालों के हक़ का वास्ता दिया गया है और सवाल करने वालों का हक़ है कि उसकी मुरादें पूरी हों जैसे अल्लाह तआला ने उनसे वादा फ़रमाया है।

फिर यह ऐसा हक़ है जिसे अल्लाह तआला ने स्वयं ही अपने ऊपर वाजिब क़रार दिया है किसी दूसरे ने उस पर वाजिब क़रार नहीं दिया। इस कारण उससे वसीला हासिल करना स्वयं अल्लाह तआला के सच्चे वादे के ज़रिए वसीला हासिल करना है न कि किसी मख़्लूक़ के हक़ के ज़रिए।

मख़्लूक़ को पुकारने और उससे मदद चाहने का आदेश

'इस्तिआनत' कहते हैं मदद चाहने और किसी मुआमले में किसी से समर्थन और शक्ति हासिल करने को,

"इस्तिग़ासा" कहते हैं कि किसी परेशानी और दुःख को दूर करने की दरख़ास्त करने को। इस कारण मख़्लूक़ से इस्तिआनत व इस्तिग़ासा करने की दो क़िस्में हैं—

(1) जितना मख़्लूक़ के बस में है उतना ही उससे मांगना जाइज़ है।

इर्शादे बारी तआला है :

और नेकी और परहेज़गारी में एक दूसरे की सहायता किया करो।(माइदा : 2)

अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहि० के क़िस्से में भी फ़रमाया :

और जो आदमी उनकी क़ौम में से था उसने दूसरे आदमी के मुक़ाबले में जो मूसा के दुश्मनों में से था मूसा से सहायता मांगी। (क़सस : 15)

युद्ध आदि के समय पर भी एक आदमी अपने मददगारों को इस तरह की सहयोग व सहायता के लिए पुकारता है।

(2) जो मख़्लूक़ के बस में न हो केवल अल्लाह तआला ही उस पर क़ुदरत रखता हो, उसको मख़्लूक़ से मांगना, जैसे मुर्दों से इस्तिग़ासा करना या सहायता मांगना या ज़िन्दों से ऐसी चीज़ें मांगना जिस पर केवल अल्लाह तआला ही क़ादिर है जैसे बीमारों को अच्छा करना, मुसीबतों का हटाना, दुःख को दूर करना, इस तरह से मख़्लूक़ से कुछ मांगना जाइज़ नहीं, यह शिर्के अक्बर है, रसूलुल्लाह सल्ल० के शुभ समय में एक मुनाफ़िक़ मुसलमानों को ख़ूब परेशान करता था। मुनाफ़िक़ की शरारत देख कर एक मुसलमान ने कहा चलो इस मुनाफ़िक़ के बारे में रसूलुल्लाह सल्ल० से इस्तिग़ासा करें यह सुनकर आप सल्ल० ने फ़रमाया :

"मुझसे सहायता मांगी नहीं जाती बल्कि अल्लाह तआला से सहायता मांगी जाती है।" (तिबरानी)

रसूलुल्लाह सल्ल० ने अपने हक़ में इस तरह के शब्द प्रयोग करने को नापसन्द फ़रमाया जबकि आप सल्ल० इस पर क़ादिर थे लेकिन ख़ालिस तौहीद की रक्षा और शिर्क की राहों को बन्द करने के लिए और अपने रब के सामने तवाज़ो इन्किसारी और अपनी उम्मत को बातों और कामों में शिर्क के रास्ते से बचाने के लिए ऐसा फ़रमाया।

अपनी ज़िंदगी में इस पर ताक़त रखने के बावजूद जब आप सल्ल० ने ऐसा फ़रमाया तो फिर आपके मृत्यु के बाद इसकी हिम्मत कैसे की जा सकती है और आप सल्ल० से वह चीज़ें भी कैसे मांगी जा सकती हैं जिन पर आप क़ादिर नहीं हैं। फिर जब यह चीज़ें आपके साथ जाइज़ नहीं तो किसी वली, बुज़ुर्ग या दूसरे के साथ कैसे जाइज़ हो सकती हैं ?

तीसरा अध्याय

रसूलुल्लाह सल्ल० अहले बैत और सहाबए किराम के सम्बन्ध वुजूबी अक़ीदे का बयान (पाठ)

इसमें भी अनेक विषय हैं—

पहला विषय

रसूलुल्लाह सल्ल० की मुहब्बत और सम्मानता का वाजिब होना, आप सल्ल० की प्रशंसा में ज़्यादती से मनाही और आप सल्ल० के आदर व सम्मान का बयान

(1) रसूलुल्लाह सल्ल० की मुहब्बत और सम्मानता का वाजिब होना

आदमी पर सबसे पहले अल्लाह की मुहब्बत ज़रूरी है। यह इबादत की सबसे बड़ी क़िस्म है। अल्लाह तआला का इर्शाद है:

लेकिन जो ईमान वाले हैं वह तो अल्लाह ही के सबसे अधिक प्रेमी हैं।

(बक़रा : 165)

इसलिए कि अल्लाह तआला ही अपने बन्दों पर हक़ीक़त में इन्आम (कृपा) करने वाला है जिसने सारी ज़ाहिरी व बातिनी नेमतों से बन्दों को नवाज़ा है, फिर अल्लाह तआला से मुहब्बत के बाद उसके रसूल मुहम्मद सल्ल० से मुहब्बत वाजिब है इसलिए कि आप सल्ल० ने बन्दों को अल्लाह की ओर बुलाया, और उसका परिचय कराया, उसकी शरीअत को पहुंचाया और उसके आदेशों को बयान फ़रमाया, आज मुसलमानों को जो दुनिया व आख़िरत की भलाई प्राप्त है वह इसी रसूले रहमत के कारण हासिल है कोई भी आदमी आप सल्ल० की आज्ञापालन और पैरवी के बिना जन्नत में दाख़िल नहीं हो सकता, एक हदीस के शब्द यह हैं :

"जिसके अन्दर तीन चीज़ें होंगी वह ईमान की मिठास पायेगा वह यह कि अल्लाह और उसके रसूल उसके नज़दीक दूसरों से अधिक महबूब हों और किसी आदमी से मुहब्बत करता हो तो केवल अल्लाह तआला के लिए करता हो और कुफ़्र की ओर लौटना इसके बाद कि अल्लाह तआला ने उसे उससे निकाला है

ऐसा ही नापसन्द करता हो जैसे कि आग में डाले जाने को नापसन्द करता है।"
(बुख़ारी-मुस्लिम)

इस हदीस से पता चला कि रसूलुल्लाह सल्ल० की मुहब्बत अल्लाह तआला की मुहब्बत के अधीन है और उसके साथ ज़रूरी है और पद के एतिबार से दूसरे दर्जे पर है।

आप सल्ल० की मुहब्बत और अल्लाह तआला के अलावा अन्य सभी महबूब चीज़ों से आप सल्ल० की मुहब्बत को आगे रखने के सम्बन्ध में हदीस के शब्द यह हैं :

"तुम में से कोई उस वक़्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके लड़के उसके माता, पिता और सारे लोगों से अधिक महबूब न हों जाऊं।"
(बुख़ारी-मुस्लिम)

बल्कि एक हदीस में तो आया है कि "एक मोमिन के लिए ज़रूरी है कि आप सल्ल० को अपने नफ़्स (वुजूद) से अधिक महबूब रखे।"

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० ने एक बार अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! आप सल्ल० मेरे नज़दीक दुनिया की हर चीज़ से महबूब हैं मगर मेरे नफ़्स से, आप सल्ल० ने फ़रमाया : उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है जब तक मैं तुम्हारे नफ़्स से अधिक तुम्हारा महबूब न बन जाऊं बात नहीं बनेगी यह सुनकर हज़रत उमर रज़ि० ने अर्ज़ किया : इस समय आप मेरे नफ़्स से भी अधिक महबूब हैं, आप सल्ल० ने फ़रमाया इस समय ऐ उमर।

इससे यह बात मालूम हो गई कि रसूलुल्लाह सल्ल० की मुहब्बत वाजिब है और अल्लाह तआला की मुहब्बत के अलावा दुनिया की हर चीज़ की मुहब्बत से ज़्यादा है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्ल० की मुहब्बत अल्लाह तआला की मुहब्बत के अधीन और उसको लाज़िम है, इसलिए कि यह मुहब्बत भी अल्लाह तआला की राह में और उसी के लिए है और अल्लाह तआला की मुहब्बत मोमिन के दिल में जितनी बढ़ेगी उतनी ही रसूलुल्लाह सल्ल० की मुहब्बत बढ़ेगी और अल्लाह तआला की मुहब्बत यदि घटेगी तो रसूलुल्लाह सल्ल० की मुहब्बत भी घटेगी और जो आदमी भी अल्लाह तआला से मुहब्बत रखेगा वह अल्लाह तआला ही के लिए रसूलुल्लाह सल्ल० से भी मुहब्बत रखेगा।

फिर रसूलुल्लाह सल्ल०से मुहब्बत की अभिलाषा यह है कि हम उनके सम्मान व आदर में कोई कमी न उठा रखें और उन्हीं की पैरवी करें उनका फ़रमान हर एक की बात से प्रथम रखें और उनकी सुन्नत का बहुत अधिक सम्मान करें।

अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहि० फ़रमाते हैं : इन्सान से मुहब्बत और उसका सम्मान यदि अल्लाह से मुहब्बत और उसके सम्मान के अधीन है तो वह जाइज़ है जैसे रसूलुल्लाह सल्ल० से मुहब्बत और आप का सम्मान, आपकी मुहब्बत व आदर असल में आपको रसूल बनाकर भेजने वाले से मुहब्बत और उसके सम्मान की पूर्ति है, आप सल्ल० की उम्मत आप सल्ल० से मुहब्बत इसलिए करती है कि वह अल्लाह तआला से मुहब्बत करती है और आप सल्ल० का सम्मान व आदर इसलिए करती है कि वह अल्लाह तआला का सम्मान व आदर करती है आप सल्ल० की मुहब्बत अल्लाह तआला की मुहब्बत का एक अंश है या अल्लाह तआला से मुहब्बत का नतीजा है।

मेरे बयान का उद्देश्य यह है कि अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्ल० के व्यक्तित्व में इतनी मुहब्बत व धाक डाल दी थी कि स्वयं लोग आप से मुहब्बत करते और ख़ौफ़ खाते थे। यही कारण है कि कोई भी इन्सान किसी इन्सान के लिए इतना महबूब, सम्मानित और धाक वाले नहीं थे जितना कि रसूलुल्लाह सल्ल० अपने सहाबए किराम रज़ि० के नज़दीक महबूब, सम्मानित और धाक वाले थे, हज़रत अमर बिन आस रज़ि० ने इस्लाम क़बूल करने के बाद कहा था कि इस्लाम क़बूल करने से पहले रसूलुल्लाह सल्ल० से अधिक नापसन्दीदा आदमी मेरे नज़दीक कोई नहीं था लेकिन अब इस्लाम क़बूल करने के बाद रसूलुल्लाह सल्ल० से महबूब और सम्मानित आदमी मेरे नज़दीक कोई नहीं। यदि मुझसे आप सल्ल० की प्रशंसा के लिए कहा जाये तो मैं कुछ नहीं बोल सकता इसलिए कि आप सल्ल० के सम्मान व दबदबे में कभी आप सल्ल० को जी भर के नहीं देख सका।

हज़रत उरवा बिन मसऊद रज़ि० ने क़ुरैश से कहा था, ऐ लोगो ! अल्लाह की क़सम मैं केसर व किसरा और अन्य देशों के बादशाहों के दरबार में गया हूं लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं पाया कि उसके मित्र व साथी उसका इतना सम्मान करते हों जितना सम्मान मुहम्मद सल्ल० के साथी व मित्र उनकी करते हैं अल्लाह की क़सम उनके सम्मान व आदर और धाक व शान में उनसे नज़र नहीं मिलाते, जब वह थूकते हैं तो किसी सहाबी की हथेली में पड़ता है जिसे वह अपने चेहरे और सीने पर मल लेते हैं और आप सल्ल० जब वुज़ू करते हैं तो वह वुज़ू के पानी के लिए आपस में लड़ पड़ते हैं। (जिलाउल्इफ्हाम : 120-121)

आप सल्ल० की प्रशंसा में हद से आगे बढ़ने की मनाही

'ग़ुलू' कहते हैं हद पार कर जाने को, कोई आदमी जब मान व अनुमान में हद से आगे बढ़ जाता है तो उसके लिए ग़ुलू का शब्द इस्तेमाल होता है।

अल्लाह तआला का इर्शाद है :

अपने दीन (की बात) में हद से न बढ़ो। (निसा : 171)

और "अतरा" कहते हैं किसी की प्रशंसा में हद से आगे बढ़ जाने को और उसमें झूठ मिलाने को, रसूलुल्लाह सल्ल० के हक़ में गुलू का मतलब यह है कि आपकी आदर व सम्मान की ताईन में हद से आगे बढ़ जाये, इस तौर पर कि आपको अब्दीयत व रिसालत के पद से आगे बढ़ा दिया जाये और कुछ इलाही विशेषतायें व सिफ़तें आप की ओर संबंधित कर दी जायें, जैसे आप सल्ल० को पुकारा जाए, आप सल्ल० से मदद के लिए कहा जाये, आप सल्ल० से इस्तिग़ासा किया जाये और अल्लाह तआला के बजाए आप सल्ल० की क़सम खाई जाये।

इसी तरह आप सल्ल० के हक़ में मुबालग़ा से मुराद यह है कि आप सल्ल० की प्रशंसा व तारीफ़ में बढ़ोतरी कर दी जाये, इस चीज़ से आप सल्ल० ने ख़ुद रोक दिया था।

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "मेरी हद से अधिक तारीफ़ न किया करो जैसे कि ईसाइयों ने इब्ने मरयम के बारे में कहा, बेशक मैं एक बन्दा हूं इस कारण मुझे अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल कहा करो।" (बुख़ारी-मुस्लिम)

अर्थात झूठी विशेषताओं से मेरी तारीफ़ न करना और मेरी तारीफ़ में गुलू न करना, जैसे कि ईसाइयों ने ईसा अलैहि० की तारीफ़ में किया है कि उनको उलूहियत के पद में पहुंचा दिया देखो तुम मेरी इस तरह तारीफ़ करो जिस तरह कि मेरे रब ने मेरी तारीफ़ की है, इस कारण मुझे अल्लाह का बन्दा और अल्लाह का रसूल कहा करो, यही कारण है कि एक सहाबी ने जब आप सल्ल० से कहा कि आप सल्ल० हमारे सय्यिद (सरदार) हैं तो आप सल्ल० ने फ़रमाया : सय्यिद तो अल्लाह तआला है। और जब उसने कहा कि हम में से अफ़्ज़ल (सर्वश्रेष्ठ) और ताक़त के एतिबार से सबसे बड़े हैं तो आप सल्ल० ने फ़रमाया : इस तरह की तारीफ़ में कोई नुक़सान नहीं, जो चाहो कहो लेकिन देखो! इस मुआमले में तुमको शैतान हद से बहका न दे। (अबू दाऊद)

इसी तरह कुछ लोगों ने आप सल्ल० से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! ऐ हम में के सबसे बेहतर और हम में के सबसे बेहतर के बेटे, और हमारे सरदार और हमारे सरदार के बेटे! यह सुनकर आप सल्ल० ने फ़रमाया :

"ऐ लोगो मेरे सम्बन्ध में इस तरह की बातें कह सकते हो लेकिन देखो शैतान तुम्हें बहका न दे, मैं मुहम्मद हूँ अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल हूं; मैं यह पसन्द नहीं करता कि तुम मुझे उस आदर व सम्मान से बढ़ा दो जिस पर अल्लाह

रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे रखा है।" (अहमद, नसाई)

रसूलुल्लाह सल्ल० ने अपने लिए "हमारे सरदार" हम में के सबसे अच्छे", "हममें के सबसे सर्वश्रेष्ठ" जैसे शब्द और तारीफ़ को नापसन्द फ़रमाया है, जबकि हक़ीक़त में आप सल्ल० सारी मख़्लूक़ में सबसे अफ़्ज़ल व अशरफ़ और सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन आपने लोगों को ऐसा करने से केवल इसलिए रोक दिया था कि आपके बारे में लोग ग़ुलू व मुबालग़ा में न पड़ जायें और तौहीद की रक्षा न हो सके। आप सल्ल० ने अपने आपको केवल दो विशेषताओं से बयान करने की हिदायत की है, जो हक़ीक़त में बन्दे के लिए अब्दीयत का सबसे बड़ा दर्जा है और जिनमें ग़ुलू व मुबालग़ा नहीं है और न ही अक़ीदे के लिए कोई डर, वह दो सिफ़तें हैं अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल और अपनी इस आदर व सम्मान से जिसमें रब्बुल आलमीन ने आपको रखा है ऊंचा करने को नापसन्द फ़रमाया है, आज बहुत से लोग आप सल्ल० के इस फ़रमान की मुख़ालिफ़त करने पर तुले हुए हैं, खुलेआम आप सल्ल० को पुकारते हैं, आप सल्ल० से इस्तिग़ासा करते हैं, आप सल्ल० की क़सम खाते हैं, और आपसे वह चीज़ें मांगते हैं जो केवल अल्लाह तआला ही से मांगी जाती हैं।

इस तरह का विरोध मीलादों, नअतिया कलामों और नज़्मों में ख़ूब ख़ूब हो रहा है, इस तरह के लोग अल्लाह तआला के हक़ और रसूलुल्लाह सल्ल० के हक़ में कोई विभेद नहीं करते।

अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहि० ने इस हक़ीक़त को अपने एक क़सीदे (कविता) में यूं बयान किया है।

अल्लाह तआला का एक हक़ है जो दूसरे का नहीं हो सकता और उसके बन्दे का एक हक़ है, यह दो हक़ हुए उन दोनों हक़ों को बिना विभेद व अन्तर के एक हक़ न बनाओ।

(3) रसूलुल्लाह सल्ल० के आदर व सम्मान का बयान

अल्लाह तआला ने आप सल्ल० की जैसी तारीफ़ की है और आप सल्ल० को जिस आदरो सम्मान से नवाज़ा है उतनी तारीफ़ करने और उस दर्जे को बयान करने में कोई नुक़सान नहीं, अल्लाह तआला ने आप सल्ल० को बड़ा दर्जा और महान पद से नवाज़ा है, आप सल्ल० अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं, सारे मख़्लूक़ में आप सल्ल० सबसे अच्छे सबसे श्रेष्ठ हैं, आप सल्ल० सारे इन्सानों के लिए रसूल हैं, जिन्न व इन्सान के हर व्यक्ति के लिए आप सल्ल० नबी व रसूल

बनाकर भेजे गये हैं, आप रसूलों में भी सबसे उत्तम हैं। आप नबियों के ख़त्म करने वाले हैं, आप सल्ल० के बाद कोई नबी नहीं है। आप सल्ल० के सीने को अल्लाह तआला ने खोल दिया था। आप सल्ल० के ज़िक्र व चर्चा को अल्लाह तआला ने बलन्द फ़रमाया है और आप सल्ल० के आदेशों की अवज्ञा करने वालों के लिए हर तरह की बेइज़्ज़ती व बदनामी है, आप सल्ल० मक़ामे महमूद के मालिक हैं। अल्लाह तआला ने आप सल्ल० के सम्बन्ध में फ़रमाया :

क़रीब है कि अल्लाह तुमको मक़ामे महमूद में दाख़िल करे। (इस्रा : 79)

मक़ामे महमूद से मुराद वह मक़ाम है, जहां अल्लाह तआला आप सल्ल० को क़ियामत के दिन लोगों की शफ़ाअत के लिए खड़ा करेगा ताकि उन्हें उनका रब उस समय की परेशानी व सख़्ती से आराम पहुंचाए, यह बहुत ही ख़ास मक़ाम है जो केवल आप सल्ल० ही को प्रदान होगा, आप सल्ल० के अलावा किसी नबी को भी यह मक़ाम प्रदान न होगा, इसलिए कि आप सल्ल० अल्लाह तआला से सबसे अधिक डरने वाले और अल्लाह का सबसे अधिक आदर करने वाले हैं, अल्लाह तआला ने स्वयं आपके सामने आवाज़ बलन्द करने से लोगों को रोक दिया है और उन लोगों की प्रशंसा की है जो आप सल्ल० के सामने अपनी आवाज़ धीमी रखते हैं।

"ऐ ईमानवालो! अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊंची न करो और जिस तरह आपस में एक दूसरे से बोलते हो (इस तरह) उनके सामने ज़ोर से न बोला करो, (ऐसा न हो) कि तुम्हारे अमल बरबाद हो जायें और तुमको ख़बर भी न हो, जो लोग अल्लाह के नबी के सामने दबी आवाज़ में बोलते हैं अल्लाह ने उनके दिल तक़्वा व परहेज़गारी के लिए आज़मा लिए हैं, उनके लिए बख़्शिश और बड़ा सवाब है जो लोग तुमको कोठरी के बाहर से आवाज़ देते हैं उनमें से अधिक लोग बिना बुद्धि के हैं और यदि वह सब्र किए रहते यहां तक कि आप सल्ल० ख़ुद निकल कर उनके पास आते तो यह उनके लिए बेहतर था और अल्लाह तो बख़्शने वाला मेहरबान है।" (हुजरात : 2-5)

अल्लामा इब्ने कसीर रहि० फ़रमाते हैं : यह वह आयते करीमा है जिनके ज़रिए अल्लाह तआला ने अपने मोमिन बन्दों को रसूलुल्लाह सल्ल० का सम्मान व आदर और धाक व शान का मुआमला करने के आदाब सिखाए हैं, उनको बताया कि आप सल्ल० के सामने आप सल्ल० से अधिक अपनी आवाज़ को बलन्द न करें, नाम लेकर आप सल्ल० को कोई आदमी न पुकारे जैसा कि आम लोग पुकारे जाते हैं, इस कारण "ऐ मुहम्मद" नहीं कहा जाएगा, बल्कि नुबूवत व

रिसालत के वास्ते से आप सल्ल० पुकारे जाएंगे, इस कारण कहा जाएगा "ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के नबी" अल्लाह तआला का इर्शाद है :

मोमिनो—नबी के बुलाने को ऐसा ख़्याल न करना जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। (नूर : 63)

स्वयं अल्लाह तआला ने आप सल्ल० को 'ऐ नबी—ऐ रसूल' के अलकाब (उपाधियों) से पुकारा है और अल्लाह तआला और फ़रिश्तों ने आप सल्ल० पर दरूदो सलाम भेजे हैं और अल्लाह तआला ने अपने बन्दों को आप सल्ल० पर दरूदो सलाम भेजने का आदेश दिया है। इर्शादे बारी तआला है :

अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। मोमिनों तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो।' (अहज़ाब : 56)

लेकिन नबी सल्ल० की तारीफ़ व प्रशंसा के लिए कोई वक़्त या कोई तरीक़ा किताबो सुन्नत की सही दलील के बिना ख़ास नहीं किया जाएगा, इस कारण आज जो लोग मीलादुन्नबी के जश्न व जुलूस का इहतिमाम करते हैं और उस तारीख़ को आप सल्ल० की पैदाइश का दिन समझते हैं, यह बहुत ही नापसन्दीदा बिदअत है।

आप सल्ल० के सम्मान व आदर का तक़ाज़ा है कि आप सल्ल० की सुन्नत का सम्मान व आदर किया जाये उसके अमल के वुजूब पर अक़ीदा रखा जाये और यह कि सुन्नते रसूल पवित्र क़ुरआन के बाद आदर व अमल के एतिबार से पहले दर्जे पर है, इसलिए कि सुन्नत भी अल्लाह तआला की वही है, अल्लाह तआला का इर्शाद है :

और न नफ़्स की इच्छा से मुंह से बात निकालते हैं यह तो हुक्मे इलाही है जो उनकी तरफ़ भेजा जाता है। (नजम : 3-4)

इस कारण सुन्नत में संदेह पैदा करना, उसकी शान को कम करने की कोशिश करना हराम है, उसके मतन व सनद और तुर्क़ की तस्हीह व तज़ईफ़ में कलाम, अर्थ की ताईन व तशरीह बहुत ही सावधानी, ज्ञान व रक्षा के साथ की जानी चाहिए, आज न जाने कितने जाहिल ख़ास तौर पर तालीम के प्रारम्भिक मंज़िलों के नवयुवक रसूल सल्ल० की सुन्नत पर ज़बान दराज़ी करने लगे हैं, हदीसों की तस्हीह व तज़ईफ़ शुरू कर दी है और केवल अध्ययन (मुतालआ) के बलबूते पर रावियों पर जर्ह (खोद कुरैद) करने लगे हैं यह स्वयं उनके लिए और उम्मत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, उन्हें अल्लाह तआला से डरना चाहिए और अपनी हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

दूसरा विषय
नबी सल्ल० की फ़रमांबरदारी और पैरवी के वुजूब का बयान

नबी सल्ल० की फ़रमांबरदारी हर हाल में वाजिब है इस कारण आप सल्ल० के आदेशों का पालन करना और आप सल्ल० के निषेध से रुकना वाजिब है आप सल्ल० को अल्लाह का रसूल मानने का यही तकाज़ा है, अल्लाह तआला ने बहुत सारी आयतों में आप सल्ल० की इताअत (फ़रमांबरदारी) का हुक्म दिया है कभी तो अल्लाह की पैरवी के अंतर्गत में जैसे आयत है :

मोमिनो—अल्लाह और उसके रसूल की फ़रमांबरदारी करो। (निसा : 59)

और कभी अलग-अलग तौर पर आप सल्ल० की पैरवी का आदेश दिया है। इर्शादे रब्बानी है :

जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। (निसा : 80)

और एक जगह इर्शाद है :

और रसूलुल्लाह सल्ल० के फ़रमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाये। (नूर : 56)

और कभी रसूलुल्लाह सल्ल० के अवज्ञाकारों को वईदें सुनाई गई हैं। इर्शादे बारी तआला है :

तो जो लोग उनके आदेशों का विरोध करते हैं उनको डरना चाहिए कि (ऐसा न हो कि) उन पर कोई मुसीबत पड़ जाए या तकलीफ़ देने वाला अज़ाब उतरे। (नूर : 63)

अर्थात उनके दिलों में कुफ़्र व निफ़ाक़ और बिदअत के फ़ित्ने पैदा होंगे या फिर इस भौतिक (माद्दी) दुनिया ही में कोई दुखद अज़ाब आ घेरेगा जैसे क़त्ल या हद या क़ैद या फिर इसके अलावा अन्य फ़ौरी सज़ायें, अल्लाह तआला ने आप सल्ल० की इताअत व पैरवी को बन्दे से अपनी मुहब्बत और उसके गुनाहों की मुआफ़ी का कारण बनाया है।

"(ऐ नबी लोगों से) कह दो कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। (आले इमरान : 31)

अल्लाह तआला ने आप सल्ल० की इताअत को हिदायत और आपकी

नाफ़रमानी को गुमराही क़रार दिया है। इर्शादे रब्बानी है :

और यदि तुम उनके फ़रमान पर चलोगे तो सीधा रास्ता पा लोगे। (नूर : 54)

यह भी फ़रमाया :

फिर यदि यह तुम्हारी बात क़बूल न करे तो जान लो कि यह केवल अपनी इच्छाओं की पैरवी करते हैं और उससे अधिक कौन गुमराह होगा जो अल्लाह की हिदायत को छोड़ कर अपनी इच्छा के पीछे चले? बेशक अल्लाह ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। (क़सस : 50)

अल्लाह तआला ने इसकी भी ख़बर दी है कि आप सल्ल० उम्मत के लिए बेहतरीन निग्दर्शन, नमूना और उस्वए हस्ना हैं। इर्शाद है :

तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है (अर्थात) उस आदमी के लिए जिसे अल्लाह (से मिलने) और क़ियामत के दिन (के आने) की उम्मीद हो, और वह अल्लाह का ज़िक्र अधिकता से करता हो। (अहज़ाब : 21)

अल्लामा इब्ने कसीर रहि० फ़रमाते हैं : यह आयते करीम नबी अकरम सल्ल० की सारी बातों, कामों और हालतों को उसवा (निग्दर्शन) बनाने की सबसे बड़ी दलील है इसीलिए अल्लाह तआला ने अहज़ाब के दिन लोगों को यह आदेश दिया कि सब्र व इस्तिक़ामत, जिहाद व मुजाहिदा और रब्बुल आलमीन की ओर से आसानी व कुशदगी के प्रतिक्षा में आप सल्ल० को अपना उस्वए हस्ना बनाएं और क़ियामत तक के लिए आप सल्ल० ही की ज़िंदगी को नमूना बनायें, अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्ल० की इताअत व पैरवी की चर्चा पवित्र कुरआन के अन्दर चालीस जगहों पर की है, लोग आप सल्ल० की लाई हुई सुन्नत व शरीअत की मारिफ़त और उसकी पैरवी का खाना व पानी से भी अधिक इच्छुक हैं। खाना व पानी न मिलने पर इन्सान दुनिया में मर जाएगा लेकिन रसूले अकरम सल्ल० की इताअत व पैरवी न होने पर दुःखद अज़ाब और दाइमी बद बख़्ती का शिकार हो जाएगा, यही कारण है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने सारी इबादतों में अपना अनुसरण और पैरवी और उन्हें उसी कैफ़ियत और बनावट में अदा करने का आदेश दिया है जिस तरीक़े पर आप सल्ल० अदा फ़रमाते थे। इर्शादे नबवी है :

"उसी तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है।" (बुख़ारी)

और एक जगह इर्शाद फ़रमाया :

मुझसे अपने हज्ज के मनासिक ले लो। (मुस्लिम)

यह भी फ़रमाया :

"जो आदमी भी कोई ऐसा अमल करता है जिस पर हमारा दीन नहीं वह अमल मर्दूद है।" (बुख़ारी-मुस्लिम)

और फ़रमाया :

जो आदमी हमारी सुन्नत से मुंह फेरे वह हम में से नहीं।

इसके अलावा हज़ारों नुसूस (दलीलें) ऐसे हैं जिनमें आप सल्ल० की इताअत व पैरवी पर उभारा गया है, आपकी अवज्ञा व मुख़ालफ़त से रुके रहने का आदेश दिया गया है।

तीसरा विषय

रसूले अकरम सल्ल० पर दरूदो सलाम भेजने की मशरूइयत का बयान

रसूलुल्लाह सल्ल० पर दरूद व सलाम भेजना, आप सल्ल० का उम्मत पर ऐसा हक़ है जिसे स्वयं अल्लाह तआला ने मश्रूअ फ़रमाया है। इर्शादे बारी तआला है :

अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, मोमिनो—तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो।' (अहज़ाब : 56)

यह भी आया हुआ है कि अल्लाह तआला का अपने नबी पर सलात (दरूद) का मतलब है प्रशंसा, तारीफ़ और फ़रिश्तों के सलात का मतलब है दुआ और लोगों के सलातो सलाम का मतलब है इस्तिग़फ़ार।

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने इसकी भी ख़बर दी कि उसके नबी व रसूल का अपने क़रीबी फ़रिश्तों में क्या दर्जा है और अल्लाह तआला उनके सामने आप सल्ल० की प्रशंसा फ़रमाते हैं और यह कि फ़रिश्ते आप सल्ल० पर रहमत भेजते हैं फिर अल्लाह तआला ने दुनिया वालों को आप सल्ल० पर दरूदो सलाम भेजने का आदेश दिया है ताकि आलमे उल्वी और आलमे सुफ़्ली (ज़मीनी व आसमानी दुनिया) दोनों की तारीफ़ आप सल्ल० के लिए एकत्र हो जाये "सल्लिमू तस्लीमा" का मतलब यह है कि आप सल्ल० पर इस्लामी सलाम भेजो, इस कारण कोई जब आप पर सलाम भेजना चाहे तो सलातो सलाम दोनों भेजे उनमें से एक पर बस न करे, इस कारण केवल "सल्लल्लाहु अलैहि" न कहे और न ही केवल "अलैहिस्सलाम" कहे इसलिए कि अल्लाह तआला इन दोनों को साथ-साथ भेजने का आदेश देता है।

आप सल्ल० पर दरूदो सलाम भेजने का आदेश ऐसी जगहों पर आया है जिससे इस बात की ताकीद होती है कि या तो आप सल्ल० पर दरूद भेजना वाजिब है या सुन्नते मुवक्कदा।

अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहि० ने अपनी किताब "जिलाउल इफ़्हाम" में ऐसी "41" जगहों का चर्चा किया है, जहां आप सल्ल० पर दरूदो सलाम भेजना ज़रूरी है, उसका आरम्भ पहली, अहम व मुवक्कद तरीन जगह अर्थात तशह्हुद के अन्तिम हिस्से से की है। दरूदो सलाम की मश्रूइयत पर तमाम मुसलमानों का

इज्माअ है। लेकिन इस अवसर पर उनके वुजूब के बारे में मतभेद है, इन्हीं जगहों में एक आख़िरी क़ुनूत भी है और ख़ुत्बों में ख़ुत्बए जुमा, ख़ुत्बए ईदैन, ख़ुत्बए इस्तिस्क़ा, और मुवज़्ज़िन का जवाब देने के बाद, दुआ के वक़्त, मस्जिद में दाख़िल होते और निकलते वक़्त और आप सल्ल० का नाम आते वक़्त, फ़िर अल्लामा इब्ने क़य्यिम.रहि० ने आप सल्ल० का नाम आते वक़्त आप सल्ल० पर दरूदो सलाम भेजने के लाभ भी गिनवाए हैं और उसके चालीस फ़ाइदे गिनवाए हैं। उन्हीं फ़ाइदों में से कुछ यह हैं—

अल्लाह तआला की आज्ञा का प्रतिपालन, अल्लाह तआला की ओर दरूद भेजने वाले के लिए एक दरूद पर दस रहमतें दुआ के क़बूल होने की उम्मीद जब दुआ से पहले दरूदो सलाम भेजी जाये। फिर जब दरूद के साथ वसीले का सवाल किया जाये तो यह आप सल्ल० की सिफ़ारिश का कारण बनता है यह गुनाहों की माफ़ी का कारण है और रसूलुल्लाह सल्ल० की ओर से दरूद का जवाब दिये जाने का भी कारण है।

चौथा विषय

अहले बैत की फ़ज़ीलत और हक़ तल्फ़ी व ग़ुलू (मुबालग़ा) के बिना उनके साथ व्यवहार का बयान

अहले बैत से मुराद रसूलुल्लाह सल्ल० के वह आल औलाद (सन्तान) हैं जिन पर सदक़ा हराम है, उनमें हज़रत अली रज़ि० की औलाद, हज़रत जाफ़र रज़ि० की औलाद, हज़रत अक़ील रज़ि० की औलाद, हज़रत अब्बास रज़ि० की औलाद, बनू हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब और नबी अकरम सल्ल० की कुल अज़्वाजे मुतहहरात और बिनाते ताहिरात (पत्नियां व लड़कियां) शामिल हैं। अल्लाह तआला का इर्शाद है :

ऐ (नबी के) अहले बैत अल्लाह चाहता है कि तुमसे नापाकी (का मैल कुचैल) दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ़ कर दे। (अहज़ाब : 33)

अल्लामा इब्ने कसीर रहि० इसके अंतर्गत में लिखते हैं पवित्र क़ुरआन में जो ग़ौर करेगा उसको कभी भी इस बात में सन्देह नहीं होगा कि रसूलुल्लाह सल्ल० के अज़्वाजे मुतह्हरात भी इस आयते करीमा में दाख़िल हैं इसलिए कि सियाक़े कलाम उनके साथ है यही कारण है कि उसके तुरन्त बाद फ़रमाया :

और तुम्हारे घरों में जो अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है और हिक्मत (की बातें सुनाई जाती हैं) उनको याद रखो। (अहज़ाब : 34)

आयते करीमा का मतलब यह है कि तुम्हारे घरों में किताबो सुन्नत में से जो कुछ भी अल्लाह तआला अपने रसूल पर उतारता है उस पर अमल करो, हज़रत क़तादा और दूसरे लोगों ने यह अर्थ बयान किया है कि उस नेमत को याद करो जो और लोगों को छोड़ कर तुम्हारे लिए ख़ास की गई है, अर्थात वही तुम्हारे घरों में उतरती है, हज़रत आइशा बिन्ते सिद्दीक़ रज़ि० तो इस नेमत से मालामाल थीं और इस उमूमी रहमत में आप रज़ि० को ख़ास मक़ाम प्रदान हुआ था, इसलिए कि हज़रत आइशा रज़ि० को छोड़कर किसी के बिस्तर पर वही नहीं उतरी है, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने स्वयं फ़रमाया कुछ उलमा का कहना है कि हज़रत आइशा की यह ख़ुसूसियत इसलिए है कि आप सल्ल० ने उनके अलावा किसी भी कुंवारी से विवाह नहीं किया, और आपके अलावा उनके बिस्तर पर कोई दूसरा मर्द नहीं सोया (अर्थात दूसरे से विवाह ही नहीं की)।

इस कारण उचित था कि इस ख़ुसूसियत और ऊंचे दर्जे से आप रज़ि०

नवाज़ी जातीं और जब आप सल्ल० की अज़्वाजे मुतह्हरात अहले बैत में दाखि . ।
हैं तो आपके संबंधी व रिश्तेदार इसमें ज़रूर दाखिल हैं और वह इस नाम के अधिक हक़दार हैं। (इब्ने कसीर)

इस कारण सुन्नत व जमाअत वाले अहले बैत से मुहब्बत करते हैं, और अक़ीदत रखते हैं और उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्ल० की इस वसीयत को सामने रखते हैं जिसे आप सल्ल० ने ग़दीरे ख़म के अवसर पर फ़रमाया था :

'मेरे अहले बैत के बारे में तुम्हें मैं अल्लाह की याद दिलाता हूं।' (मुस्लिम)

अहले सुन्नत व जमाअत उनसे मुहब्बत करते हैं और उनका सम्मान व आदर करते हैं इसलिए कि यह भी रसूलुल्लाह सल्ल० से मुहब्बत व अक़ीदत और आप सल्ल० के सम्मान व आदर की निशानी है इस शर्त के साथ कि वह सुन्नत की पैरवी पर क़ाइम हों जैसे कि उनके सल्फ़े सालेह हज़रत अब्बास और उनकी औलाद, हज़रत अली और उनकी औलाद का हाल था और उनमें से जो सुन्नते रसूल सल्ल० के विरुद्ध हों और दीन पर क़ाइम न हों फिर उनसे अक़ीदत व दोस्ती जाइज़ न होगी चाहे अहले बैत में से हों।

अहले बैत के बारे में अहले सुन्नत व जमाअत का ख़याल बहुत ही समता व न्याय पर निर्भर है, अहले बैत में से जो दीन व ईमान पर क़ाइम हैं उनसे गहरी मुहब्बत व अक़ीदत रखते हैं और उनमें से जो सुन्नत के विरुद्ध और दीन से फिरे हों उनसे दूर रहते हैं, चाहे वह नसबी तौर पर अहले बैत में दाख़िल क्यों न हों इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्ल० के अहले बैत और क़रीबी होने से कोई लाभ नहीं जब तक कि अल्लाह तआला के दीन पर क़ाइम न हों।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि० रिवायत करते हैं कि आप पर जब यह.आयते करीमा उतरी :

और अपने क़रीब के रिश्तेदारों को डर सुना दो। (शुअरा : 214)

तो आप सल्ल० ने खड़े होकर फ़रमाया :

ऐ क़ुरैश (या इस जैसा कोई शब्द) अपने आप को ख़रीद लो, अल्लाह तआला के सामने मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, ऐ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब—मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, ऐ सफ़ीया रसूलुल्लाह की फूफी—मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐ फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद—मेरे माल में से जो चाहो मांग लो लेकिन अल्लाह के सामने मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। (बुख़ारी)

एक और हदीस के शब्द यह हैं :

“जिसका अमल सुस्त हो उसका नसब उसे तेज़ नहीं ले जाएगा।” (मुस्लिम)

अहले सुन्नत व जमाअ राफ़ज़ी व शिया के ग़लत अक़ीदों से पाक हैं जो कुछ अहले बैत के बारे में ग़ुलू से काम लेते हुए उनकी पाक दामनी का दावा करते हैं, इसी तरह नवासिब के गुमराह करने वाले अक़ीदों से भी पाक हैं जो असहाबे इस्तिक़ामत अहले बैत से कीना व दुश्मनी रखते हैं उन्हें लान व तान करते हैं, अल्हम्दुल्लिाह अहले सुन्नत व जमाअत इन बिदअतों और ख़ुराफ़ियों की गुमराही से पाक हैं जो अहले बैत को वसीला बनाते हैं और अल्लाह के अलावा उनको अरबाब (रब) मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि अहले सुन्नत व जमाअत इस बारे में और अन्य मुआमलात में भी संतुलन और सीधे रास्ते (सिराते मुस्तक़ीम) पर काइम हैं जिनके चाल-चलन में कोई भी इफ़्रात व तफ़्रीत (अधिकता) नहीं और न ही अहले बैत के बारे में अन्याय और ग़ुलू है स्वयं सन्तुलित और दीन पर क़ाइम अहले बैत अपने लिए ग़ुलू पसन्द नहीं करते हैं और ग़ुलू करने वालों से पनाह मांगते हैं स्वयं हज़रत अली रज़ि० ने अपने बारे में ग़ुलू करने वालों को जला दिया था और हज़रत अब्बास ने उनके क़त्ल को जाइज़ क़रार दिया है, लेकिन आग के बजाए क़त्ल के काइल (कहने वाले) हैं, हज़रत अली रज़ि० ने ग़ुलू करने वालों के सरदार अब्दुल्लाह बिन सबा को क़त्ल करने के लिए तलाश करवाया था लेकिन वह भाग गया था और कहीं छिप गया था।

पांचवां विषय

सहाब-ए-किराम की फ़ज़ीलत–उनके बारे में ज़रूरी एतिक़ाद और उनके आपसी मतभेदों के सिलसिले में मज़्हबे अहले सुन्नत व जमाअत का मौक़िफ़

सहाबा से मुराद कौन लोग हैं और उनके बारे में हमारा क्या अक़ीदा होना चाहिए?

सहाबा सहाबी की बहुवचन है इससे मुराद हर वह आदमी है जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्ल० से मुलाक़ात की और उसी ईमान की हालत में मृत्यु हुई हो, उनके बारे में हमारा यह अक़ीदा होना वाजिब है कि वह उम्मत के सबसे अफ़ज़ल तरीन (सर्वश्रेष्ठ) लोग थे उनका ज़माना ख़ैरुल क़ुरून का था और यह बुज़ुर्गी उनको इस्लाम की ओर उनकी पहल, रसूलुल्लाह सल्ल० की संगति के लिए उनका चयन, आप सल्ल० के साथ जिहाद, शरीअत का भारी बोझ उठाने और बाद वालों तक पहुंचाने की वजह से हासिल है अल्लाह तआला ने क़ुरआन में उनकी प्रशंसा की है, आयते करीमा है :

जिन लोगों ने पहल की (अर्थात) सबसे पहले (ईमान लाए) मुहाजिरीन में से भी और अन्सार में से भी और जिन्होंने नेक काम के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह उनसे ख़ुश है और वह अल्लाह से ख़ुश हैं और उसने उनके लिए बाग़ तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, (और) हमेशा उनमें रहेंगे यह बड़ी कामयाबी है। (तौबा : 100)

एक और जगह इर्शाद है :

"मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वह काफ़िरों के हक़ में तो सख़्त हैं और आपस में रहम दिल (ऐ देखने वाले) तू उनको देखता है कि (अल्लाह के आगे) झुके हुए सिर ब सुजूद हैं और अल्लाह की दया और ख़ुश्नूदी तलब कर रहे हैं (अधिक) सजदों के असर से उनके माथे पर निशान पड़े हुए हैं उनकी यही विशेषतायें तौरात में (लिखी) हैं और यही विशेषतायें इंजील में हैं (वह) मानो एक खेती हैं जिसने (पहले ज़मीन से) अपनी सूई निकाली फिर उसको मज़बूत किया फिर मोटी हुई और फिर अपनी नाल पर सीधी खड़ी हो गई और खेती वालों को ख़ुश करने लगी ताकि काफ़िरों का जी जलाए, जो लोग उनमें से ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनसे अल्लाह ने गुनाहों की बख़्शिश

और बड़े सवाब का वादा किया है। (फ़त्ह : 29)

और एक जगह इर्शाद है :

"और उन फ़क़ीर मुहाजिरों के लिए भी जो अपने घरों और मालों से बाहर (और अलग) कर दिए गये (और) अल्लाह की दया और उसकी खुश्नूदी के तलबगार (इच्छुक) और अल्लाह और उसके रसूल के मददगार हैं, यही लोग सच्चे (ईमानदार) हैं और (उन लोगों के लिए भी) जो मुहाजिरीन से पहले (हिजरत के) घर (अर्थात मदीने) में ठहरे और ईमान में (जमे) रहे और जो लोग हिजरत करके उनके पास आते हैं उनसे मुहब्बत करते हैं और जो कुछ उनको मिला उससे अपने दिल में कुछ इच्छा (और चुभन) नहीं पाते और उनको अपनी जानों से प्रथम रखते हैं चाहे उनको स्वयं ज़रूरत ही हो और जो आदमी नफ़्स की लालच से बचा लिया गया तो ऐसे ही लोग मुराद पाने वाले हैं।" (हशर : 8-9)

इन आयतों में अल्लाह तआला ने मुहाजिरीन और अन्सार की बड़ी प्रशंसा फ़रमाई है और उन्हें भलाइयों की ओर पहल करने वाले कहा है इसकी भी ख़बर दी है कि वह उनसे राज़ी है उनके लिए बाग़ात तैयार किये हैं, इसी तरह उन्हें आपस में एक दूसरे पर रहम करने वाले और काफ़िरों पर सख़्ती करने वाले बताया है इसी तरह उनकी विशेषतायें बताते हुए फ़रमाया कि अधिकता से रुकूअ और सजदा करने वाले हैं उनके दिल पाक साफ़ है उनके चेहरों पर इताअत व ईमान की जो निशानी और नूर है उससे पहचाने जाते हैं, अल्लाह तआला ने उन्हें अपने नबी की सुबहत (संगति) के लिए इख़्तियार फ़रमाया है, ताकि काफ़िरों को गुस्सा दिलाए, मुहाजिरीन की प्रशंसा में फ़रमाया कि उन्होंने केवल अल्लाह के लिए और उसके दीन की मदद के लिए उसकी दया व रज़ा की तलाश में अपने महबूब वतन और माल व दौलत को छोड़ा और वह अपने इस अमल में सच्चे थे, अन्सार की तारीफ़ में फ़रमाया कि वह हिजरत, मदद, सच्चे ईमान के घर वाले हैं उनकी ख़ूबियों में से यह बयान किया कि वह अपने मुहाजिर भाइयों से मुहब्बत करते हैं उनको अपने पर अधिमान देते हैं उनसे हमदर्दी करते हैं, वह कंजूसी से पाक हैं, जिनके कारण कामयाबी व कामरानी उनके क़दम चूमती है यह उनकी कुछ फ़ज़ीलतें और ख़ूबियां हैं, इनके अलावा कुछ ख़ास फ़ज़ीलत और दर्जे हैं जिनके कारण उनमें से कुछ प्रमुख हैं और यह उनकी इस्लाम की ओर पहल, जिहाद और हिजरत के कारण है। इस कारण सर्वश्रेष्ठ सहाबा चारों ख़लीफ़ा हज़रत अबूबक्र रज़ि०, हज़रत उमर रज़ि०, हज़रत उसमान रज़ि०, हज़रत अली रज़ि० थे उनके बाद बाक़ी अशरए मुबंश्शरह (दसों स्वर्गी) हैं। जिनमें हज़रत तलहा रज़ि०, हज़रत

ज़ुबैर रज़ि०, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि०, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ि० हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ि०, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ि० हैं मुहाजिरीन को अन्सार पर फ़ज़ीलत दी गई है अहले बदर और अहले बैअतुर्रिज़वान की भी फ़ज़ीलत आई है, फ़त्हे मक्का से पहले जो इस्लाम लाए और जिहाद किए हैं उनको फ़त्हे मक्का के बाद इस्लाम क़बूल करने वालों पर फ़ज़ीलत दी गई है।

सहाब-ए-किराम के बीच होने वाले रक्तपात (लड़ाईओं) और फ़ित्ना व फ़साद से सम्बन्ध अहले सुन्नत व जमाअत का मौक़िफ़ (ख़याल)

सहाबए किराम के अन्दर फ़ित्ना फैलने का कारण इस्लाम और अहले इस्लाम के विरुद्ध यहूदियों की साज़िश थी, एक ख़ब्बीस तरीन मक्कार दग़ाबाज़ यमन का यहूदी अब्दुल्लाह बिन सबा को यहूदियों ने खड़ा किया उसने झूठ मूठ अपने इस्लाम का एलान किया यह यहूदी शैतान अपने कीना व हसद का ज़हर तीसरे ख़लीफ़ा हज़रत उसमान रज़ि० के विरुद्ध उगलने लगा, उनके विरुद्ध मनघड़त तोहमतें बना बनाकर फैलाने लगा, इस कारण कुछ कमज़ोर ईमान, कोताह नज़र और फ़ित्ना पसन्द लोग इससे धोखा खाकर उसके किनारे एकत्र हो गए, और इसी साज़िश के नतीजे में हज़रत उसमान रज़ि० बेगुनाही की हालत में शहीद किए गए, हज़रत उसमान की शहादत के तुरन्त बाद मुसलमानों में मतभेद शुरू हो गए और उस यहूदी और उस यहूदी के मुक़ल्लिदीन के उकसाने पर फ़ित्ने ने अपना सिर उठाया और सहाब-ए-किराम अपने-अपने इज्तिहाद के अनुसार आपस में लड़ पड़े।

किताब "अत्तहाविया" के टीकाकार लिखते हैं : रफ़्ज़ का फ़ित्ना एक मुनाफ़िक़ व ज़िन्दीक़ ने पैदा किया, उसने दीने इस्लाम को ख़त्म करना और रसूलुल्लाह सल्ल० की व्यक्तित्व को दाग़दार करना चाहा, जैसे कि उलमाए किराम ने बयान किया है इसमें कोई संदेह नहीं कि अब्दुल्लाह बिन सबा ने जब अपने इस्लाम का एलान किया तो उन्होंने असल में अपनी ख़बासत और मक्कारी से इस्लाम में फ़साद फैलाना चाहा जैसे कि बोलस ने नस्रानियत के साथ किया, सबसे पहले उसने अपनी इबादत व परहेज़गारी का प्रकाशन किया फिर (अम्र बिल मारूफ़ और नहइ अनिल मुन्कर) भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने का प्रकाशन (इज़हार) किया। यहां तक कि हज़रत उस्मान रज़ि० के बारे में फ़ित्ना

फैलाने और उन्हें क़त्ल करने की कोशिश की, फिर जब कूफ़ा आया तो हज़रत अली के बारे में गुलू का इज़्हार किया और उनकी मदद व समर्थन करना चाहा ताकि उससे अपनी शैतानी मक़्सद को पहुंच सके। जब हज़रत अली को उसकी ख़बर हुई, तो उन्होंने उसको ख़त्म करने का आदेश दे दिया लेकिन वह कमीना क़ुरैश की ओर भाग गया। उसका पूरा क़िस्सा तारीख़ में प्रसिद्ध है।

अल्लामा इब्ने तैमिया रहि० लिखते हैं : जब हज़रत उस्मान ग़नी रज़ि० का क़त्ल हुआ तो मुसलमानों के दिल अस्त-व्यस्त हो गये, मुसीबतों के पहाड़ उन पर टूट पड़े, बुरे व शैतान लोग सामने आ गए और अच्छे लोग ज़लील हो गए और वह लोग फ़ित्ना भड़काने लगे जो अब तक कुछ नहीं कर सकते थे और सुधार व भलाई चाहने वाले अपने मैदान में बेकार हो गए इस कारण लोगों ने हज़रत अली रज़ि० के हाथ पर बैअत कर ली, वह ख़िलाफ़त के लिए उस समय सबसे अधिक मौज़ूं तरीन आदमी थे और बाक़ी सहाब-ए-किराम में सबसे अच्छे थे लेकिन चूंकि दिल अस्त-व्यस्त थे और फ़ित्ना की आग भड़क रही थी इस कारण लोगों में पूरी एकता न हो सकी, जमाअत का बंधन न हो सका, इस कारण ख़लीफ़ए वक़्त और उम्मत के मुस्लेह लोग वह न कर सके जो वह चाहते थे कुछ लोग फ़ित्ना व फ़साद के शोलों में कूद पड़े, फिर जो हुआ सबको मालूम है।

हज़रत अली रज़ि० और हज़रत मुआविया रज़ि० के बीच जंग में सहाबए किराम रज़ि० के आपसी युद्ध व लड़ाई का उज़्र (मिष) पेश करते हुए अल्लामा इब्ने तैमिया रहि० आगे लिखते हैं :

हज़रत मुआविया रज़ि० ने हज़रत अली रज़ि० से लड़ाई के समय ख़िलाफ़त का दावा नहीं किया था और न ही उसके लिए उनकी बैअत हुई थी और अपने आपको ख़लीफ़ा समझकर हज़रत अली से लड़ाई भी नहीं की थी और न ही वह अपने आपको ख़िलाफ़त का हक़दार समझते थे, हज़रत मुआविया रज़ि० से इस बारे में जो आदमी भी सवाल करता उसके जवाब में आप इस बात का इक़रार करते थे, हज़रत मुआविया और आपके साथी यह नहीं समझते थे कि हज़रत अली रज़ि० और उनके साथियों से लड़ाई में पहल करें, बल्कि हज़रत अली रज़ि० और आपके साथी यह समझते थे कि हज़रत मुआविया और उनके साथियों के लिए ज़रूरी है कि हमारी इताअत करें, हम से बैअत करें इसलिए कि मुसलमानों का एक ही ख़लीफ़ा हो सकता है, इस कारण हज़रत मुआविया और उनके साथी इताअत से बाहर हैं और एक वाजिब को अदा नहीं कर रहे हैं, जबकि वह ताक़तवर भी हैं इसलिए उन्होंने उनके साथ लड़ाई, जंग करना ज़रूरी समझा ताकि

वह लोग इस वाजिब को अदा करें ख़लीफ़ा की इताअत हो और जमाअत का बंधन बरक़रार रहे, जबकि हज़रत मुआविया का कहना था कि हज़रत अली की इताअत व बैअत उन पर वाजिब नहीं इसके लिए यदि उनसे जंग की गई तो वह मज़लूम होंगे, उन्होंने यह इसलिए कहा कि तमाम मुसलमानों की इस पर एकता है कि हज़रत उस्मान रज़ि० बेगुनाही की हालत में शहीद किये गए हैं और उनको क़त्ल करने वाले हज़रत अली रज़ि० की फ़ौज में शामिल हैं, फ़ौज में उनका ग़लबा है, उनकी ताक़त है, हम कहेंगे तो वह हम पर ज़ुल्म व ज़्यादती करेंगे हज़रत अली रज़ि० उन्हें रोक नहीं पाएंगे जैसे कि हज़रत उस्मान के मुआमले में उन्हें नहीं रोक पाये थे, इस कारण हमें किसी ऐसे ख़लीफ़ा की बैअत करनी चाहिए जो हमें इन्साफ़ दिला सके और हमारे लिए इन्साफ़ की कोशिश कर सके।

सहाबए किराम के मतभेदों और लड़ाई व युद्ध के बारे में अहले सुन्नत व जमाअत का जो मौक़िफ़ (ख़याल) है उसका निचोड़ किया जाए तो दो चीज़ें सामने आएंगी।

(1) अहले सुन्नत व जमाअत सहाबए किराम के बीच होने वाले जंग व लड़ाई के बारे में अपनी ज़बान बन्द रखते हैं और उसमें बाल की खाल नहीं निकालते इसलिए कि सलामती का रास्ता चुप रहने ही में है ख़ास तौर पर इस तरह के मुआमले में। तो उनकी दुआ यह होती है—

ऐ हमारे रब ! हमारे भाइयों के जो हमसे पहले ईमान लाए हैं गुनाह माफ़ फ़रमा और मोमिनों की ओर से हमारे दिल में कीना (व हसद) न पैदा होन दे, ऐ हमारे रब ! तू बड़ा दया करने वाला मेहरबान है। (हश्र : 10)

(2) सहाबा के बारे में मनघड़त बुराइयों से सम्बन्ध जो रिवायतें हैं उनका कई तरीक़ों से जवाब देना जो निम्नलिखित हैं—

पहला तरीक़ा—यह तमाम रिवायतें झूठी हैं इस्लाम के दुश्मनों ने सहाबए किराम को बदनाम करने के लिए गढ़ी हैं।

दूसरा तरीक़ा—इन रिवायतों में कम व बेशी से काम लिया गया है या उसकी सही सूरत बिगाड़ दी गई है, उसमें झूठ की मिलावट की गई है इसलिए यह उदले बदले शब्द हैं उनकी ओर तवज्जोह करना सही नहीं है।

तीसरा तरीक़ा—इस बारे में जितनी हदीसें आई हैं वह बहुत ही कम हैं यदि यह रिवायतें किसी हद तक सही हैं तो सहाबए किराम को इस हद तक बेक़सूर समझना चाहिए, इसलिए कि सहाबए किराम सब के सब मुज्तहिद थे या तो उन्होंने अपने इज्तिहाद में सही फ़ैसला किया या ग़लत, यदि सही फ़ैसला किया है

तो उनके लिए दो सवाब हैं और यदि ग़लत फ़ैसला किया है तो उनके लिए एक सवाब है, उनकी ग़लती माफ़ है, इसलिए कि हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :

"जब कोई हुक्म देने वाला इज्तिहाद करता है और उसमें सही इज्तिहाद करता है तो उसके लिए दो सवाब हैं और यदि ग़लत इज्तिहाद करता है तो उसका एक सवाब है।" (बुख़ारी-मुस्लिम)

चौथा तरीक़ा—वह हमारी ही तरह इन्सान थे उनसे ग़लती हो सकती है, इसलिए कि वह व्यक्ति के एतिबार से गुनाह व ग़लती से निर्दोष नहीं हैं और उनसे जो कुछ भी गुनाह हों तो उनके हज़ारों नेक अमल उनके पास हैं जिनसे उनके गुनाह धुल सकते हैं, उनके लिए तौबा है जो हर गुनाह को खा जाती है उनमें बहुत सी अच्छाइयां और नेक अमल हैं जिनकी वजह से उनकी बख़्शिश हो सकती है, जैसे कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

कुछ संदेह नहीं कि नेकियां गुनाहों को दूर कर देती हैं। (हूद : 114)

उनको रसूलुल्लाह सल्ल० की सुहबत (संगति) हासिल है, आप सल्ल० के साथ जिहाद का शर्फ़ प्राप्त है जो उनके इन मामूली गुनाह को धोने के लिए काफ़ी है।

उनकी नेकियां दूसरों की नेकियों के मुक़ाबले में बहुत अधिक कर दी जाएंगी फिर उनकी फ़ज़ीलत को कोई नहीं पा सकता, रसूलुल्लाह सल्ल० के इर्शादे ग्रामी से साबित है कि वह सबसे अच्छी नस्ल थे उनका एक मुद (एक नाप है) सदक़ा दूसरों के उहुद पहाड़ के बराबर सोने के सदक़े से बेहतर है अल्लाह उनसे राज़ी हो और उन्हें भी राज़ी रखे।

अल्लामा शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहि० फ़रमाते हैं : सारे अहले सुन्नत व जमाअत और अइम्मए किराम का इस बात पर इजमाअ है कि सहाबए किराम में से कोई सहाबी भी निर्दोष नहीं न तो साबिक़ीन अव्वलीन वाले और न ही लाहिक़ीन और क़राबत वाले बल्कि उनसे गुनाह होना संभव है, फिर अल्लाह तआला तौबा के ज़रिए उनके गुनाह को माफ़ कर देगा, उनके दर्जों को बलन्द फ़रमाएगा और उनके नेक अमलों के कारण उनके गुनाह मिट जाएंगे या अन्य कारणों की बिना पर उनकी बख़्शिश हो जाएगी। इर्शादे बारी तआला है :

और जो आदमी सच्ची बात लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक़ की वही लोग परहेज़गार हैं, वह जो चाहेंगे उनके लिए उनके रब के पास (मौजूद) है, नेको कारों का यही बदला है, ताकि अल्लाह उनसे बुराइयों को जो उन्होंने कीं दूर कर दे

और नेक कामों का जो वह करते रहे उनको बदला दे। (ज़ुमर : 33-35)

और एक जगह इर्शाद है :

"यहां तक कि ख़ूब जवान होता है और चालीस वर्ष का पहुंच जाता है तो कहता है—ऐ मेरे रब! मुझे तौफ़ीक़ दे कि तू ने जो उपकार मुझ पर और मेरे माता-पिता पर किये हैं उनका शुक्रगुज़ार बनूं और यह कि नेक अमल करूं, जिनको तू पसन्द कर ले और मेरी संतान में भलाई (व परहेज़गारी) दे, तेरी ओर मुतवज्जिह होता हूं ओर मैं फ़रमांबरदारों में से हूं। यही लोग हैं जिनके नेक अमलों को हम क़बूल करेंगे और उनके गुनाहों की माफ़ी फ़रमाएंगे और (यही) अहले जन्नत में (होंगे)। (अहक़ाफ़ : 15-16)

सहाबए किराम के बीच मतभेदों और युद्ध व लड़ाई का जो फ़िला उठा था उसको दीने इस्लाम के दुश्मनों ने सहाबए किराम की व्यक्तित्व बुज़ुर्गी पर हमला करने का ज़रीआ बना लिया। इस शैतानी अमल में आज कल के कुछ अहले क़लम लगे हुए हैं जो बिना ज्ञान व पहचान के केवल बकवास करते हैं और अपने आपको सहाबए किराम के बीच फ़ैसल बनाकर पेश करते हैं और बिना दलील व सुबूत किसी सहाबी को सच्चा किसी को दोषी बताते हैं और यह सब कुछ जिहालत, इच्छाओं की पैरवी और कीना व हसद रखने वाले दुश्मनों और उनके दुम छल्लों की तक़लीद व पैरवी में किया जाता है। इन लोगों ने अपने अमल से इस्लामी तारीख़ और पहले शताब्दी के बुज़ुर्गों से अज्ञान, कुछ नौजवानों में शक व संदेह के बीज बो दिया है इस तरह से वह इस्लामी घरों ही से इस्लाम पर ख़न्जर चलाना चाहते हैं। मुसलमानों में बदनज़मी और ख़ूंरेंजी पैदा करना चाहते हैं और इस उम्मत के मौजूदा नस्ल में अपने बुज़ुर्गों के सम्बन्ध कीना व नफ़रत का बीज बोना चाहते हैं ताकि वह अपने असलाफ़े किराम (दीनी बुज़ुर्गों) की पैरवी न करें। जबकि अल्लाह तआला का इर्शाद है :

और (उनके लिए भी) जो इन (मुहाजिरीन) के बाद आए (और) दुआ करते हैं कि ऐ हमारे रब! हमारे और हमारे भाइयों के जो हमसे पहले ईमान लाए हैं गुनाह माफ़ फ़रमा और मोमिनों की ओर से हमारे दिल में कीना (व हसद) न पैदा होने दे। ऐ हमारे रब! तू बड़ा दया करने वाला मेहरबान है। (हश्र : 10)

छठवां विषय

सहाबए किराम और अइम्मए इज़ाम को बुरा भला कहने की मनाही का बयान

सहाबए किराम को बुला भला कहने की मनाही

अहले सुन्नत व जमाअत के नज़दीक निर्विवाद (माना हुआ) नियम है कि सहाबए किराम के सम्बन्ध, उनके दिल साफ़ और उनकी ज़बान प्रशंसक हैं वह अल्लाह तआला के इस फ़रमान पर अमल करते हैं।

और (उनके लिए भी) जो इन (मुहाजिरीन) के बाद आए (और) दुआ करते हैं कि ऐ हमारे रब ! हमारे और हमारे भाइयों के जो हमसे पहले ईमान लाए हैं गुनाह माफ़ फ़रमा और मोमिनों की ओर से हमारे दिल में कीना (व हसद) न पैदा होन दे, ऐ हमार रब तू बड़ा दया करने वाला मेहरबान है। (हश्र : 10)

फिर रसूलुल्लाह सल्ल० के इस फ़रमान पर सख़्ती से अमल करते हैं : "मेरे सहाबा को गाली गलौज न दो, उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है यदि तुम में से कोई उहुद (पहाड़) के बराबर सोना ख़र्च करे तो उनमें से किसी के मुद या आधा मुद से कम तक के बराबर नहीं पहुंच सकता। (बुख़ारी-मुस्लिम)

वह रवाफ़िज़ और ख़वारिज के गुमराह करने वाले तरीक़े से पाक हैं जो सहाबए किराम को गाली गलौज करते हैं, उनके लिए कीना रखते हैं उनकी फ़ज़ीलतों का इन्कार करते हैं और उनमें से अक्सर पर कुफ़्र का फ़त्वा लगाते हैं।

किताबो सुन्नत में सहाबए किराम की जो फ़ज़ीलतें बयान हुई हैं उनको अहले सुन्नत व जमाअत क़बूल करते हैं और सहाबए किराम को उम्मत की सबसे अच्छी जमाअत समझते हैं, जैसे कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया :

तुम में बेहतर मेरे समय के लोग हैं। (बुख़ारी-मुस्लिम)

चीज़ें क्या हैं ?

अहले सुन्नत व जमाअत कौन लोग हैं ? इन्हें एक हदीस की रोशनी में समझ सकते हैं एक बार रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : यह उम्मत ७३ फ़िरक़ों (वर्गों) में बट जाएगी और एक फ़िर्क़े के अलावा सब जहन्नम में जाएंगे लोगों ने उस एक जमाअत के सम्बन्ध में पूछा तो आप सल्ल० ने फ़रमाया :

"यह वह लोग हैं जो उसी पर क़ाइम रहेंगे जिस पर आज हम और हमारे सहाबए किराम क़ाइम हैं।" (अहमद)

इमाम अबू ज़रआ जो इमाम मुस्लिम के सबसे बड़े शैख़ हैं, फ़रमाते हैं : जब भी किसी आदमी को देखो कि वह सहाबए किराम में से किसी का कोई खोट तलाश कर रहा है तो समझो कि वह ज़िन्दीक़ और दहरिया है, इसलिए कि क़ुरआन हक़ है, रसूल हक़ है और रसूलुल्लाह सल्ल० की लाई हुई शरीअत हक़ है, यह सब को मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्ल० की लाई हुई तालीमात को हम तक पहुंचाने वाले सहाबए किराम ही हैं जर्ह (खोद कुरेद) करना असल में इस्लामी तालीमात और किताबो सुन्नत को बातिल (झूठा) क़रार देना है, इस कारण सहाबए किराम पर जर्ह (खोद कुरैद) करने वाले को ज़िन्दीक़ व दहरिया कहना ठीक है।

अल्लामा इब्ने हमदान अपनी किताब निहायतुल्मुब्तदिईन में लिखते हैं : यदि कोई किसी सहाबी को बुरा भला कहना जाइज़ समझता है तो वह काफ़िर है और यदि गाली गलोज करता है लेकिन इसको जाइज़ नहीं समझता तो वह फ़ासिक़ है बल्कि इससे क़तई काफ़िर भी हो जाता है और यदि किसी सहाबी पर फ़िस्क़ का हुक्म लगाता या उनके दीन पर जर्ह करता है या उन पर कुफ़्र का फ़त्वा लगाता है तो वह भी काफ़िर है। (शरह अक़ीदतुस्सफ़ारीनी)

अइम्मए हिदायत और उलमाए उम्मत को बुरा भला कहने की मनाहा

सहाबए किराम के बाद दया व मेहरबानी के एतिबार से दीन पर बुलाने वाले और उलमाए उम्मत दूसरे नम्बर पर आते हैं, उनमें ताबईन और तबअ ताबईन और उनके बाद आने वाले उनकी पैरवी करने वाले हैं, अल्लाह तआला का इर्शाद है :

जिन लोगों ने पहल की (अर्थात सब से) पहले (ईमान लाए) मुहाजिरीन में से भी और अन्सार से भी और जिन्होंने नेको कारी के साथ उनकी पैरवी की अल्लाह उनसे ख़ुश है और वह अल्लाह से ख़ुश हैं। (तौबा : 10)

इस कारण उनकी निंदा करना या उन्हें बुरा-भला कहना किसी हाल में जाइज़ नहीं इसलिए कि यह शिक्षा-दीक्षा व हिदायत के अलमबरदार हैं। अल्लाह तआला का इर्शाद है :

और जो आदमी सीधा रास्ता मालूम होने के बाद रसूल की मुख़ालफ़त विरोध करे और मोमिनों के रास्ते के अलावा और रास्ते पर चले तो जिधर वह चलता है हम उसे उधर ही चलने देंगे और (क़ियामत के दिन) जहन्नम में दाख़िल करेंगे और वह बुरी जगह है। (निसा : 115)

अत्तहाविया के टीकाकार फ़रमाते हैं : हर मुसलमान पर वाजिब है कि

अल्लाह और उसके रसूल की मुहब्बत और दोस्ती के बाद मोमिनों के साथ भी दोस्ताना व हमदर्दाना लगाव रखे जैसा कि क़ुरआन पाक में इर्शाद हुआ है, ख़ास तौर से नबियों के वारिसों से लगाव व दोस्ती तो बहुत ज़रूरी है जिन्हें अल्लाह ने सितारों के जैसा बताया है जिनकी रोशनी के ज़रीए ख़ुश्की व तरी की अंधेरी रातों की राहें तय की जाती हैं, सारे मुसलमानों का इस बात पर इजमाअ है कि उनकी हिदायत व समझ-बूझ में कोई खोट नहीं है।

असल में यह लोग रसूलुल्लाह सल्ल० की उम्मत के सम्बन्ध में रसूलुल्लाह सल्ल० के ख़ुलफ़ा हैं, मरी हुई सुन्नतों को वह ज़िन्दा करते हैं, इन्हीं की वजह से अल्लाह तआला की किताब भी क़ाइम है और उनकी ज़िन्दगी का सब से बड़ा मक़्सद संचार व प्रचार है। किताब उनकी ज़बान से बोलती है और यह किताब की ज़बान से बोलते हैं। सारे लोग निश्चित तौर पर इस बात पर सहमत हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० की पैरवी वाजिब है, लेकिन जब उनमें से किसी की कोई ऐसी बात बयान की गई हो जो सरासर हदीस के विरुद्ध हो तो उस बात को किसी उज़्र के आधार पर छोड़ना ज़रूरी है।

उज़्र की तीन क़िस्में हैं—

(1) इसका अक़ीदा कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने ऐसा नहीं फ़रमाया है।

(2) इसका अक़ीदा कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने यह कह कर यह मस्अला मुराद नहीं लिया है।

(3) इसका अक़ीदा कि यह हुक्म मन्सूख़ (निरस्त) है। हम पर उनका बड़ा उपकार है, हमसे पहले इस्लामी शिक्षाओं का भारी बोझ उठाया, हम तक पूरी अमानत के साथ उसे पहुंचाया उसके रहस्य व भेद को बयान किया, अल्लाह तआला उनसे राज़ी हो और उन्हें राज़ी फ़रमाये।

ऐ हमारे रब ! हमारे और हमारे भाइयों के जो हम से पहले ईमान लाए हैं गुनाह माफ़ फ़रमा और मोमिनों की ओर से हमारे दिल में कीना (व हसद) न पैदा होने दे, ऐ हमारे रब ! तू बड़ा दया करने वाला मेहरबान है। (हश्र : 10)

उलमाए किराम का आदरो सम्मान घटाना और उनसे इज्तिहादी ग़लती होने पर उनकी निंदा करना बिदअतियों का तरीक़ा है और इस्लाम के दुश्मनों की एक गहरी सांठ-गांठ है और यह केवल इसलिए ताकि इस उम्मत के ख़लफ़ अपने सलफ़ से कट जायें और नवजवानों के बीच एक खाड़ी पड़ जाये, इस कारण यहीं से कुछ अनाड़ी छात्रों को भी सावधान हो जाना चाहिए जो फ़ुक़हाए उम्मत के

आदर व सम्मान को घटाते हैं और इस्लामी फ़िक़्ह के सम्मान द बुज़ुर्गी को कम करते हैं उसके पढ़ने और पढ़ाने से बेरुज्हानी का प्रकाशन करते हैं और उसके अन्दर जो हक़ व सच्ची बातें हैं उसको भी क़बूल करने से इन्कार करते हैं, जबकि उन्हें अपने फ़िक़्ह पर इज़्ज़त महसूस करनी चाहिए, अपने उलमा व फ़ुक़हा का आदर व सम्मान करना चाहिए और गुमराह करने वाले प्रोपगंडों से प्रभावित नहीं होना चाहिए और न ही किसी के बहकावे पर आना चाहिए।

चौथा अध्याय
इसमें भी अनेक विषय हैं
पहला विषय

बिदअत की परिभाषा और उसकी क़िस्में और हुक्में

बिदअ़त की परिभाषा—लुग़त के एतिबार से बिदअत बदअ शब्द से लिया गया है जो बिना किसी पहले नमूने के ईजाद व आविष्कार के अर्थ में आता है, अल्लाह तआला का फ़रमान है :

(वही) आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। (बक़रा : 117)

अर्थात बिना पहले किसी नमूने के ज़मीन और आसमानों का ईजाद करने वाला है। एक और जगह इर्शादे बारी तआला है :

कह दो कि मैं कोई नया रसूल नहीं आया। (अहक़ाफ़ : 9)

अर्थात मैं अल्लाह की ओर से संदेशव पैग़ाम लाने वाला पहला रसूल नहीं हूं बल्कि हमसे पहले बहुत सारे पैग़म्बर आ चुके हैं।

आम बोलचाल में कहा जाता है : फ़लां आदमी ने फ़लां बिदअत ईजाद की जो पहले कभी न थी।

बिदअ़त की दो क़िस्में हैं—

आदतों व तरीक़ों की बिदअत जैसे नई ईजादों और आविष्कारों की बिदअत। यह बिदअत जाइज़ है, इसलिए कि आदत व तरीक़ों के अन्दर असल जाइज़ व हलाल है।

बिदअत की दूसरी क़िस्म है दीन के अन्दर बिदअत पैदा करना और यह बिदअत हराम है, इसलिए कि शरीअत व दीन असल में तौक़ीफ़ी चीज़ है, अर्थात अल्लाह और उसके रसूल का फ़रमान है। रसूलुल्लाह सल्ल० का इर्शाद है :

"जो हमारे इस मुआमले में ऐसी नई बात पैदा कर ले जिसकी बुनियाद उसमें न हो वह मर्दूद है।" (बुख़ारी-मुस्लिम)

एक और रिवायत के शब्द यह हैं :

"जो कोई ऐसा अमल करे जिस पर हमारा मुआमला (दीन) नहीं वह मर्दूद है।" (मुस्लिम)

दीन में बिदअ़त की भी दो क़िस्में हैं

पहली क़िस्म—क़ौली व एतिक़ादी बिदअत, जैसे जहि्मया, मोतज़िला, रवाफ़िज़ और सारे गुमराह वर्गों की बातें और किताबें और अक़ीदे।

दूसरी क़िस्म—इबादतों के अन्दर बिदअत जैसे इबादत का ऐसा तरीक़ा निकाला जाये जो इस्लाम में मश्रूअ न हो इसकी भी अनेक क़िस्में हैं। जो निम्नलिखित हैं—

पहली क़िस्म—बिदअत का वुजूद असल इबादत में हो, जैसे इबादत का ऐसा तरीक़ा निकाला जाये, जिसका शरीअत में कोई सुबूत न हो जैसे नई व ग़ैर मश्रूअ नमाज़ निकाली जाये। ग़ैर मश्रूअ रोज़ा रखा जाये, या नई ईद मनाई जाए जैसे ईद मीलाद आदि।

दूसरी क़िस्म—मश्रूअ इबादत में किसी चीज़ की बढ़ोतरी की जाये, जैसे ज़ुहर व अस्र की नमाज़ों में एक रकअत बढ़ाकर उसकी रकअतें पांच कर दी जायें आदि।

तीसरी क़िस्म—मश्रूअ इबादत की अदाएगी में बिदअत पैदा कर ली जाये और ग़ैर मश्रूअ तरीक़े पर उसे अदा किया जाये, जैसे मस्नून दुआओं को एक साथ गा गा कर पढ़ा जाये या फिर इबादतों में नफ़्स पर इतनी सख़्ती की जाये कि रसूलुल्लाह सल्ल० की सुन्नत के दाइरे से निकल जाये।

चौथी क़िस्म—किसी मश्रूअ इबादत के लिए ग़ैर मश्रूअ वक़्त का तक़र्रुर किया जाये जैसे अशूरा के दिन को इबादत के लिए ख़ास कर लेना, किसी ख़ास दिन में दिन का रोज़ा रखना और रात भर नमाज़ें पढ़ना आदि, इसलिए कि नमाज़ और रोज़ा तो ज़रूर फ़र्ज़ हैं लेकिन उसके वक़्तों को मुक़र्रर करने के लिए कोई ठोस दलील चाहिए।

दीन में बिदअ़त और उसकी तमाम क़िस्मों का आदेश

दीन में हर बिदअत हराम और गुमराही है। रसूलुल्लाह सल्ल० का इर्शाद है "नई नई बातों से बचो, हर नई बात बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है।"

(अबू दाऊद)

और एक जगह इर्शादे गिरामी है :

"जो हमारे इस मुआमला (दीन) में ऐसी नई बात पैदा करे जिसकी बुनियाद इसमें न हो वह मर्दूद है।" (बुख़ारी-मुस्लिम)

और एक रिवायत के शब्द यह हैं :

"जो कोई ऐसा अमल करे जिस पर हमारा दीन न हो वह मर्दूद है।"

(मुस्लिम)

इन हदीसों से यह बात खुलकर सामने आ जाती है कि दीन के अन्दर पैदा की हुई हर चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही व मर्दूद है, जिसका मतलब यह हुआ कि इबादतों और अक़ीदों में बिदअत हराम है, लेकिन बिदअत की क़िस्मों के एतिबार से उसकी हुर्मत का आदेश विभिन्न है, इसलिए कि कुछ बिदअत तो खुला हुआ कुफ़्र है, जैसे क़ब्रों का तवाफ़ करना, क़ब्रों पर नज़्र व नियाज़ चढ़ाना, क़ब्र वालों से कुछ मांगना, उनसे इस्तिग़ासा करना, इसी में अक्सर क़िस्म के जहमी मुअतज़िली बातें भी आती हैं और कुछ बिदअत शिर्क का ज़रीआ है जैसे क़ब्रों पर तामीर (निर्माण), वहां की नमाज़ व दुआ आदि, कुछ बिदअतें एतिक़ादी फ़िस्क़ के दर्जे में आती हैं, जैसे ख़वारिज, क़द्रिया और मर्जिया आदि की बिदअत तो बिल्कुल शरीअत के विरुद्ध बिदअतें हैं। इनमें से कुछ बिदअत तो अवज्ञा (व नाफ़रमानी) है जैसे दुनिया छोड़ने की बिदअत, धूप में खड़े होकर रोज़ा रखने की बिदअत और मर्दानगी ताक़त को ख़त्म करने के लिए आपरेशन आदि की बिदअत। (अल एतिसाम लिस्सातिबी 2, 37)

एक चेतावनी

जो आदमी भी बिदअत की दो क़िस्में करता है एक बिदअते हसना दूसरी बिदअते सैइया वह ग़लती पर है और रसूलुल्लाह सल्ल० के इस फ़रमान का विरोध करता है।

इर्शाद है :

हर बिदअत गुमराही है।

इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने तमाम बिदअतों को गुमराही क़रार दिया है, जबकि कुछ बिदअत को हसना कहने वाला मानो हर बिदअत को गुमराही नहीं समझता।

अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने रजब रहि० शर्हुल अर्बईन में लिखते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० का यह फ़रमान कि "हर बिदअत गुमराही है" बहुत ही व्यापक तरीन वाक्य है, जिससे कोई बिदअत नहीं निकल सकती है यह दीन का बहुत ही अहम नियत है, यह रसूल सल्ल० के दूसरे फ़रमान के अनुसार है जिसमें आप सल्ल० ने फ़रमाया।

"जो हमारे इस मुआमले (दीन) में ऐसी बात पैदा करे जिसकी बुनियाद (असल) इसमें न हो वह मर्दूद है।" (बुखारी-मुस्लिम)

इस कारण हर नई चीज़ जिसे दीन की ओर संबंधित की जाएगी और दीन में उसकी कोई असल न होगी उसकी ज़लालत व गुमराही में कोई संदेह नहीं और दीन उससे अलग है, चाहे उसमें अक़ीदा के मसअले हों या ज़ाहिरी व भीतरी बात (क़ौल) व अमल। (जामिउल उलूम वल हुकम पेज 233)

बिदअते हसना के कहने वालों के पास हज़रत उमर रज़ि० के एक फ़रमान के अलावा कोई दलील नहीं, हज़रत उमर रज़ि० का यह फ़रमान तरावीह के बारे में है। आपने फ़रमाया :

"क्या ही अच्छी है यह बिदअत"

बिदअते हसना के कहने वाले यह भी कहते हैं कि इस्लाम में बहुत सी चीज़ें नई पैदा की गई हैं, लेकिन हमारे अस्लाफ़े किराम ने इसका इन्कार नहीं किया है, जैसे एक किताब में क़ुरआन को एकत्र करना, हदीस की लिखावट आदि, इस तरह के सवालात का जवाब हमारे नज़दीक यह है कि इस तरह की चीज़ों की असल शरीअत में मौजूद है, इस कारण यह बिदअत नहीं है और हज़रत उमर रज़ि० का फ़रमान भी सही है यहां पर उन्होंने बिदअत का लुग़वी अर्थ लिया है, शरई अर्थ नहीं। इस कारण शरीअत में जिस बिदअत की समाई है फिर उसे बिदअत कहा जाये तो समझिए यहां बिदअत से मुराद लुग़वी बिदअत है, इसलिए कि शरई बिदअत वह है जिसकी शरीअत में कोई असल मौजूद न हो, क़ुरआन मजीद को एक जगह इकट्ठा करने की शरीअत में असल मौजूद है इसलिए कि नबी सल्ल० स्वयं पवित्र क़ुरआन को लिख लेने की सलाह देते थे, चूंकि क़ुरआन पहले विभिन्न जगहों में अस्त-व्यस्त था। इस कारण सहाबए किराम ने इकट्ठा कर दिया, ऐसा केवल उसकी रक्षा के लिए किया गया है। रसूलुल्लाह सल्ल ने कुछ रातें तरावीह की नमाज़ पढ़ी फिर छोड़ दी, इस डर से कि कहीं उनपर फ़र्ज़ न हो जाये। लेकिन सहाबए किराब बराबर उसे पढ़ते रहे और रसूलुल्लाह सल्ल० की ज़िन्दगी और आप सल्ल० के बाद भी अलग-अलग पद्धति में पढ़ते रहे, यहां तक कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० ने सबको एक इमाम के पीछे इकट्ठा कर दिया, इस कारण यह दीन के अन्दर कोई बिदअत नहीं है, हदीस लिखने की भी शरीअत में असल मौजूद है ख़ुद रसूलुल्लाह सल्ल० ने कुछ सहाबए किराम की मांग पर कुछ हदीसों के लिखने का आदेश दे दिया था और जब आप सल्ल० की मृत्यु हुई तो वह शंका भी ख़त्म हो गई जिसके लिए यह हदीस की लिखावट वर्जित थी अर्थात

क़ुरआन और हदीस में मेल-जोल न हो जाये। चूंकि रसूलुल्लाह सल्ल० की ज़िन्दगी ही में क़ुरआन पूरा हो चुका था, इस कारण आप सल्ल० की मृत्यु के बाद मुसलमानों ने हदीस की तालीफ़ की और उसको बरबाद होने से सुरक्षित कर दिया, अल्लाह तआला उन्हें बेहतरीन बदला दे। आमीन।

दूसरा विषय

मुस्लिम समाज में बिदअ़त का प्रकटन और उसका कारण

(1) मुसलमानों की ज़िंदगी में बिदअत का प्रकटन,

इस बारे में दो मसअले बयान होंगे

पहला मसअला : बिदअ़त के प्रकटन (फैलने) का समय

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहि० फ़रमाते हैं :

यह मालूम होना चाहिए कि इल्मों और इबादतों से सम्बन्ध आम बिदअतें उम्मत के अन्दर ख़ुलफ़ाए राशिदीन के अन्तिम समय ही से ज़ाहिर होने लगी थीं और इसकी ख़बर रसूलुल्लाह सल्ल० ने पहले ही दे दी थी, इर्शादे गिरामी है :

"तुममें से जो जीवित होगा उसे सारे मतभेद नज़र आएंगे, इस कारण ऐसे समय में मेरी सुन्नत और हिदायत पाए हुए ख़ुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत व तरीक़े को मज़बूती से थामे रखो।" (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

उम्मत में पहले पहल क़दि्रया, मर्जिया, शीआ और ख़वारिज की बिदअतें ज़ाहिर हुईं, फिर जब हज़रत उस्मान रज़ि० के क़त्ल के बाद उम्मत में फूट पैदा हुई तो हरूरिया की बिदअत ज़ाहिर हुई, फिर सहाबए किराम रज़ि० के अन्तिम समय में क़दि्रया की बिदअत ज़ाहिर हुई फिर हज़रत इब्ने उमर रज़ि०, इब्ने अब्बास रज़ि० और जाबिर रज़ि० के अन्तिम समय में मर्जिया का प्रकटन हुआ और जहां तक जहि्मया का सम्बन्ध है तो वह ताबईन के अन्तिम समय और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की मौत के बाद ज़ाहिर हुआ, यह भी प्रसिद्ध है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहि० ने उनसे लोगों को सूचित किया था और जहम का प्रकटन ख़ुरासान में ख़लीफ़ए हिशाम बिन अब्दुल मलिक के समय में हुआ।

यह बिदअतें दूसरी शताब्दी हिजरी में ज़ाहिर हो गईं थीं जब कि सहाबए किराम रज़ि० मौजूद थे, सहाबए किराम रज़ि० ने इस तरह की बिअदतों का विरोध किया था, फिर बाद में मुअतज़ला की बिदअत सामने आई और मुसलमानों में फ़ित्ना व फ़साद की नौबत शुरू हो गई फिर लोगों में मतभेद विचारों और बिदअतों व इच्छाओं की ओर मैलान व झुकाव का प्रकटन (ज़ाहिर) हुआ, फिर तसव्वुफ़ की बिदअत, क़ब्रों को पुख़्ता बनाने की बिदअत सामने आई। इसी तरह जैसे जैसे समय गुज़रता गया नई-नई बिदअतें सामने आती गयीं और उसकी डालियां फैलती रहीं।

दूसरा मसअला : बिदअ़त के प्रकटन की जगह

बिदअत के प्रकटन के मुआमले में विभिन्न देश व शहर विभिन्न हालातों से गुज़रते हैं। शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहि० फ़रमाते हैं : वह बड़े शहर जहां सहाबए किराम रज़ि० ने रिहाइश (निवास) इख़्तियार की और जहां से इल्मो ईमान के सोते फूटे पांच हैं।

हरमैन शरीफ़ैन, कूफ़ा व बस्रा और शाम, इन्हीं पांच शहरों से क़ुरआन व हदीस, फ़िक़्ह व इबादत और उनके अलावा इस्लाम के अन्य मामलों का तबलीग़ व प्रचार हुआ, और मदीना मुनव्वरा को छोड़ कर इन्हीं शहरों से उसूली बिदअतें भी निकली हैं कूफ़ा से शीआ व मर्जिया की बिदअत निकली और वहां से दूसरे शहरों में फैली। शहर बसरा में क़द्रिया, मोतज़िला और ख़राब तरीक़े की इबादतों की बिदअतें ज़ाहिर हुईं। और वहाँ से दूसरे शहरों में फैलीं। शाम से नासबिया व क़द्रिया की बिदअतें फैलीं। जहमिया की बिदअत ख़ुरासान से निकली जो सबसे बुरी बिदअत है बिदअत का प्रकटन अक्सर उन शहरों में अधिक हुआजो मदीना मुनव्वरा से अधिक दूर थे ख़ास तौर पर हज़रत उस्मान रज़ि० की शहादत के बाद जब हरूरिया फ़िर्क़ा वुजूद में आया तो बिदअत का बाज़ार बहुत गर्म हुआ और जहां तक मदीना मुनव्वरा की बात है तो यह शहर हमेशा बिदअत व ख़ुराफ़ात से पाक रहा, यदि किसी ने बिदअत फैलाने की कोशिश भी की तो वह अपमानित व ज़लील हुआ, क़द्रिया व मर्जिया फ़िर्क़ों ने अपने समय में इसकी कोशिश भी की लेकिन वह पराजित व प्रकोप ग्रस्त हुए बरख़िलाफ़ दूसरे शहरों के जहां बिदअतियों और ख़ुराफ़ातियों की बड़ी पज़ीराई हुई। कूफ़ा में शीआ व मर्जिया फैला, बसरा में मुअतज़ला व तनस्सुक ख़ूब चमका। शाम में नासिबा का दौर दौरा रहा। सच फ़रमाया रसूले पाक सल्ल० ने : दज्जाल मदीना मुनव्वरा में दाख़िल नहीं हो सकता, इसी का असर है कि मदीना मुनव्वरा हमेशा से इमाम मालिक के समय तक (जो दूसरी शताब्दी के आलिम थे) इल्मो ईमान का गह वारा रहा है।

पहले की तीन शताब्दियों में जो इस्लाम के सर्वश्रेष्ठ समय हैं, मदीना मुनव्वरा में कोई ज़ाहिरी बिदअत ज़ाहिर नहीं हुई और न ही दीन के नियमों के मुतअल्लिक़ कोई बिदअत सामने आई जैसे दूसरे शहरों में हुआ।

बिदअ़त के प्रकटन का कारण

इसमें कोई संदेह नहीं कि किताब व सुन्नत को मज़बूती के साथ पकड़े रहने

से आदमी बिदअतों और ख़ुराफ़ातों और हर गुमराही से सुरक्षित हो जाता है, अल्लाह तआला का इर्शाद है :

और यह कि मेरा सीधा रास्ता यही है तो तुम इस पर चलना और रास्तों पर न चलना कि (उन पर चलकर) अल्लाह के रास्ते से अलग हो ज़ाओगे।

(अनआम : 153)

इस बात का प्रकाशन स्वयं रसूलल्लाह सल्ल० ने एक हदीस शरीफ़ में कर दी है, हज़रत इब्ने मसऊद की रिवायत है :

"रसूलुल्लाह सल्ल० ने हमारे लिए एक लकीर खींची और फ़रमाया यह अल्लाह तआला का रास्ता है, फिर उस के दायें बायें कुछ लकीरें खींची और फ़रमाया : यह वह रास्ते हैं जिनमें से हर एक पर शैतान बैठा है और अपनी ओर बुला रहा है।" (अहमद, हाकिम, इब्ने माजा)

फिर यह आयत पढ़ी :

और यह कि मेरा सीधा रास्ता यही है तुम इसी पर चलना और रास्तों पर न चलना कि (उन पर चल कर) अल्लाह के रास्ते से अगल हो जाओगे इन बातों का अल्लाह तुम्हें आदेश देता है ताकि तुम परहेज़गार बनो। (अलअनआम : 154)

इस कारण जो भी किताबो सुन्नत की मज़बूत रस्सी को छोड़ेगा उसे गुमराह करने वाले रास्ते और विभिन्न बिदअतें और ख़ुराफ़ातें अपनी ओर खींचेंगे।

बिदअत के प्रकटन का कारण व प्रभाव निम्नलिखित हैं–

दीन के आदेशों से अपरिचित होना, नफ़्स की इच्छाओं की पैरवी, लोगों और विचारों का कट्टरपन, काफ़िरों की नक़ल व तक़लीद, इन चीज़ों का विवरण देखिए।

(अ) दीन के आदेशों से अपरिचित होना

जैसे जैसे समय गुज़रता जाता है, लोग रिसालत (पैग़म्बरी) के लक्षण से दूर होते जाते हैं, इल्म सिमटता जाता है और जिहालत फैलती जाती है, स्वयं नबी सल्ल० ने इसकी ख़बर दी है, आप सल्ल० ने फ़रमाया :

"तुम में से जो ज़िन्दा रहेगा उसे बहुत सारे मतभेद नज़र आएंगे।"

और एक जगह इर्शाद है :

"बेशक अल्लाह तआला इल्म को बन्दों से छीन कर नहीं उठाता बल्कि उलमा को उठाकर इल्म को उठाता है, इसलिए जब कोई आलिम बाक़ी नहीं रहता तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेते हैं और (उनसे मसअले) पूछते हैं, इस

कारण वह बिना इल्म के फ़त्वा देते हैं और स्वयं भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं।" (इब्ने अब्दुल बर 1/180)

इससे साबित हुआ कि बिदअत का तहस नसह केवल इल्म और उलमा ही कर सकते हैं इस कारण जब इल्म और उलमा का अप्राप्यता होगा, बिदअत को फलने-फूलने का अवसर मिल जाएगा और बिदअतियों का ख़ूब दौर दौरा होगा।

(ब) नफ़्स की इच्छाओं की पैरवी

जो आदमी किताबो सुन्नत की पैरवी से हटेगा वह ज़रूर अपनी इच्छाओं की पैरवी करेगा : इर्शादे बारी तआला है :

फिर यदि यह तुम्हारी बात क़बूल न करें तो जान लो कि यह केवल अपनी इच्छाओं की पैरवी करते हैं और उससे अधिक कौन गुमराह होगा जो अल्लाह की हिदायत को छोड़ कर अपनी इच्छा के पीछे चले? (क़सस : 50)

और एक जगह इर्शाद है :

"भला तुमने उस आदमी को देखा जिसने अपनी इच्छा को माबूद बना रखा है और बावजूद जानने-बूझने के (गुमराह हो रहा है तो) अल्लाह ने (भी) उसको गुमराह कर दिया और उसके कानों और दिल पर छाप (मुहर) लगा दी, और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, अब अल्लाह के अलावा उसको कौन सीधे रास्ते पर ला सकता है?" (जासिया : 23)

इसमें कोई सन्देह नहीं कि बिदअत नफ़्स की इच्छाओं की पैरवी का जाल है।

(ज) लोगों और विचारों का कट्टर पन

तअस्सुब (कट्टरपन) हक़ का परिचय और इन्सान के बीच आड़ हो जाता है। इर्शादे बारी तआला है :

"और जब उन लोगों से कहा जाता है कि जो (किताब) अल्लाह ने उतारी है उसकी पैरवी करो तो कहते हैं (नहीं) बल्कि हम तो उस चीज़ की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप, दादा को पाया।" (बक़रा : 170)

आज कल के तस्सवुफ़ के विभिन्न तरीक़ों की पैरवी करने वालों और क़ब्र परस्तों का यही हाल है, यह अपने तअस्सुब (कट्टरपन) में अन्धे हो जाते हैं, जब उन्हें किताबो सुन्नत की दावत दी जाती है और किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ अमलों से उनको रोका जाता है तो अपने मशाइख़ का उदाहरण देते और अपने बाप-दादा के तरीक़ों को पेश करते हैं।

(द) काफ़िरों की तक़लीद

ग़ैर क़ौमों की तक़ेलीद मुसलमानों को सबसे अधिक बिदअतों और ख़ुराफ़ातों के गड्ढे में डालती है जैसा कि हज़रत अबू वाक़िद लैसी की रिवायत की हुई हदीस में आया है, हज़रत लैसी का बयान है : एक बार हम रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ हुनैन की ओर निकले, हम नए-नए इस्लाम लाये थे, उस समय मुश्रिकों का एक पेड़ था जिसकी वह पूजा करते थे और अपने हथियार उसमें लकटाये रखते थे उसे "ज़ाते अन्वात" भी कहा जाता था, हम उस पेड़ के पास से गुज़रे तो हमने रसूलुल्लाह सल्ल० से निवेदन किया ऐ अल्लाह के रसूल ! हमारे लिए भी एक ऐसा "ज़ाते अन्वात" बना दीजिए जैसा कि मुश्रिकों का है। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :

"अल्लाहु अक्बर—यही तरीक़े हैं, उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुमने हम से वही बात कह दी जिसे बनी इस्राईल ने हज़रत मूसा अलैहि० से कही थी।"

जैसे उन लोगों के माबूद हैं हमारे लिए भी एक माबूद बना दो, मूसा ने कहा तुम बड़े ही जाहिल लोग हो। (आराफ़ : 138)

तुम ज़रूर अपने से पहले लोगों के तरीक़ों पर चलोगे। (तिर्मिज़ी)

इस हदीस में साफ़ तौर पर बयान कर दिया गया है कि काफ़िरों की तक़लीद ही ने बनी इस्राईल को उस गन्दे सवाल पर उभारा था कि उनके लिए भी एक बुत का प्रबन्ध किया जाये ताकि वह उसकी इबादत करें, उसी चीज़ ने कुछ सहाबा को रसूलुल्लाह सल्ल० से यह सवाल करने पर मजबूर किया कि उनके लिए एक पेड़ का चयन किया जाये जिससे वह तबर्रुक व प्रसाद हासिल करें, आज भी मुसलमानों का यही हाल है। आज मुसलमानों की अधिकता काफ़िरों की तकलीद में लगी हुई है और मुश्रिकाना अमलों और बिदअतों में पड़ी हुई है बड़े धूमधाम से बर्थडे मनाया जाता है, ख़ास अमलों के लिए दिन और हफ़्ते मनाये जाते हैं विभिन्न दीनी सम्बन्धों और यादगार के अवसरों पर जलसे जुलूस आयोजित किये जाते हैं मुजस्समे और यादगारी चिह्न गाड़े जाते हैं, मज्लिसे मातम आयोजित की जाती हैं फिर जनाज़ों की बिदअत अधिक है। क़ब्रों को पुख़्ता बनाना और क़ब्रों पर तामीर (निर्माण) करना आम रिवाज पा गया है।

तीसरा विषय

बिदअ़तियों से सम्बन्ध उम्मते मुस्लिमा का मौक़िफ़ और उसके हटाने के लिए अहले सुन्नत व जमाअत का तरीक़ा

1. बिदअतियों से सम्बन्ध अहले सुन्नत व जमाअत का तरीक़ा

अहले सुन्नत व जमाअत बराबर बिदअतियों का जवाब देते चले आ रहे हैं और उनकी बिदअतों और ख़ुराफ़ातों का सख़्ती से इन्कार कर रहे हैं और उन्हें शिर्क व बिदअत से रोक रहे हैं जिसके कुछ नमूने देखिए :

(अ) हज़रत उम्मे दर्दा रज़ि० फ़रमाती हैं : एक बार हज़रत अबू दर्दा बड़े गुस्से की हालत में घर में दाख़िल हुए, मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे कि अल्लाह की क़सम ! आज मुसलमानों में रसूलुल्लाह सल्ल० के समय की कोई चीज़ नहीं है अलावा इसके कि वह जमाअत से नमाज़ पढ़ते हैं। (बुख़ारी)

(ब) हज़रत उमर बिन यह्या बयान करते हैं कि मैंने अपने बाप को यह हदीस बयान करते हुए सुना है कि : हम ज़ुहर की नमाज़ से पहले अब्दुल्लाह बिन मसऊद के दरवाज़े पर बैठा करते थे, जब वह निकलते थे तो उनके साथ मस्जिद की ओर चल पड़ते थे, एक दिन अबू मूसा अल अश्अरी रज़ि० आये और पूछा : क्या अबू अब्दुर्रहमान आ चुके हैं? हम ने कहा नहीं। वह हमारे साथ बैठ गये, यहां तक कि अबू अब्दुर्रहमान निकल आये। जब वह निकले तो हम सब मिलकर उनकी ओर बढ़े, तो उन्होंने कहा : ऐ अबू अब्दुर्रहमान ! हमने कुछ देर पहले मस्जिद में एक नई चीज़ देखी है। मेरे गुमान में वह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ही होगी, उन्होंने पूछा : वह क्या है? उन्होंने जवाब दिया यदि तुम ज़िन्दा रहोगे तो स्वयं ही देख लोगे, उसने कहा : मैंने मस्जिद में एक ऐसी जमाअत को देखा जो घेरा बनाये बैठी थी और नमाज़ का इन्तिज़ार कर रही थी, हर घेरे में एक आदमी ज़ाहिर होता है और सब के हाथ में कंकरियां हैं। फिर वह आदमी कहता है सौ तकबीर कहो, तो वह लोग सौ बार तकबीर कहते, फिर वह कहता सौ बार लाइला-ह इल्लल्लाह पढ़ो, तो वह सौ बार लाइला-ह इल्लल्लाह पढ़ते, फिर वह कहता सौ बार सुब्हानअल्लाह पढ़ो, तो वह सौ बार सुब्हानल्लाह पढ़ते, उन्होंने कहा : तुमने उनसे क्या कहा? जवाब दिया : मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, उसमें आपके विचार का इन्तिज़ार है या आपके आदेश का इन्तिज़ार है, उन्होंने कहा : उन्हें इस बात की आज्ञा क्यों नहीं दी कि वह अपने ग़लतियों की गिनती करें और

उनकी नेकियों की ज़िम्मेदारी है कि वह बरबाद नहीं होंगी, फिर वह जाने लगे और हम भी उनके साथ हो लिए, यहां तक कि उन घेरों में से एक घेरे के पास आये, और वहां खड़े होकर कहा, यह तुम क्या कर रहे हो जिसे हम देख रहे हैं? उन लोगों ने कहा ऐ अबू अब्दुर्रहमान! यह कंकरियां हैं जिसके ज़रिए हम तकबीर व तहलील, तस्बीह व तहमीद गिनते हैं। यह सुनकर उन्होंने कहा : अपने गुनाहों को याद करो, मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार हूं कि तुम्हारी नेकियां बरबाद नहीं होंगी। तुम्हें क्या हो गया है? ऐ मुहम्मद की उम्मत! इतनी जल्दी तबाही की ओर क्यों बढ़ रही है? आज सहाबए किराम रज़ि० अधिक संख्या में मौजूद हैं, आज रसूलुल्लाह सल्ल० के कपड़े भी पुराने नहीं हुए, उनके बरतन आज उसी तरह सही व दुरुस्त हैं। उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है। क्या तुम्हारा तरीक़ा मुहम्मद सल्ल० के तरीक़े से अधिक अच्छा है या तुम गुमराहियों का दरवाज़ा खोलने वाले हो? उन लोगों ने कहा : अल्लाह की क़सम—ऐ अबू अब्दुर्रहमान! हमारी नीयत तो ख़ैर व भलाई की ही है। उस पर, उन्होंने कहा : बहुत से लोग भलाई के इच्छुक होते हैं लेकिन वह भलाई तक नहीं पहुंच पाते हैं। रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुरआन पढ़ रहे होंगे। लेकिन कुरआन उनके हल्क़ (गले) से नीचे नहीं उतरेगा—अल्लाह की क़सम शायद उनमें के अक्सर तुम ही में से हैं, फिर उनके पास से हट गए। हज़रत अमर बिन सलमा रज़ि० का बयान है कि हमने उनमें से अक्सर को देखा कि नहरवान के अवसर पर ख़वारिज के साथ मिलकर हमें लान तान कर रहे थे। (दारमी)

(ज) एक बार एक आदमी इमाम मालिक बिन अनस रहि० के पास आया और अर्ज़ किया : किस जगह से इहराम बांधूं? आपने कहा कि मीक़ात से, जहां से कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने इहराम बांधा था। उस आदमी ने कहा कि यदि मैं वहां से पहले ही एहराम बांध लूं तो, इमाम मालिक ने कहा मेरे गुमान में यह सही नहीं, उसने कहा : इसमें नापसन्दीदगी की क्या बात है? इमाम मालिक रहि० ने कहा कि असल में मैं तुम्हारे लिए फ़ित्ना को पसन्द नहीं करता, उसने कहा कि : अधिक से अधिक भलाई हासिल करने में कौन सा फ़ित्ना है? इमाम मालिक ने कहा कि अल्लाह तआला का फ़रमान है :

तो जो लोग उनके आदेश का विरोध करते हैं उनको डरना चाहिए कि (ऐसा न हो कि) उन पर कोई मुसीबत पड़ जाये या दुखद अज़ाब उतर आए। (नूर : 63)

इस से बड़ा फ़ित्ना क्या हो सकता है कि तुम्हारे लिए एक ऐसी फ़ज़ीलत ख़ास की जाये जिससे रसूलुल्लाह सल्ल० अपरिचित थे। यह एक नमूना

(मिसाल) है। हमारे उलमाए किराम बराबर बिदअतियों के कामों पर नकीर करते आये हैं और आज भी कर रहे हैं। अल हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक .

2. अहले बिदअ़त का जवाब देने में अहले सुन्नत व जमाअत का तरीक़ा

इनका तौर तरीक़ा किताबो सुन्नत पर निर्भर है, यह बहुत ही दलील व हुज्जत से भरा तरीक़ा है, पहले बिदअतियों की आशंकाओं का चर्चा किया जाता है फिर उनकी बेबुनियाद दलीलों को तोड़ा जाता है, किताबो सुन्नत की दलीलों के साथ उन्हें बताया जाता है कि सुन्नत को मज़बूती के साथ पकड़ना फ़र्ज़ है और शिर्क व बिदअत और दीन में नई-नई चीज़ें पैदा करना हराम है, इस विषय पर अनगिनत किताबें लिखी जा चुकी हैं, अक़ीदों की किताबों में शीया, ख़वारिज, जहिमया, मुअतज़ल, अशाइरा का जवाब दे दिया गया है जैसे कि इमाम अहमद रहि० ने जहिमया के ख़िलाफ़ एक किताब लिखी है, उनके अलावा दूसरे उलमाए किराम ने इस विषय पर बहुत कुछ लिखा है। जैसे उस्मान बिन सईद अद-दारमी, इमाम इब्ने तैमिया, उनके शागिर्द अल्लामा इब्ने क़य्यिम, शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब आदि, इन लोगों ने सूफ़िया, क़ब्र परस्तों और अन्य गुमराह वर्गों (फ़िर्क़ों) के जवाब दिये हैं, बिदअत के ख़िलाफ़ जो किताबें लिखी गई हैं वह बहुत अधिक हैं, उनमें से कुछ पुरानी किताबों का चर्चा नीचे किया जा रहा है :

(1) किताबुल एतिसाम लिल इमामिस्सातिबी

(2) किताब इक्तिज़ाउस्सिरातिल मुस्तक़ीम—लिशैख़िल इस्लाम इब्ने तैमिया रहि० इसमें बिदअतियों पर बहुत अच्छा विवाद किया गया है, किताब का अच्छा ख़ासा हिस्सा बिदअत पर ही है।

(3) किताब—इन्कारूल हवादिस वल बिदअ इब्ने वज़ाह से

(4) किताबुल हवादिस वल बिदअ, संपादक अलतर्तूशी

(5) किताब—अल बाइस अला इन्कारिल बिदअ वल हवादिस, संपादक अबी शामा

कुछ नई किताबें :

(1) किताबुल इब्दाअ फ़ी मज़ारिल इब्तिदाइ, संपादक : शैख़ अली महफ़ूज़

(2) किताबुस्सुननि वल मुब्तदिआतिल मुतअल्लक़ति बिल अज़्कारि वस्सलात, संपादक : शैख़ मुहम्मद बिन अहमद अश्शक़ीरी अल हवामिदी

(3) रिसालतुत्तहज़ीर मिनल बिदअि, संपादक : शैख़ अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़।

अलहम्दुल्लिाह आज भी उलमाए किराम की एक बड़ी जमाअत बिदअत को तहस-नहस और बिदअतियों को सही रास्ते पर लाने में लगी हुई है और पत्रों, रिसालों, रेडियो और तबलीग़ व प्रचार के ज़रियों, जुमा के ख़ुत्बों, सेमिनारों के ज़रिये इस मैदान में काम कर रहे हैं, जिसका मुसलमानों को जगाने और बिदअत को हटाने और बिदअतियों को सही राह पर लाने में बड़ा प्रभाव व असर है।

۞۞۞۞

चौथा विषय

आज कल की कुछ नई बिदअतों के नमूने यह हैं :

(1) मीलाद शरीफ़ के जश्न व जुलूस।

(2) कुछ निशानों, जगहों और मुर्दों से तबर्रुक व प्रसाद।

(3) इबादतों व तक़र्रूब के मैदान की बिदअतें।

कुछ कारणों की बिना पर मौजूदा समय में बिदअतें बहुत ही अधिक उन्नति (तरक़्क़ी) पा गई हैं इन कारणों में सबसे बड़ा कारण जिहालत है, फिर पहले युग से इस समय की दूरी, फिर बिदअत की ओर बुलाकर और सुन्नत का विरोध करके पेट पालने वाले मौलवियों की अधिकता, फिर ग़ैर मुस्लिम क़ौमों और मज़हबों की आदतों, तरीक़ों और कथनों की तक़लीद भी इसका एक बड़ा कारण है। सच फ़रमाया था रसूलुल्लाह सल्ल ने "तुम पहली क़ौमों के तरीक़ों की पैरवी ज़रूर करोगे।" (तिर्मिज़ी)

1. रबीउल अव्वल के महीने में मीलाद शरीफ़ के जश्न व जुलूस

मीलाद शरीफ़ मनाना सरासर ईसाइयों की तक़लीद है इसलिए कि वह ईसा मसीह अलैहि० की विलादत (जन्म) का दिन मनाते हैं, इस्लाम में यह चीज़ नहीं है, लेकिन अक्सर जाहिल मुसलमान और गुमराह करने वाले उलमा हर साल माहे रबीउल अव्वल को मीलाद शरीफ़ के नाम से जश्न व जुलूस करने लगे हैं, कुछ लोग तो इस तरह के जलसे मस्जिद ही में आयोजित करने लगे हैं जिनमें बड़ी संख्या में जाहिल व बेवक़ूफ़ लोग हाज़िर होते हैं और सब कुछ नसारा की तक़लीद व नक़ल में करते हैं। नसारा जिस तरह हज़रत ईसा अलैहि० की मीलाद मनाते हैं ठीक उसी तरह मुसमलान भी रसूलुल्लाह सल्ल० की मीलाद मनाते हैं और मीलाद की हर चीज़ में उनकी नक़ल करते हैं जबकि इस तरह के जश्न व जुलूस, बिदअत व ख़ुराफ़ात और नसारा की तक़लीद होने के अलावा उसमें हज़ारों तरह के शिर्किया अमलें की जाती हैं और मुन्किरात का अपराध किया जाता है ऐसी नअतिया कवितायें पेश की जाती हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्ल के हक़ में ग़ुलू किया जाता है फिर अल्लाह तआला के बजाय आप सल्ल० को हाज़िर व नाज़िर समझकर आप सल्ल० ही से दुआयें मांगी जाती हैं, गौशे आज़म के दामन को न छोड़ने की आवाज़ लगाई जाती है जबकि स्वयं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमा दिया है :

"देखो मेरी तारीफ़ व प्रशंसा में ग़ुलू न करना जिस तरह नसारा ने इब्ने मरयम की तारीफ़ में ग़ुलू किया है, बेशक मैं बन्दा हूं इस कारण मुझे अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल कहा करो।" (बुख़ारी-मुस्लिम)

मीलादुन्नबी के जश्न व जुलूस में अक्सर लोग यही अक़ीदा रखते हैं कि नबी सल्ल० स्वयं इस मज्लिस में तशरीफ़ लाते हैं, इसके अलावा उसकी दूसरी बुराइयां यह हैं कि उनमें लोग इज्तिमाई तौर पर नअत और नज़्म पढ़ते हैं गाने-बजाने का पूरा प्रबन्ध होता है, सूफ़ियों के अज़्कार और औराद (भजन) पढ़े जाते हैं विभिन्न बिदअतों का अपराध किया जाता है उसमें मर्द व औरत का अनुराग भी होता है जिससे फ़ित्ना व फ़साद पैदा होता है लोगों का बुराई में पड़ने का पूरा ख़तरा रहता है, यदि यह मज्लिसें सभी बुराइयों से पाक भी हों तो भी लोगों का इस बात के लिए जमा होना, इज्तिमाई तौर पर खाना-पीना, ख़ुशी व आनन्द का प्रकाशन करना एक बिदअत है और दीन में एक नई चीज़ का अविष्कार (ईजाद) है, जबकि हदीस शरीफ़ के शब्द हैं "हर नई चीज़ बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है", और धीरे-धीरे इस तरह के जलसों में मुन्किरात व बुराइयों का होना निश्चय है, जैसा कि अक्सर होता है।

मीलादुन्नबी मनाना मेरे नज़दीक एक बिदअत है, इसलिए कि किताब व सुन्नत सलफ़े सालिहीन और ख़ैरुलक़ुरून में इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता है यह चौथी शताब्दी हिजरी की पैदावार है, शीआ फ़ातमियों ने इसे ईजाद किया है, इमाम अबू हफ़्स ताजुद्दीन अल फ़ाकिहानी रहि० का कहना है : मुबारकियों की एक जमाअत मुझसे बार-बार पूछ रही है कि रबीउल अव्वल के महीने में जो मीलादुन्नबी मनाते हैं क्या दीन में उसकी असल है? चूंकि खुले तौर पर मुझसे यह सवाल किया गया है, इसलिए खुले तौर पर मेरा जवाब है कि किताबो सुन्नत में इसकी कोई असल नहीं, और न ही उन उलमाए किराम से यह बात मन्क़ूल है जो हमारे लिए नमूना हैं जो पहले लोगों के लक्षण को मज़बूती से थामे हुए हैं, बल्कि मेरे नज़दीक यह एक बिदअत है जिसे कुछ बेकार और काहिल क़िस्म के लोगों ने ईजाद कर रखा है और कुछ खाने-पीने वाले नफ़्स परस्तों ने खाने-पीने का ज़रीआ बना रखा है।

इस बारे में शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहि० लिखते हैं : आजकल जिस तरह लोग मीलाद शरीफ़ मनाते हैं या तो नसारा की तक़लीद या मुक़ाबले में मनाते हैं, इसलिए कि नसारा हज़रत ईसा अलैहि० का यौमे विलादत (पैदाइश का दिन) मनाते हैं, या फिर रसूलुल्लाह सल्ल० की मुहब्बत व सम्मान में मनाते हैं

जबकि नबी सल्ल० की जन्मतिथि में इतिहासकारों और सीरत निगरों के बीच मतभेद है, इस तरह की मीलाद हमारे सलफ़े सालेह ने कभी नहीं मनाई, यदि यह भलाई व लाभ की चीज़ होती तो हमारे अस्लाफ़े किराम ज़रूर ऐसा करते। इसलिए कि वह हमसे अधिक रसूलुल्लाह सल्ल० का सम्मान करने वाले और आप से मुहब्बत करने वाले थे, वह तो आप सल्ल० के आदेशों की पैरवी और एक एक सुन्नत को ज़िन्दा करने के लिए मर मिटते थे, वह हमसे अधिक नेकी के लालची थे, यह इसलिए कि आप सल्ल से मुहब्बत व सम्मान का ज़रीआ और आपकी पैरवी व अनुसरण, आप सल्ल० की सुन्नतों के ज़िन्दा करने, दीने इस्लाम की उन्नति और दिल ज़बान और हाथ से जिहाद को ही समझते थे, यही तरीक़ा पहले लोगों, मुहाजिरीन व अन्सार और उनकी सच्ची पैरवी करने वालों का था।

इस बिदअत के खंडन में अनेक किताबें और रिसाले लिखे गये हैं। पहले भी और मौजूदा समय में भी, असल में मीलाद शरीफ़ एक बिदअत होने के अलावा दूसरे वलियों और नेक लोगों की यौमे विलादत (बर्थ डे) मनाने के रास्ते को खोल देती है, जिससे बुराई व फ़साद के विभिन्न दरवाज़े खुल जाते हैं।

2. कुछ जगहों, निशानों और ज़िन्दा व मुर्दा लोगों से बरकत हासिल करना

मख़्लूक़ से बरकत हासिल करना भी एक सख़्त बिदअद है जो आजकल बहुत तेज़ी पर है, असल में यह बुत परस्ती की एक क़िस्म है, एक ऐसा जाल है जिससे बहुत से नफ़ा-परस्त लोग सीधे-सादे लोगों को फांस कर अपना पेट पालते हैं।

शब्द तबर्रूक के अर्थ हैं बरकत का इच्छुक होना, और बरकत के अर्थ हैं किसी चीज़ में लाभ व भलाई का प्रमाण या लाभ व भलाई में अधिकता की योग्यता, लाभ व भलाई की इच्छा या उसमें अधिकता की मांग उसी ज़ात से ठीक है जो उसका मालिक और उसपर क़ादिर (शक्तिमान) हो और वह अल्लाह सुब्हानहू के अतिरिक्त कौन हो सकता है वही ज़ात बाबरकत है जो बकरत को उतारती है उसको साबित करती है जहां तक मख़्लूक़ की बात है, वह बरकत प्रदान करने या उसको पैदा करने और उसको बाक़ी व साबित रखने पर क़ादिर नहीं, इस कारण जगहों, निशानों और ज़िन्दा व मुर्दा लोगों से बरकत हासिल करना किसी हाल में जाइज़ नहीं, यदि किसी का अक़ीदा हो कि उनमें से कोई चीज़ बरकत प्रदान करती है तो यह शिर्क की ओर ले जाने वाला रास्ता है और यदि किसी का यह अक़ीदा हो कि किसी की ज़ियारत से या किसी को छू लेने से या किसी को हाथ लगा देने से अल्लाह की नज़दीकी हासिल होती है तो यह भी शिर्क का एक दरवाज़ा है, और सहाबए किराम रज़ि० नबी सल्ल० के बाल मुबारक, आपके

मुबारक थूक और पाक जिस्म से अलग होने वाली अन्य चीज़ों से जो बरकत हासिल करते थे तो यह आप सल्ल० की ज़ाते मुबारक के साथ ही ख़ास है और वह भी आप सल्ल० की हयाते तैयबा (ज़िन्दगी) और उनके बीच मौजूदगी तक ही ख़ास रहा, इसलिए कि आप सल्ल० की मृत्यु के बाद सहाबए किराम ने मुबारक कमरे, रौज़ए अतहर आदि चीज़ों से कभी भी बरकत हासिल नहीं की और कभी भी किसी ने बरकत व भलाई की नीयत से उन जगहों का इरादा नहीं किया जहां आप सल्ल० ने नमाज़ अदा की थी या आप सल्ल० तशरीफ़ रखे थे, इस कारण वलियों और बुज़ुर्गों की जगहों से बरकत हासिल करना कैसे जाइज़ हो सकता है? जबकि स्वयं रसूलुल्लाह सल्ल० के निशानों से बरकत हासिल करना सही नहीं है। इसी तरह आप सल्ल० के इन्तिक़ाल के बाद न किसी सहाबी ने बरकत हासिल की, किसी सहाबी के बारे में यह साबित नहीं कि उन्होंने ग़ारे हिरा जाकर नमाज़ पढ़ी हो या दुआ मांगी हो, और कोहे तूर पर गए हों जहां कि अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैहि० से बात की थी ताकि वहां नमाज़ अदा करें, और न ही उनके अलावा अन्य उन जगहों और पहाड़ों पर गये हैं जिनके बारे में मशहूर है कि वह रसूलों के निशान हैं और न ही किसी नबी की बनाई हुई इमारत व निशानी पर गए हैं। इसी तरह मस्जिदे नबवी की वह जगह जहां आप सल्ल० हमेशा नमाज़ अदा फ़रमाते थे उसके सम्बन्ध हमारे असलाफ़ (बुज़ुर्गों) में से किसी के बारे में यह साबित नहीं कि उन्होंने उसे छुआ हो, उसको बोसा दिया हो और मक्का मुकर्रमा में जहां आप सल्ल० नमाज़ अदा फ़रमाते थे वहां के बारे में भी ऐसा कुछ किया हो, इससे यह बात बिल्कुल प्रकट हो जाती है कि जब उस जगह को जहां आप सल्ल० के मुबारक क़दम पड़े हों, जहां आपने नमाज़ अदा की हो, शरीअत ने अपनी उम्मत के लिए बाबरकत नहीं क़रार दिया कि उसे छुआ जाए, उससे बरकत हासिल की जाये, उसका बोसा दिया जाये, तो फिर किसी दूसरे के बारे में कैसे कहा जा सकता है कि फ़लां ने यहां नमाज़ पढ़ी थी, हज़रत ने यहां क़ैलूला फ़रमाया था, हज़रत ने यहां बैठकर दुआ फ़रमाई थी, हज़रत यहां वुज़ू फ़रमाते थे, इस कारण इन जगहों का बोसा देना बरकत का सबब है। सभी उलमाए दीन और उम्मत के नेक लोगों को मालूम है कि इस तरह का कोई अमल आप सल्ल० की शरीअत में से नहीं है।

3. इबादतों और तक़र्रुब इलल्लाह के विषय में बिदअतें

मौजूदा समय में इबादतों के बारे में लोगों ने जो बिदअतें ईजाद की हैं वह भी कुछ कम नहीं हैं जबकि इबादतें सभी की सभी तौक़ीफ़ी हैं उसमें कमी-बेशी और

उलट-फेर के बारे में सोच व विचार की कोई समाई नहीं। किसी मज़बूत दलील के ज़रिए ही इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। बिना दलील कुछ करना ही बिदअत है, इर्शादे रसूल है :

"जो आदमी कोई ऐसा अमल करेगा जिस पर हमारी शरीअत की दलील न होगी वह (मर्दूद) न क़ाबिले क़बूल है।" (मुस्लिम)

मौजूदा ग़ैर शरई इबादतों की चन्द झलकियां

नमाज़ की नीयत को बलन्द आवाज़ से पढ़ना

जैसे यह कहे : (मैंने अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ने की नीयत की) आदि। यह बिदअत है इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्ल० की सुन्नत से साबित नहीं है। अल्लाह तआला का फ़रमान भी है :

उनसे कहो क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी जतलाते हो? और अल्लाह तो आसमानों और ज़मीन की सब चीज़ों से परिचित है। और अल्लाह हर चीज़ को जानता है। (हुजरात : 16)

नीयत की जगह दिल है और नीयत करना सरासर दिल का अमल है, ज़बान से उसका कोई सम्बन्ध नहीं।

एक बिदअत नमाज़ के बाद इज्तिमाई ज़िक्र व अज़्कार (दुआ आदि) की है, जबकि सुन्नत यह है कि हर आदमी सुन्नत से साबित ज़िक्र अकेले तौर पर अदा करे, एक बिदअत है विभिन्न समय पर फ़ातिहा पढ़ने की दावत। ख़ास तौर पर मुर्दों के लिए और दुआ के बाद, इसी तरह मज्लिसे मातम का प्रबन्ध, हलवा खिच्ड़ा, क़ारी लोगों (क़ुरआन पढ़ने वालों) को मज़दूरी पर बुलाना आदि और यह सबकुछ यह समझकर कि इससे मुर्दे की ताज़ियत होती है या इससे मुर्दे को लाभ पहुंचता है, यह सब वह बिदअतें हैं, जिनका कोई असल शरीअत व सुन्नत में नहीं और अल्लाह तआला ने इनकी कोई दलील नहीं भेजी है।

इतिहासी दिनों में जश्न व जुलूस का प्रबन्ध

शबे मेराज, हिज्रते नबवी या दूसरे इतिहासी दिनों में किसी तरह के जश्न व जुलूस का प्रबन्ध करना बिदअत है शरीअत में इसकी कोई असल नहीं है। इसमें वह अमल भी दाख़िल है जो रजब के महीने में किया जाता है जैसे रजब का उमरा, इसमें नफ़िल नमाज़ और नफ़िल रोज़ा का ख़ास प्रबन्ध करना आदि। रजब

के महीने की कोई फ़ज़ीलत नहीं है, न उमरा के एतिबार से और न ही नमाज़, रोज़ा और नज़्र व क़ुर्बानी के एतिबार से और न ही रजब के अलावा अन्य महीनों में इन चीज़ों का प्रबन्ध सही है।

सूफ़िया के कीर्तन व भजन (ज़िक्र व अज़्कार)

उनकी तमाम क़िस्में सब की सब बिदअत और स्वयं पैदा की हुई चीज़ें हैं इसलिए कि इससे शरीअत के ज़िक्र व अज़्कार उसके तौर-तरीक़ों व वक़्तों की मुख़ालिफ़त होती है।

निस्फ़ (पन्द्रहवीं) शाबान की रात को नमाज़ और दिन को रोज़ा के लिए ख़ास करना

इस बारे में रसूलुल्लाह सल्ल० से कुछ भी साबित नहीं है। इसी तरह क़ब्रों को पुख़्ता बनाना, उन पर तामीर (निर्माण) करना, उन्हें मस्जिद बना लेना और, उनसे बरकत के लिए उनकी ज़ियारत करना, मुर्दों के वसीले से अल्लाह तआला की नज़दीकी हासिल करना, इनके अलावा दूसरे शिर्किया अमल, औरतों का क़ब्रिस्तान जाना आदि जबकि रसूलुल्लाह सल्ल० ने क़ब्रों की ज़ियारत करने वालियों पर लानत भेजी है और क़ब्रों को मस्जिद बनाने और उन पर चरागां (दीपावली) करने वालों को बुराऽभला कहा है।

समापन

अख़ीर में हम यही कहेंगे कि बिदअत फ़िक्र (सोच) की पैदावार है। यह दीन में वह बढ़ोतरी है जिसे न अल्लाह तआला ने मशरूअ (जाइज़) फ़रमाया है और न ही उसके रसूल सल्ल० ने। बिदअत गुनाहे कबीरा से बहुत बुरी है और बिदअत से शैतान इतना ख़ुश होता है जितना कि गुनाहे कबीरा से ख़ुश नहीं होता, इसलिए कि अपराधी अपराध के इर्तिकाब के बाद तौबा कर लेता है। जबकि एक बिदअती बिदअत करते समय समझता है कि वह दीन में से है, फिर उससे अल्लाह का तक़र्रूब (नज़दीकी) हासिल करने की कोशिश करता है इस कारण उसे तौबा की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। बिदअत की ज़िन्दगी से सुन्नत मिटती है और बिदअती के नज़दीक सुन्नत नापसन्दीदा चीज़ बन जाती है, यहीं से वह अहले सुन्नत से नफ़रत करने लगते हैं।

बिदअत बन्दों को अल्लाह तआला से दूर कर देती है उसके प्रकोप को दावत दे ती है, दिल में फ़साद व गुमराही का कारण बनती है।

बिदअ़तियों से हमारा क्या व्यवहार हो ?

बिदअती से मेल-जोल पैदा करना, उससे घुल-मिलकर रहना हराम है । केवल उन्हें सीधे रास्ते पर लाने और समझाने और बिदअत का इन्कार करने के लिए ऐसा किया जा सकता है, इसलिए उनसे घुल-मिलकर रहने से बुरा प्रभाव पड़ता है, बिदअत की छुतहा बीमारी दूसरों तक पहुंच जाती है । उनसे जहां तक हो सके बचना चाहिए, उनकी बुराइयों से दूर रहना चाहिए और ऐसा उस समय किया जायेगा जब उन पर पूछताछ और पकड़ की ताक़त न हो वर्ना उनकी पकड़ पर ताक़त व शक्ति की सूरत में इस्लाम के आलिमों और मुल्क के हाकिमों पर वाजिब है कि बिदअत को फलने-फूलने से सख़्ती के साथ रोकें, बिदअतियों पर पाबन्दी लगा दें, उनको बुराई से रोक रखें । इसलिए कि इस्लाम के लिए वह ज़बरदस्त ख़तरा है, इस समय पर यह भी याद रखने की बात है कि काफ़िर हुकूमतें अपने यहां बिदअतियों की बड़ी हिम्मत अफ़ज़ाई (प्रोत्साहन) करती हैं बिदअत को फलने-फूलने का पूरा अवसर देती हैं, विभिन्न तरीक़ों से उनकी मदद करती हैं । इसलिए कि उससे इस्लाम की मृत्यु होती है और उसकी सूरत बिगड़ती है ।

हम अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि वह अपने दीन की मदद फ़रमाएं, अपने कलिमा को बलन्द फ़रमाये, अपने दुश्मनों को अपमानित करे, दरूद व सलाम हो नबी सल्ल० और आपकी आल औलाद और सहाबए किराम पर ।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक केवल इस्लाम है !

(आले इम्रान–१९)

तालीमुल इस्लाम

इस्लाम की संपूर्ण बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरल और आसन किताब
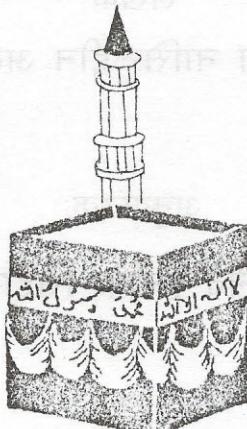
संपादक

मौलाना मुख़्तार अहमद नदवी

प्रकाशक

अद्दारुस्सलफ़िया

दिल्ली - मुम्बई - मालेगांव

अह्‌कामुल्‌ जनाइज़

लेखक

अल्लामा नासिरूद्दीन अल्‌बानी

अनुवादक

खालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी

प्रकाशक

अद्‌-दारुस्सलफिय्या

मुम्बई